ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

वर्ष 5 | अंक 12 | जून 2023 / Issue 02 | मूल्य: ₹ 55

dhyeyaias.com

भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के महत्त्वपूर्ण पहलू: भारत के व्यापार विविधीकरण को बढ़ावा

अखंड भारत विचार का इतिहास और भारत के पड़ोसी देशों पर इसका प्रभाव

बाह्य अंतरिक्ष में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना समय की मांग

बाईस्टैंडर इफेक्ट: मानव के सामाजिक जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव

एससीओ के पूरक के रूप में एक्सिस ऑफ सेवन: मध्य एशिया में चीन का बढ़ता कद और भारत पर इसका प्रभाव

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत पर इसके प्रभाव

भारतीय नौसेना और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के तकनीकी सहयोग से नौसैन्य क्षमता में मजबूती

मुख्य परीक्षा विशेष: भूगोल, भारतीय समाज और सामाजिक न्याय पर आधारित महत्त्वपूर्ण प्रश्न

परफेक्ट-7

करेंट अफेयर्स मैगजीन ही क्यों?

1. सर्वप्रथम परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन, प्रत्येक 15 दिन में प्रकाशित होती है जिससे छात्र करेंट अफेयर्स से अप-टू-डेट रहते हैं, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाएं मासिक होती हैं जिससे महीने भर की करेंट अफेयर्स एक साथ एकत्र हो जाती हैं। अधिक करेंट अफेयर्स होने के कारण छात्र प्रायः सभी लेखों को पढ़ नहीं पाते। अंततः वे वार्षिकी और अर्द्धवार्षिक मैगजीन पर निर्भर हो जाते हैं।
2. परफेक्ट-7 मैगजीन आईएएस और पीसीएस केंद्रित परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाओं में आईएएस और पीसीएस परीक्षा के नाम पर अनावश्यक एवं अतिरिक्त सामग्री शामिल कर देते हैं, जिससे छात्रों में कन्फ्यूजन हो जाता है।
3. परफेक्ट-7 मैगजीन में 15 दिन के दौरान महत्त्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी घटनाओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा 7 संपादकीय लेख, महत्त्वपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं पर 42 लेख, रचनात्मक शैली में 7 ब्रेन-बूस्टर, करेंट अफेयर्स, वन लाइनर, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न आदि दिए जाते हैं। इसके साथ व्यक्ति विशेष नाम का एक खंड भी है जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के देश और समाज के प्रति योगदान को दर्शाता है। इस तरह 15 दिन की अवधि में आईएएस, पीसीएस परीक्षा केंद्रित कोई भी महत्त्वपूर्ण सूचना और खबर नहीं छूटती।
4. इसके साथ ही केस स्टडी खंड के माध्यम से छात्र यह सीखते हैं कि एक अधिकारी को अपने कार्यकाल के दौरान कैसी परिस्थितियों का सामना करना होता है और उसका क्या समाधान हो सकता है?
5. परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन के माध्यम से Dhyeya IAS के सबसे महत्त्वपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम PMI (Pre + Mains + Interview) की अच्छे से तैयारी हो जाती है।
6. करेंट अफेयर्स आधारित कक्षाओं में परफेक्ट-7 के माध्यम से तैयारी कराई जाती है जिससे छात्रों की गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो पाती है।
7. परफेक्ट-7 मैगजीन प्रत्येक माह की 10 और 25 तारीख को छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाती है, वहीं अन्य संस्थानों की मैगजीन में करेंट अफेयर्स पिछले महीने का होता है और पत्रिका में आगे का अगला महीना अंकित होता है, अर्थात करेंट अफेयर्स लगभग 1 माह पुराना होता है।
8. परफेक्ट-7 मैगजीन में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा केंद्रित मॉक टेस्ट रहते हैं जिसके माध्यम से छात्र अपनी तैयारी को और भी सटीक बना सकते हैं।

-: For any feedback Contact us :-
+91 6393005298
perfect7magazine@gmail.com

OUR OTHER INITIATIVES

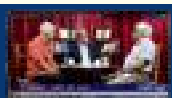

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

पहला पन्ना

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

ध्येयIAS most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

इस अंक में ...

प्रबंध संपादक : विजय सिंह
: बाघेन्द्र सिंह
संपादक : विवेक ओझा
सह-संपादक : आशुतोष मिश्र
: सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक : हरि ओम पाण्डेय
: भानू प्रताप
संपादकीय सहयोग : दीपक त्रिपाठी
: सल्तनत परवीन
: नितिन, अर्शदीप
: ऋषिका तिवारी
: ऋतु, प्रत्यूषा
: तपस्या, लोकेश
मुख्य समीक्षक : ए.के. श्रीवास्तव
शोध एवं समीक्षक : शशांक त्रिपाठी
डिजाइनिंग एवं : अरूण मिश्र
डेवलेपमेंट : पुनीष जैन
सोशल मीडिया : केशरी पाण्डेय
सहयोग : जीवन ज्योति
मार्केटिंग सहयोग : रवीश, प्रियांक
टंकण : सचिन, तरून
तकनीकी सहायक : वसीफ खान
कार्यालय सहायक : राजू, चंदन, गुड्डू
: अरूण, राहुल

समसामयिकी लेख 5-18

1. बाह्य अंतरिक्ष में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना समय की मांग
2. एससीओ के पूरक के रूप में एक्सिस ऑफ सेवन: मध्य एशिया में चीन का बढ़ता कद और भारत पर इसका प्रभाव
3. भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के महत्त्वपूर्ण पहलू: भारत के व्यापार विविधीकरण को बढ़ावा
4. बाईस्टैंडर इफेक्ट: मानव के सामाजिक जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव
5. भारतीय नौसेना और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के तकनीकी सहयोग से नौसैन्य क्षमता में मजबूती
6. अखंड भारत विचार का इतिहास और भारत के पड़ोसी देशों पर इसका प्रभाव
7. कार्बन सीमा समायोजन तंत्र: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत पर इसके प्रभाव

राष्ट्रीय 19-23
अंतर्राष्ट्रीय 24-28
पर्यावरण 29-33
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 34-38
आर्थिकी 39-43
विविध 44-48
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 49-52
समसामयिक घटनाएं एक नजर में ... 53
ब्रेन-बूस्टर 54-60
प्रीलिम्स आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 61-66
मुख्य परीक्षा विशेष: भूगोल, भारतीय समाज और सामाजिक न्याय पर आधारित महत्त्वपूर्ण प्रश्न 67-79
समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 80-81
व्यक्तित्व 82

साभार:- PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, Deccan Herald, HT, ET, ToI, दैनिक जागरण व अन्य

आगामी अंक में

- यूएन पीसकीपिंग मिशन में भारत की भूमिका की समीक्षा
- विलंबित मानसून: अल नीनो बना भारत के लिए चिंता का कारण
- विविधतापूर्ण देश में समान नागरिक संहिता की प्रासंगिकता
- RBI की मौद्रिक नीति बैठक: विकास और मुद्रास्फीति में बैलेंस बनाना समय की मांग
- रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग: भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की हालिया पहल
- महारत्न कंपनियों के कार्यप्रणाली के नियमन हेतु सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- भारत में खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलन में विदेशी षड्यंत्र की संभावित भूमिका

बाह्य अंतरिक्ष में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना समय की मांग

'' भविष्य का संघर्ष अंतरिक्ष में शुरू नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत जल्दी अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाएगा और यह अंतरिक्ष में जीता या हारा जा सकता है। इसलिए हमें अंतरिक्ष में अपने महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उनको संरक्षित करने के लिए तैयार रहना होगा '' - एयर चीफ मार्शल सर माइक विगस्टन , चीफ ऑफ एयर स्टाफ , यूके (फाइनेंशियल टाइम्स, लंदन से उद्धृत)

- अंतरिक्ष युद्ध अब विज्ञान की कपोल कथा भर नहीं रह गया है बल्कि इसने अभी से आकार लेना शुरू कर दिया है। दुश्मन देश खतरे पैदा कर सकते हैं और महत्त्वपूर्ण उपग्रह जैसे संचार व जीपीएस नेविगेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे किसी भी देश के महत्त्वपूर्ण वित्तीय और तकनीकी संचालन को पंगु बनाया जा सकता है।
- उपग्रह, बैंकिंग प्रणाली से लेकर मौसम की भविष्यवाणी तक, आधुनिक जीवन के बड़े हिस्से को नियंत्रित और प्रबंधित करते हैं जो खुफिया जानकारी एकत्र करने, संचार, नेविगेशन तथा मार्गदर्शन के माध्यम से सैन्य संचालन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। ऐसे परिदृश्य में, किसी देश की कक्षीय संपत्तियों पर हमले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसलिए बाह्य अंतरिक्ष में शांति बनाए रखना और उपग्रहों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना अपरिहार्य हो जाता है।

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र ने शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकने के लिए एक नई संधि की सिफारिश की है।
- संयुक्त राष्ट्र की यह नीति 'सकल मानवता के लिए-बाह्य अंतरिक्ष के भविष्य का शासन' नामक शीर्षक से प्रकाशित की गयी जिसके अनुसार, मई 2024 में इस नीति को जारी करने के लिए, यह संवाद अंतरिक्ष प्रणालियों के खतरों को दूर करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, नियमों और सिद्धांतों के विकास की ओर ले जाएगा। संक्षेप में बाहरी अंतरिक्ष सुरक्षा, रक्षा और स्थायित्व के लिए उभरते जोखिमों को संबोधित करने हेतु 'बाध्यकारी और गैर-बाध्यकारी मानदंडों का संयोजन' भी सुझाया गया है। सितंबर, 2024 में न्यूयॉर्क में होने वाले यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर से पहले ये सिफारिशें सामने आई हैं।
- भविष्य के शिखर सम्मेलन में, सदस्य देश बेहतर कल के लिए और वैश्विक शासन को मजबूत करने के लिए बहुपक्षीय समाधानों पर सहमत हो सकते हैं।

बाह्य अंतरिक्ष क्या है?

- बाह्य अंतरिक्ष में खगोलीय पिंडों के वातावरण के बाहर ब्रह्मांड के अपेक्षाकृत खाली क्षेत्र शामिल हैं। बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग इसे हवाई क्षेत्र और स्थलीय स्थानों से अलग करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ-साथ वायुमंडल का घनत्व धीरे-धीरे कम होता जाता है।
- हालांकि, व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इस सीमा को कार्मन रेखा द्वारा सीमांकित किया गया है जो औसत समुद्र तल से 62 मील (100 किलोमीटर) ऊपर स्थित है तथा पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष की शुरुआत की सीमा बनाती है।

अंतरिक्ष मलबे और केसलर सिंड्रोम:

- नासा के अनुसार, अंतरिक्ष मलबे में प्राकृतिक उल्कापिंड और कृत्रिम (मानव निर्मित) कक्षीय मलबे दोनों शामिल हैं। इस तरह के मलबे में गैर-कार्यात्मक उपग्रह, परित्यक्त (Unused) लॉन्च वाहन चरण, मिशन से संबंधित मलबे शामिल हैं।
- पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सॉफ्टबॉल से बड़े मलबे के लगभग 23,000 टुकड़े हैं। वे 17,500 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं, जो किसी उपग्रह या अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुँचाने में सक्षम हैं।
- 1996 में एक फ्रांसीसी उपग्रह, फ्रांसीसी रॉकेट के मलबे से टकराया और क्षतिग्रस्त हो गया, जो अपने जीवनकाल से एक दशक पहले फट गया था। 2009 में, एक निष्क्रिय रूसी अंतरिक्ष यान एक कार्यशील अमेरिकी वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान से टकराकर नष्ट हो गया। इस टकराव से अंतरिक्ष कबाड़ में भारी वृद्धि की गई है।
- जब पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में मलबे की मात्रा उस बिंदु तक पहुंच जाती है जहां यह बड़ी मात्रा में अंतरिक्ष मलबे बनाता है तो यह उपग्रहों और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अधिक जोखिम पैदा करता है, इस घटना को केसलर सिंड्रोम कहा जाता है।
- मलबे का संग्रह एक बादल का आकार ले लेता है और यह दशकों तक कक्षा में बना रहता है। इस मलबे के बादल में एक परमाणु हथियार की क्षमता है जिसका उपयोग किसी भी देश के उपग्रहों को लक्षित करके नष्ट या क्षति पहुँचाने के लिए किया जा सकता है।

बाह्य अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण:

- बाह्य अंतरिक्ष की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष मलबे द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के साथ-ही बाह्य अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण भी एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है।
- चीन, अमेरिका, भारत और रूस ने जमीन से मिसाइलों के साथ ही अपने स्वयं के उपग्रहों को नष्ट करके उपग्रह-विरोधी क्षमताओं का परीक्षण किया है, लेकिन ऐसे प्रदर्शन मलबे के विशाल बादल बनाते हैं जो अन्य उपग्रहों को दशकों तक खतरे में डालते हैं।
- चीन ने 2007 में अपने पुराने मौसम उपग्रहों में से एक को नष्ट करने के लिए अंतरिक्ष में 500 मील की दूरी पर एक मिसाइल दागी थी। इस परीक्षण ने मलबे के हजारों टुकड़े बनाए और यह संकेत दिया कि बीजिंग दुश्मन के उपग्रहों को निशाना बनाने में भी सक्षम है। बाद में, अमेरिका ने इसी तरह का अभियान चलाया

जब उसने अपने एक जासूसी उपग्रह को मार गिराया, जो 2008 में खराब हो गया था।

- सिमुलेशन अभ्यास के हिस्से के रूप में, चीनी सैन्य वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के निकट की कक्षाओं में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए एक परमाणु-विरोधी उपग्रह हथियार का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने एक युद्ध के रूप में अंतरिक्ष की मान्यता को औपचारिक रूप देने के लिए लड़ाई डोमेन में एक समर्पित 'अंतरिक्ष बल' भी स्थापित किया है जबकि यूके एक 'स्पेस कमांड' बनाने की योजना बना रहा है।

भारत और बाह्य अंतरिक्ष:

- मार्च 2019 में भारत ने मिशन शक्ति के अंतर्गत एक मिसाइल परीक्षण के द्वारा एक निम्न-कक्षा में गति कर रहे उपग्रह को नष्ट कर दिया था जिसके बाद भारत 'उपग्रह रोधी प्रौद्योगिकी' रखने वाले देशों की कतार में शामिल हो गया। अमेरिका, रूस और चीन के बाद एंटी-सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला भारत चौथा देश बन गया है।
- मिशन शक्ति के हिस्से के रूप में इस मिशन का नेतृत्व देश के प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने किया था। अंतरिक्ष को युद्ध के मैदान में बदला जा रहा है, जिससे प्रति-अंतरिक्ष क्षमताएं महत्त्वपूर्ण हो रही हैं। इस आलोक में, एक एंटी सैटेलाइट हथियार के द्वारा एक उपग्रह को नष्ट करने का भारत का सफल प्रयास महत्त्वपूर्ण है।
- भारत ने अपनी अंतरिक्ष संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए कई पहले की हैं। 2022 में इसरो ने टकराव के खतरों वाली वस्तुओं की लगातार निगरानी करने, अंतरिक्ष मलबे के विकास की भविष्यवाणी करने और अंतरिक्ष मलबे से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए 'सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट' की स्थापना की।
- इसरो ने अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं के साथ टकराव से बचने के लिए 2022 में भारतीय परिचालन अंतरिक्ष संपत्ति के 21 बार अपने उपग्रह के पथ को बदला है। इसरो ने अंतरिक्ष मलबे के खतरे की निगरानी और उसे कम करने के लिए अंतरिक्ष मलबा अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया है। 'प्रोजेक्ट नेत्र' भारतीय उपग्रहों को मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है।
- नई भारतीय अंतरिक्ष नीति (जिसे 20 अप्रैल, 2023 को सार्वजनिक किया गया था) में कहा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संचालनात्मक अंतरिक्ष प्रणालियों के निर्माण से हटकर उन्नत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करेगा।

बाहरी अंतरिक्ष का मौजूदा नियमन:

- 1959 में, संयुक्त राष्ट्र ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों की समीक्षा करने और बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सक्षम करने के लिए बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों पर एक समिति की स्थापना की थी।
- 1963 में कई देश बाहरी अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाने पर सहमत हुए थे। 1977 में अंतरिक्ष पर्यावरण को एक हथियार के रूप में बदलने पर रोक लगाने पर भी सहमति बनी थी।

बाह्य अंतरिक्ष संधि:

- बाहरी अंतरिक्ष संधि, जिसे चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज व उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों वाली संधि भी कहा जाता है, 10 अक्टूबर, 1967 को लागू हुई थी। यह संधि पार्टियों को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग करने के लिए बाध्य करती है।
- चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में अन्य पिंडों पर परमाणु हथियार या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रेकशन रखने की मनाही है।
- कुछ देश चंद्रमा या अन्य खगोलीय पिंडों पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकते।
- देश अंतरिक्ष में अपनी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं, अपने क्षेत्र से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित की गई वस्तुओं के कारण होने वाली किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी हैं और संकट में अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता करने के लिए बाध्य हैं।
- कुछ सभी पक्ष बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों को खुले तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संचालित करने के लिए सहमत हैं।

आगे की राह:

- जब अंतरिक्ष गतिविधियों की बात आती है तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कानून, नीति और सुरक्षा के क्षेत्र स्वाभाविक रूप से आपस में जुड़ जाते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में अक्सर नागरिक और सैन्य अनुप्रयोग एक साथ संबंधित होते हैं तथा बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग के बारे में किए गए विकल्प सीधे अंतर्राष्ट्रीय शांति, स्थिरता और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।
- बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के दायरे की समीक्षा करने, निरंतर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और बाह्य अंतरिक्ष मामलों पर सूचना के प्रसार और बाहरी अंतरिक्ष की खोज से उत्पन्न होने वाले कानूनी प्रश्न का अध्ययन करने की आवश्यकता है।
- अंतरिक्ष मानव जाति की साझी विरासत है और प्रत्येक राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वह उन कार्यों से बचें जो इस क्षेत्र के सैन्यकरण को जन्म दे सकते हैं।
- जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि 'पिछले एक दशक में, बाहरी अंतरिक्ष में मूलभूत परिवर्तन देखा है। यह सुनिश्चित करना हमारी साझा जिम्मेदारी है कि नवाचार को बढ़ावा देने और जोखिमों को कम करने के लिए प्रभावी शासन मौजूद हो'।

एससीओ के पूरक के रूप में एक्सिस ऑफ सेवनः मध्य एशिया में चीन का बढ़ता कद और भारत पर इसका प्रभाव

मध्य एशिया क्षेत्र लंबे समय से वैश्विक तथा क्षेत्रीय ताकतों के लिए भू-सामरिक, भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक मंसूबों का गढ़ रहा है। जब से अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो फौजे हटी हैं तथा रूस लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, तब से मध्य एशिया क्षेत्र में एक पॉवर वैक्यूम की स्थिति महसूस की जा रही थी जिसे भरने के लिए अब चीन सक्रिय हो उठा है। हाल ही में चीन में आयोजित हुए चीन-मध्य एशियाई समिट में चीन ने इस बात का संकेत दिया है कि वह मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई प्रदान करने जा रहा है। इस बैठक में पांच मध्य एशियाई देशों के अलावा चीन और रूस की उपस्थिति के चलते इसे एक्सिस ऑफ सेवन के रूप में देखा गया है जो सेंट्रल एशिया क्षेत्र में चीन के प्रभाव को बढ़ाने का एक प्रयास माना जा सकता है। चीन ने इस बैठक में कहा है कि वह मध्य एशियाई देशों में अवसंरचना विकास हेतु विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करेगा, इन देशों में निवेश बढ़ाएगा, इनके साथ अलग-अलग स्तर पर साझेदारियों को संपन्न करेगा ताकि मध्य एशियाई क्षेत्र को शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध बनाया जा सके। ऐसा करके चीन मध्य एशियाई देशों को यह संदेश देना चाहता है कि मध्य एशिया के सुरक्षा और विकास की चीन को बहुत परवाह है। क्षेत्रीय राजनीति की सफलता के लिए ऐसी परवाह के मायने दूरगामी भी होते हैं। यही सोचकर चीन ने मध्य एशियाई देशों में बिजनेस को बढ़ावा देने, वेयरहाउसेज का निर्माण करने और इन देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष ट्रेन सेवा शुरू करने की बात की है। चीन ने मध्य एशियाई देशों को 26 बिलियन युआन (3.8 बिलियन डॉलर) के अनुदान और विकास सहायता देने की बात की है। दरअसल चीन को भारत की अपने पड़ोसियों सहित एशिया, अफ्रीका, लैटिन, अमेरिका देशों के साथ बढ़ती विकास साझेदारी, विकास सहयोग रणनीति से असहजता होने लगी है जिसके चलते चीन बड़े पैमाने पर दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों और उनके देशों के साथ अवसंरचना कूटनीति का खेल खेलकर अपने सामरिक तथा भू राजनीतिक मंसूबों को प्राप्त करना चाहता है।

मध्य एशिया में चीन की बढ़ती आर्थिक ऊर्जा कूटनीतिः

- मध्य एशियाई देशों का सबसे बड़ा आर्थिक और विकास साझेदार बनना आज चीन का एक बड़ा लक्ष्य बन चुका है। पिछले वर्ष चीन और मध्य एशियाई देशों के बीच रिकॉर्ड 70 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है जिसमें अकेले 31 बिलियन डॉलर का व्यापार कजाखस्तान के साथ हुआ है। चीन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि चीन सेंट्रल एशिया नेचुरल गैस पाइपलाइन के लिए लाइन डी के निर्माण में और तेजी लाई जाए। चीन ने मध्य एशियाई देशों के साथ ऊर्जा व्यापार (प्राकृतिक तेल व गैस व्यापार) को बढ़ावा देने का आह्वाहन किया है। इसके साथ ही चीन ने नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग पर सहयोग समझौता बढ़ाने पर भी बल दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में चीन के दीर्घकालिक लक्ष्य की महत्त्वाकांक्षा भी साफ दिखाई देती है कि कैसे वह भारत को सेंट्रल एशिया में प्रभावहीन बनाने की तैयारी कर रहा है? चीन के राष्ट्रपति ने चीन मध्य एशिया की हालिया बैठक में कहा है कि चीन क्रॉस कैस्पियन सी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को समर्थन देगा, साथ ही चीन यूरोप फ्रेट ट्रेन सर्विसेज के लिए टांसपोर्ट हबों के निर्माण कार्य को मजबूती देगा।

मध्य एशिया में भारत के हितों को चुनौती देता चीनः

- चीन भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, चाबहार, अश्गाबाद एग्रीमेंट जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को अपने नए अवसंरचना विकास प्रोजेक्ट्स के जरिए काउंटर करने के काम में लगा है। सेंट्रल एशिया के देशों और रूस के साथ चीन का यह गठजोड़ जिसे एक्सिस ऑफ सेवन के रूप में देखा गया है शंघाई सहयोग संगठन के सहायक या पूरक के रूप में कितना कार्य कर पाएगा? यह तो भविष्य में पता लगेगा लेकिन यह बात स्पष्ट है कि इसमें भारत और ईरान जैसे क्षेत्रीय शक्तियां शामिल नहीं हैं तो यह नया मंच द्विपक्षीय स्तर पर निजी हितों को पूरा करने के मंच के रूप में अधिक कार्य करेगा। जब से भारत ने मध्य एशियाई देशों के साथ हर स्तर पर संबंध मजबूत करना शुरू किया है, चीन उन्हें कमजोर करने की कोशिश में लगा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से पहले भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया था और सेंट्रल एशिया को भारत के एक्सटेंडेड नेबरहुड के रूप में चित्रित किया गया था। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर यह पहली भारत-मध्य एशिया समिट आयोजित की गई थी।

पहले भारत मध्य एशिया समिट से संबंधों में मजबूती :

- 2022 में आयोजित हुए पहले भारत मध्य-एशिया समिट में भारत और मध्य एशियाई देशों के नेताओं ने व्यापार व संपर्क, विकास सहयोग, रक्षा और सुरक्षा तथा विशेष रूप से सांस्कृतिक व लोगों से लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों में आगे सहयोग के लिए दूरगामी प्रस्तावों पर चर्चा की थी। इसमें ऊर्जा तथा संपर्क पर गोलमेज बैठक, अफगानिस्तान और चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर वरिष्ठ आधिकारिक स्तर पर संयुक्त कार्य समूह, मध्य एशियाई देशों में बौद्ध प्रदर्शनी और सामान्य शब्दों का भारत-मध्य एशिया शब्दकोश, संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास, मध्य एशियाई देशों से भारत में हर साल 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल की यात्रा एवं मध्य एशियाई राजनयिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम शामिल हैं। बैठक में अफगानिस्तान में वास्तविक प्रतिनिधि और समावेशी सरकार के गठन की बात की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान की जनता को निरंतर मानवीय सहायता प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता से अवगत कराया था।

- उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान मध्य एशिया में भारत के लिए प्रवेश द्वार के रूप में है, इसलिए भारत चाहता है कि सेंट्रल एशिया के देशों के अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध बने रहें। इसी कड़ी में भारत और मध्य एशियाई नेताओं की ओर से 2022 में एक व्यापक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया गया, जिसमें स्थायी और व्यापक भारत-मध्य एशिया साझेदारी के लिए उनके साझा दृष्टिकोण को व्यक्त किया गया था। दोनों पक्षों ने दिल्ली घोषणापत्र जारी किया था जिसके महत्त्वपूर्ण बिंदु हैं:
  - प्रत्येक 2 वर्ष में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना।
  - विदेश मंत्रियों और वाणिज्य मंत्रियों के बीच नियमित अन्तराल पर बैठकें आयोजित करना।
  - अफगानिस्तान पर संयुक्त कार्य समूह' का गठन होना।
  - 'संयुक्त आतंकवाद निरोधी अभ्यास' किया जाना।
  - चाबहार बंदरगाह के उपयोग को संचालित करने के लिए समूह का गठन होना।
  - दिल्ली में भारत-मध्य एशिया के लिए एक सचिवालय की स्थापना करना।
  - भारतीय अस्पतालों और विश्वविद्यालयों में मध्य एशियाई देशों की पहुंच में वृद्धि करने का प्रयास करना।

भारत और मध्य एशिया के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की पहली बैठक:

- दिसंबर, 2022 में यह पहली बार हुआ है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच पहली बैठक नई दिल्ली में हुई है। यह बैठक अपने आप में अत्यधिक महत्त्व रखती है। उसका कारण यह है कि आज जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और वहां पर रूल ऑफ लॉ, कानून-व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा संस्थाओं के क्षरण, लैंगिक न्याय पर किए गए आघात, निष्पक्ष निर्वाचन की धूमिल संभावनाएं, बढ़ता नारको आतंकवाद, अलगाववाद, धार्मिक कट्टरता के मध्य एशियाई देशों में फैलने की संभावना बढ़ी है, तब से मध्य एशियाई देशों की सुरक्षा व विकास का मुद्दा भारत, चीन, रूस जैसे देशों के लिए प्राथमिक महत्त्व का हो गया है। भारत का मानना है कि एक शांतिपूर्ण, स्थिर सुरक्षित और समृद्धि मध्य एशिया क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है। इन्हीं परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर पर भारत और सेंट्रल एशिया के देशों के बीच बैठक आयोजित की गई। भारत को आतंकवाद और संगठित अपराधों से निपटने के लिए मध्य एशियाई देशों का सहयोग चाहिए तथा इस क्षेत्र में आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाने की बात एनएसए अजीत डोभाल ने की है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कहना है कि सेंट्रल एशिया हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है और यहां कनेक्टिविटी तथा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है।

भारत-मध्य एशिया संबंध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- भारत और मध्य एशिया के संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को प्राचीन रेशम मार्ग के जरिए होने वाले व्यापार में देखा जा सकता है। भारत का कुषाण साम्राज्य भारत और आधुनिक मध्य एशिया के भू-क्षेत्र तक फैला था। आर्थिक रूप से देखा जाये तो प्राचीन मध्य एशियाई शहर फरगना, समरकंद और बुखारा ने भारत को चीन तथा यूरोप से जोड़ने वाले रेशम व्यापारिक मार्ग में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन समय में भारत के व्यापारियों ने मध्य एशिया के स्थानीय बाजारों के अभिन्न भाग के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा भारत से बौद्ध धर्म मध्य एशिया और मध्य एशिया से सूफीवाद भारत आया था। सोवियत संघ के विघटन से पूर्व भारत ने एकमात्र मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान के ताशकंद में वर्ष 1987 में कॉन्सुलेट की स्थापना की थी। 1990 के बाद पांच मध्य एशियाई देश कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान स्वतंत्र देश बने। वर्ष 1993 में भारतीय प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान और कजाखस्तान की यात्रा की थी तथा 1995 में तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा की जिसमें व्यापार, निवेश और विकास सहायता पर समझौते किए गए। इसमें धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद, नार्को अपराध और हिंसा से सामूहिक स्तर पर निपटने की बात की गई थी। भारत ने ताजिकिस्तान को दीर्घकालिक सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया। भारत का मध्य एशिया क्षेत्र में पहला सैन्य अड्डा भी यही खोला गया था। भारत और ताजिकिस्तान ने 2002 में एक द्विपक्षीय प्रतिरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया था जिसके तहत भारत ने एक भूतपूर्व सोवियत एयरबेस अयनी के पुनर्निर्माण में योगदान दिया था। इसी प्रकार ताशकंद भारत के लिए एक शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश रहा है। भारत ने मध्य एशिया क्षेत्र में सैन्य प्रशिक्षण के जरिए महत्त्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। भारत ने वर्ष 2011 में किर्गिस्तान के साथ अपना पहला संयुक्त सैन्याभ्यास खंजर संपन्न किया था। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए मध्य एशिया के साथ अपने को जोड़कर तापी गैस पाइपलाइन की शुरुआत की, जिसका विचार पहली बार 1990 के दशक के मध्य में दिया गया था।
- मध्य एशिया भू आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है। वस्तुत: यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। यहाँ कजाकिस्तान में विश्व का दूसरा बड़ा यूरेनियम भंडार है, तो तुर्कमेनिस्तान में विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है। साथ ही भारतीय कम्पनियों के लिए यहां एक बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। 2008 में कजाखस्तान ने भारत के द्वारा नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के देशों के साथ असैन्य नाभिकीय सहयोग के प्रयासों का समर्थन किया था। कजाखस्तान ने माना कि भारत एनएसजी का सदस्य बने बगैर उसके सदस्य देशों के साथ नाभिकीय व्यापार करने का पात्र है, क्योंकि भारत नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर बल देता है। भारत ने मध्य एशियाई देशों के साथ असैन्य परमाणु सहयोग समझौता करके उनसे यूरेनियम प्राप्त किया है और कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को मजबूती दी है।

भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के महत्त्वपूर्ण पहलू: भारत के व्यापार विविधीकरण को बढ़ावा

किसी भी देश के विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना होता है। इन में राष्ट्र का आर्थिक हित भी शामिल है जिसके लिए विभिन्न देश अलग-अलग देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौते करते हैं। भारत भी दुनिया भर में अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर नीतियां बनाता रहा है और उसी कड़ी में भारत की नई विदेशी व्यापार नीति 2023 भी जारी कर दी गई है। इस नीति के जरिए भारत ने अपने विदेशी व्यापार के विविधीकरण का लक्ष्य रखा है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सहित दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में अपने वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने तथा उससे जुड़ी संभावनाओं की चर्चा इस नीति में की गई है। विदेशी व्यापार के संबंध में आने वाली चुनौतियां, भारत का कुछ देशों के साथ बढ़ता हुआ व्यापारिक घाटा, भारत द्वारा मुक्त व्यापार नीति और वरीयता मूलक व्यापार नीति को संपन्न करने की नीति जैसे मुद्दों पर भी इससे मार्गदर्शन मिलता है। विदेश व्यापार नीति, 2023 एक गतिशील नीति है और भारत की उभरती आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए पूरी तरह से ओपेन एंडेड नीति के रूप में बनाई गई है। आज भारत को वैश्विक बाजारों में अपने निर्यात को बढ़ाने और वैश्विक मूल्य शृंखला से और अधिक गहराई से जुड़ने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार विदेश व्यापार नीति (2023) एक नीतिगत दस्तावेज है जो निर्यात को सुगम बनाने वाली समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली योजनाओं की निरंतरता पर आधारित है। इस नई विदेश व्यापार नीति के 4 प्रमुख स्तंभ हैं:

1. प्रोत्साहनों से छूट की ओर बढ़ना।
2. गठबंधनों-निर्यातकों, राज्यों, जिलों, भारतीय मिशनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन।
3. व्यवसाय करने की सुगमता, कारोबार लागत में कमी तथा ई-पहल।
4. उभरते क्षेत्र-निर्यात हबों के रूप में ई-कॉमर्स विकासशील जिले तथा स्कोमेट (SCOMET) नीति को विवेकपूर्ण बनाना।

निर्यातकों के लिए व्यवसाय सुगमता पर बल:

- विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य निर्यातकों के लिए व्यवसाय को सरल बनाना है। इसके लिए प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग तथा ऑटोमेशन पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया गया है। इस नीति का मुख्य ध्यान स्कोमेट के तहत ड्यूल यूज हाई एंड टेक्नोलॉजी आइटम्स जैसे उभरते क्षेत्रों, ई-कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाने, निर्यात संवर्धन के लिए राज्यों तथा जिलों के साथ गठबंधन करने पर भी है। इस नीति में भारत के कुछ प्रमुख शहरों को निर्यात उत्कृष्टता के शहर का दर्जा देकर उन्हें वैश्विक निर्यात शृंखला से जोड़ने की बात की गई है। चार नए शहरों (फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद तथा वाराणसी हैं) को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता के शहर (TEE) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। साथ ही एफटीपी 2023 ''टाऊंस ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस स्कीम'' के माध्यम से नए शहरों तथा ''स्टेटस होल्डर स्कीम'' के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित करने को भी प्रोत्साहित करती है। वहीं टीईई को एमएआई स्कीम के तहत निर्यात संवर्धन फंडों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंच होगी और वे ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात पूर्ति के लिए सामान्य सेवा प्रदाता (CSP) का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इन शहरों के जोड़े जाने से हस्तकरघा, हस्तशिल्प तथा कालीन के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नई विदेश व्यापार नीति 2023 ने निर्यातकों के व्यावसायिक सुगमता के लिए पुराने लंबित प्राधिकरणों को बंद करने तथा नए सिरे से जरूरत के आधार पर आरंभ करने के लिए एकमुश्त एमनेस्टी स्कीम भी लांच करने का मार्ग प्रशस्त किया है।

एमनेस्टी स्कीम

भारत सरकार ने निर्यात के संबंध में मुकदमेबाजी को खत्म करने और निर्यातकों के सामने आने वाले तनावपूर्ण मुद्दों को समाप्त करने में सहायता करने के लिए विश्वास आधारित संबंधों को बढ़ावा देने के इस नई नीति में अपना सहयोगी दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। 'विवाद से विश्वास' पहल के अनुरूप, जिसमें कर विवादों (Tax Disputes) को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने की इच्छा जताई गई है, केंद्र सरकार ने निर्यात दायित्वों के डिफॉल्ट पर ध्यान देने के लिए एफटीपी 2023 के तहत एक विशेष एकमुश्त एमनेस्टी (माफी) स्कीम लागू किया है। इस स्कीम का प्रयोजन उन निर्यातकों को राहत प्रदान करना है जो ईपीसीजी और अग्रिम प्राधिकरणों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हैं और जो उच्च शुल्क तथा लंबित मामलों से जुड़ी ब्याज लागत के बोझ से दबे हुए हैं। उल्लिखित प्राधिकरणों के निर्यात दायित्वों (EO) को पूरा करने में डिफॉल्ट के सभी लंबित मामलों को सभी सीमाशुल्कों के भुगतान पर नियमित किया जा सकता है जिन्हें अपूर्ण निर्यात दायित्व के अनुपात में छूट दी गई थी। देय ब्याज की अधिकतम सीमा इस स्कीम के तहत इन छूट प्राप्त शुल्कों के 100 प्रतिशत पर निर्धारित की गई है। बहरहाल अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क के हिस्से पर कोई ब्याज देय नहीं है। इससे निर्यातकों को राहत प्राप्त होने की उम्मीद है क्योंकि ब्याज के बोझ में उल्लेखनीय कमी आ जाएगी। ऐसी उम्मीद की जाती है कि यह इन निर्यातकों को एक नई शुरुआत देगी और अनुपालन करने का एक अवसर प्रदान करेगी। इस प्रकार एफटीपी 2023 लोकप्रिय अग्रिम प्राधिकरण और ईपीसीजी स्कीमों को युक्तिसंगत बनाने तथा भारत से वस्तु व्यापार को सक्षम बनाने के द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित करती है।

नई विदेश व्यापार नीति में मर्चेंटिंग व्यापार पर जोरः

- भारत को एक मर्चेंटिंग व्यापार हब के रूप में विकसित करने के लिए, एफटीपी 2023 में मर्चेंटिंग व्यापार के लिए प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं। इस निर्यात नीति के तहत सीमित एवं प्रतिबंधित मदों का मर्चेंटिंग व्यापार अब संभव हो सकेगा। मर्चेंटिंग व्यापार में भारतीय बंदरगाहों में आए बिना एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का निर्यात शामिल होता है जिसमें एक भारतीय मध्यवर्ती की भागीदारी होती है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा और सीआईटीईएस तथा स्कोमेट सूची में वर्गीकृत वस्तुओं/मदों के लिए लागू नहीं होगा। समय के साथ, यह भारतीय उद्यमियों को गिफ्ट सिटी आदि जैसे कुछ स्थानों को प्रमुख मर्चेंटिंग हबों में तब्दील होने में सक्षम बनाएगा जैसा दुबई, सिंगापुर और हांगकांग जैसे स्थानों में देखा गया।

क्या है ईपीसीजी स्कीम और इसका नई नीति में सरलीकरण?

- ईपीसीजी स्कीम, जो निर्यात उत्पादन के लिए शून्य सीमा शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात में सक्षम बनाती है, को और विवेकपूर्ण बनाया जा रहा है। जोड़े जा रहे कुछ प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं:
- पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (EPCG) स्कीम की सामान्य सेवा प्रदाता (CSP) स्कीम के तहत लाभ का दावा करने में सक्षम एक अतिरिक्त स्कीम के रूप में प्रधानमंत्री मेगा समेकित वस्त्र क्षेत्र तथा परिधान पार्क (पीएम मित्रा) स्कीम को जोड़ा गया है।
- डेयरी सेक्टर को प्रौद्योगिकी से अपग्रेड करने में सहायता प्रदान करने के लिए औसत निर्यात दायित्व बनाये रखने से छूट उपलब्ध कराई जाएगी।
- सभी प्रकार के बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (BEV), वर्टिकल फार्मिंग इक्विपमेंट, अपशिष्ट जल उपचार तथा रिसाइक्लिंग, वर्षा जल संचयन प्रणाली, वर्षा जल फिल्टर और हरित हाइड्रोजन को हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों में शामिल किया गया है जो अब ईपीसीजी स्कीम के तहत निम्न निर्यात दायित्व आवश्यकता के लिए पात्र होंगे।

ई-कॉमर्स निर्यातों की सुविधा पर बलः

- नई विदेश व्यापार नीति 2023 में ई-कॉमर्स निर्यात के लाभों को आशाजनक दृष्टि से देखा गया है जिसके लिए पारंपरिक ऑफलाइन व्यापार से विशिष्ट नीतिगत युक्तियों की आवश्यकता होती है। विभिन्न अनुमानों में कहा गया है कि 2030 तक 200 बिलियन डॉलर से 300 बिलियन डॉलर की सीमा में ई-कॉमर्स निर्यात क्षमता होगी। एफटीपी 2023 ई-कॉमर्स हबों की स्थापना तथा पेमेंट रिकौंसिलिशन, बुककीपिंग, रिटर्न नीति तथा निर्यात पात्रता जैसे संबंधित तत्वों के लिए अभिप्राय व रूपरेखा दर्शाती है। आरंभिक बिन्दु के रूप में, कूरियर के माध्यम से एफटीपी 2023 में ई-कॉमर्स निर्यात पर खेप-वार अधिकतम सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ा कर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। निर्यातकों के फीडबैक के आधार पर, इस अधिकतम सीमा में और संशोधन किया जाएगा या अंततोगत्वा हटा दिया जाएगा। कूरियर का समेकन और आइसगेट के साथ डाक निर्यात निर्यातकों को एफटीपी के तहत लाभ का दावा करने में सक्षम बनाएगा। ई-कॉमर्स निर्यातों पर कार्य समिति की अनुशंसाओं तथा अंतर-मंत्रालयी विचार विमर्शों के आधार पर निर्यात/आयात इकोसिस्टम पर ध्यान देने वाली व्यापक ई-कॉमर्स नीति के बारे में शीघ्र ही विस्तार से बताया जाएगा। कारीगरों, बुनकरों, परिधान विनिर्माताओं, रत्न एवं आभूषण डिजाइनरों के लिए व्यापक लोकसंपर्क तथा प्रशिक्षण कार्यकलापों को शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा जिससे कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर उन्हें ऑनबोर्ड किया जा सके तथा उच्चतर निर्यात की सुविधा प्रदान की जा सके।

बाईस्टैंडर इफेक्टः मानव के सामाजिक जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव

संदर्भः

दिल्ली के शाहबाद डेयरी क्षेत्र में 20 वर्षीय साहिल खान द्वारा एक नाबालिग लड़की साक्षी की हत्या के दौरान, आसपास के जनता की उदासीनता के कारण "बाईस्टैंडर इफेक्ट" चर्चा में रहा है।

परिचयः

हाल ही में दिल्ली के शाहबाद डेयरी क्षेत्र में रहने वाले 20 वर्षीय साहिल खान द्वारा एक नाबालिग लड़की साक्षी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना में जहां एक तरफ नृशंसता की पराकाष्ठा देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ आसपास के लोगों की उदासीनता ने समाज की दशा तथा दिशा पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न उठाया है। जहां एक तरफ आरोपी पीड़िता पर लगातार चाकू से वार कर रहा था वहीं दूसरी तरफ आस-पास के लोग महज दर्शक बने रहे। लोगों की यह उदासीनता "बाईस्टैंडर इफेक्ट" की चर्चा को प्रेरित कर रही है।

क्या है बाईस्टैंडर इफेक्ट?

- बाईस्टैंडर इफेक्ट, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके अनुसार यह बताया गया है कि किसी घटना के दौरान जितने ज्यादा लोग वहां मौजूद होंगे, उस घटना में लोगों के द्वारा हस्तक्षेप करने अथवा पीड़ित को बचाने की संभावना उतनी ही कम होगी।
- यह सिद्धांत बिब लताने तथा जॉन डार्ले नामक सामाजिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है।
- मनोविज्ञान की बाईस्टैंडर थ्योरी कहती है कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि अकेला इंसान किसी जरूरतमंद की मदद करने आगे बढ़े जबकि अगर भीड़ किसी कोई हादसे या वारदात की गवाह होती है तो उसके मदद करने की संभावना काफी कम होती है।

बाईस्टैंडर इफेक्ट का इतिहासः

- यह सिद्धांत 1964 में एक अमेरिकी महिला किट्टी जेनोवेसा की नृशंस हत्या के उपरांत शोध का विषय बना। इस मामले में एक व्यक्ति के द्वारा न्यूयार्क में रहने वाली महिला किट्टी जेनोवेसा का यौन उत्पीड़न किया गया तथा उस पर चाकू से वार किया गया। यह घटना महिला के अपार्टमेंट के पार्किंग स्थल में हुई जहां 38 लोग (पुलिस रिकार्ड के अनुसार) मौजूद थे परंतु किसी भी व्यक्ति ने महिला की सहायता नहीं की तथा केवल 1 व्यक्ति ही पुलिस के सामने उपस्थित हुआ। इस घटना के उपरांत मनोवैज्ञानिकों की रूचि इस बात में आई की आखिर भीड़ की उदासीनता के क्या कारण थे?

बाईस्टैंडर इफेक्ट पर बिब लताने तथा जॉन डार्ले का अध्ययनः

लताने और डार्ले ने बताया कि कई बार लोग संकटग्रस्त लोगों की मदद करना चाहते हैं परंतु सहायता करने या न करने का निर्णय निम्नलिखित स्थितियों पर निर्भर करता हैः

- घटना को नोटिस करना।
- घटना की गंभीरता (अथवा घटना को आपातस्थिति) को समझना।
- घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का निर्धारण करना।
- हमलावार को रोकने के तरीकों के बारें में सोचना।
- हस्तक्षेप का निर्णय।

हस्तक्षेप न करने के कारणः

लताने और डार्ले के अनुसार निम्नलिखित दो स्थितियों के कारण लोग किसी घटना में हस्तक्षेप करने से बचते हैंः

1. डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी
2. सोशल इन्फ्लुएंस

- **डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीः** इसका तात्पर्य उस अवस्था से है जहां कोई व्यक्ति यह सोचता है कि जब घटनास्थल पर पहले से ही लोग मौजूद हैं तब उसे इस मामले मे उलझने की आवश्यकता नहीं है। यह मानसिकता उस सिद्धांत का समर्थन करती है जिसमें यह माना गया है कि घटना स्थल पर जितने अधिक लोग होंगे उतनी ही हस्तक्षेप कि संभावना कम होगी।
- **सोशल इन्फ्लुएंसः** सोशल इन्फ्लुएंस से तात्पर्य उस अवस्था से है जहां कोई व्यक्ति यह सोचता है कि जब कोई अन्य व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा तब वह घटना को रोकने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही दर्शक की भावनात्मक स्थिति (घटना को इन्जॉय करना या अवसाद में जाना) भी हस्तक्षेप न करने के कारण हो सकते हैं।
- ध्यातव्य है कि बाईस्टैंडर की यह समस्या यौन उत्पीड़न के मामले मे और अधिक बढ़ जाती है।

बाईस्टैंडर इफेक्टः मानव के सामाजिक जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव के रूप में

- वैश्वीकरण के इस दौर में व्यक्तिवाद व्यापक रूप से बढ़ा है। इस दौर में व्यक्ति केवल और केवल स्वयं से संबंधित मामले पर ध्यान देने की जरूरत समझता है।
- संरक्षणवादियों के अनुसार वैश्वीकरण से उत्पन्न हुई सांस्कृतिक आक्रमण के कारण भारतीय समाज में 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' वाली भावना कमजोर हुई है।
- वैश्वीकरण से उत्पन्न पूंजीवाद के दौर में व्यक्ति का निर्णय लाभ तथा हानि के मानकों पर आधारित होता है। इस स्थिति में किसी भी मामले में हस्तक्षेप के पहले व्यक्ति अपने लाभ तथा हानि का अवलोकन करता है। यह मानक किसी व्यक्ति को किसी अन्य से संबंधित मामले में पड़ने से रोकता है।
- वैश्वीकरण के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्ति की दिनचर्या प्रभावित हुई है जिससे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अवसादों तथा समस्याओं से ग्रस्त हैं। इन स्थितियों में व्यक्ति यह सोचता है कि अगर वह किसी अन्य के मामले में हस्तक्षेप करता है तो यह उसके लिए उचित नहीं होगा।
- वर्तमान समय में समाज की अवसंरचना में व्यापक परिवर्तन हो

रहा है जिसके कारण सामूहिकता कमजोर हो रही है। कई बार व्यक्तिगत महत्त्व के मुद्दों को सामाजिक नैतिकता पर प्राथमिकता दी गई है। इस स्थिति के कारण भी लोग किसी अन्य के मामले में हस्तक्षेप करने से बचते हैं।

- वैश्वीकरण ने डिविजन आफ रिस्पांसिबिलिटी को बढ़ा दिया है। समाज के मामले में व्यक्ति अन्य लोगों का अनुसरण करता है तथा स्वयं नेतृत्वकर्ता नहीं बनना चाहता।
- इसके साथ ही साथ किसी के साथ हो रही घटना को इंजॉय करने की भावना, मदद करने के लिए पर्याप्त मोटिवेशन की कमी, पारिवारिक अवरोध इत्यादि समस्याओं के कारण बाईस्टैंडर की समस्या बढ़ रही है।

बाईस्टैंडर इफेक्ट को कम करने हेतु उठाए जा सकने वाले कदम:

व्यक्तिगत स्तर पर

अलर्ट रहना:

- कई बार किसी व्यक्ति को वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं रहता जिसके फलस्वरूप वह सहायता के लिए आगे नहीं आता।
- 1968 में प्रकाशित एक प्रसिद्ध प्रयोग में, एक कमरे में आग लगाई गई जिससे वहां धुआं भरना शुरू हो गया परन्तु कमरे में उपस्थित लोगों ने कोई प्रतिक्रिया की ओर तथा कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गई। अत: लोगों ने मान लिया कि कोई आपात स्थिति नहीं है।
- अत: हमें अपने आस-पास के लोगों की प्रतिक्रियाओं पर विशुद्ध रूप से भरोसा करने के बजाय, सतर्क रहकर परिस्थिति के अनुसार यह तय करने में मदद कर सकता है कि प्रतिक्रिया कैसे करें?
- **जागरूकता:** व्यक्ति को निश्चित रूप से जागरूक रहना चाहिए। इस सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि व्यक्ति पुलिस, एम्बुलेंस जैसे आवश्यक सेवाओं से कनेक्टिविटी के टोल फ्री नम्बर्स को याद रखे तथा आपातस्थिति में उनका प्रयोग करे।
- **उत्तरजीवी अपराधबोध:** शोधकर्ताओं ने पाया है कि अपराध बोध की भावनाएँ अक्सर मदद करने वाले व्यवहारों को प्रेरित कर सकती हैं। तथाकथित 'उत्तरजीवी अपराधबोध' सिर्फ एक उदाहरण है। उदाहरण 9/11 अथवा 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद कुछ लोग जो इस घटना से बच गए थे, वे लोग दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित हुए।

समाज के स्तर पर:

- **सहायक व्यवहार उत्पन्न करना:** समाज में एक दूसरे की सहायता करने से सम्बंधित कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 2019 में प्रकाशित सामाजिक मनोविज्ञान के एक अध्ययन के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को परोपकारी कार्यों यथा रक्तदान इत्यादि में संलग्न देखता है तब उसके मन में भी परोपकारी कार्य करने की भावना उत्पन्न होती है।
- परिवार तथा स्कूलो में परोपकार सम्बन्धी संस्कार तथा क्रियाविधियों का आयोजन होना चाहिए।
- समाज तथा परिवार के लिए यह आवश्यक है कि वह आरम्भ से ही बच्चे में त्याग, नैतिकता, परोपकारिता जैसे मूल्यों को स्थापित करे।
- सामाजिक संस्थाओं यथा एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को समाज में सहकारिता की भावना जगानी चाहिए। इस सन्दर्भ में व्यक्ति में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का सृजन आवश्यक है।

राज्य के स्तर पर:

- स्वच्छ भारत अभियान की तरह परोपकारिता को जन आन्दोलन के रूप में विकसित किया जाना आवश्यक है।
- सरकार को ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने दूसरों की सहायता की हो। इस सन्दर्भ में स्थानीय शासन तथा जिला प्रशासन की भूमिका महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए।
- मौलिक कर्त्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए।

निष्कर्ष:

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है परन्तु व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, उपभोक्तावादी संस्कृति तथा सोशल मीडिया के दौर में सामाजिकता क्षीण हो रही है तथा व्यक्तिवाद बढ़ रहा है। परंतु व्यक्ति को यह समझना होगा कि पूंजीवाद उपभोक्तावादी संस्कृति अथवा व्यक्तिवाद यह मनुष्यता के उत्थान के लिए है न कि मनुष्य के रूप में एक पशुवत जीवन जीने के लिए। वर्तमान समय में व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर के अधिक सजग हैं, परंतु व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों को लेकर के सजग नहीं है। यही स्थिति उदासीनता का सबसे बड़ा कारण है। अत: यह आवश्यक है कि समाज, परिवार, व्यक्ति तथा राज्य के स्तर पर परोपकार, नैतिकता जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए और सर्व कल्याण की भावना के साथ काम किया जाए।

भारतीय नौसेना और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के तकनीकी सहयोग से नौसैन्य क्षमता में मजबूती

भारतीय नौसेना की मजबूती के लिए भारत सरकार वर्तमान समय में समावेशी रणनीति पर काम कर रही है। भारतीय नौसेना क्षमता को बढ़ाना और नौ सैन्य क्षमता का लगातार प्रदर्शन करते हुए इंडियन नेवी को ब्लू वॉटर नेवी का दर्जा दिलाने की दिशा में काम जारी है। इसी दृष्टिकोण से भारतीय नौसेना की क्षमता में वृद्धि के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के बीच तकनीकी सहयोग हेतु समझौता किया गया है। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रशिक्षण, संयुक्त अनुसंधान और विकास, सहयोगी पाठ्यक्रम, उत्कृष्टता केंद्र (समुद्री इंजीनियरिंग), आईएनएस शिवाजी, लोनावाला तथा भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के दल, क्षेत्र स्तर के मुद्दों के समाधान के लिए परस्पर सहयोग की दिशा में कार्य करेंगे। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय ने रूस, मॉरीशस, नीदरलैंड और फिलीपींस के समुद्री विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सहमति पत्रों (MOU) पर हस्ताक्षर किया हैं। दरअसल भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, भारतीय नौसेना को बौद्धिक संपदा के स्तर पर मजबूती देने में लगा है। यह विश्वविद्यालय चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोलकाता, मुंबई पोर्ट और नवी मुंबई स्थित अपने संस्थानों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (थूथुकुडी) वीओ चिदंबरनार पोर्ट (वीओसी पोर्ट) और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण सहित 10 शीर्ष शिपिंग संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया हैं। 'सागरमाला' योजना के तहत वीओसी पोर्ट के सहयोग से रसद (लॉजिस्टिक्स) प्रबंधन, नौकायन और निरीक्षण में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दिशा में अंडमान और निकोबार बंदरगाह को विशेष प्रशिक्षण संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

हिंद महासागर में भारत का नौ सैन्य तंत्रः

- हिंद महासागर में भारत ने अपनी राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए महत्त्वपूर्ण नौसैन्य जहाजों, पनडुब्बियों, युद्ध वाहक विमानों की समय-समय पर तैनाती की है। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, सैन्य अभ्यास के केंद्र हैं और ये 'फ्लोटिंग सॉवरेन एयरफील्ड' के रूप में काम करते हैं, जो मिग-29K फाइटर जेट्स, एमएच60आर, कामोव, सी किंग, चेतक तथा एएलएच हेलीकॉप्टरों सहित विमानों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक लॉन्च प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। इन ठिकानों को कहीं भी तैनात किया जा सकता है, जिससे मिशन के लचीलेपन में वृद्धि, उभरते खतरों की समय पर प्रतिक्रिया और दुनिया भर में हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निरंतर हवाई संचालन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह हमारे मित्रों को यह आश्वासन देते हैं कि भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में हमारी 'सामूहिक' सुरक्षा आवश्यकताओं का समर्थन करने में सक्षम और तत्पर है।
- भारतीय नौसेना ने अरब सागर में बहु-वाहक संचालन और 35 से अधिक विमानों की समन्वित तैनाती के शानदार प्रदर्शन के साथ अपनी दुर्जेय समुद्री क्षमताओं का प्रदर्शन किया। नौसैनिक शक्ति का यह प्रदर्शन राष्ट्रीय हितों की रक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह हिंद महासागर और उससे आगे समुद्री सुरक्षा तथा शक्ति-प्रक्षेपण में विस्तार की भारतीय नौसेना के लक्ष्य में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अभ्यास में दो विमान वाहक आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेशी तकनीक से निर्मित आईएनएस विक्रांत के साथ-साथ जहाजों, पनडुब्बियों तथा विमानों के विविध बेड़े के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र में भारत की तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन भी शामिल है।

द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यासों से नौसैन्य क्षमता हुई मजबूतः

- हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और समुद्री पड़ोसियों के साथ सहयोग बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में सभी के लिए सागर विजन (सुरक्षा एवं विकास को बढ़ावा देने) के लिए भारतीय नौसेना ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है। पिछले वर्ष भारत-मोजाम्बिक-तंजानिया के बीच त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास (आईएमटी त्रिलाट) का पहला संस्करण अक्टूबर, 2022 में तंजानिया के डार एस सलाम में आयोजित किया गया था। इस संयुक्त समुद्री अभ्यास में भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना की तरफ से गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, आईएनएस तरकश, एक चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस (विशेष नौसैन्य बल) ने अभ्यास में भाग लिया। चूंकि पूर्वी अफ्रीका के तटीय देश भारत की हिंद प्रशांत रणनीति की सफलता के लिए आवश्यक हैं, इसलिए भारतीय नौसेना ने अफ्रीकी देशों की नौसेनाओ के साथ अपना अंतरसंपर्क बढ़ा दिया है।
- भारतीय नौसेना अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए बंदरगाह में तटीय अभ्यास के हिस्से के रूप में कई महत्त्वपूर्ण गतिविधियां पर ध्यान केंद्रित करती है जिनमें शामिल हैंः निरीक्षण, बोर्ड, खोज एवं जब्ती; छोटे हथियारों का प्रशिक्षण, संयुक्त डाइविंग ऑपरेशन, क्षति नियंत्रण तथा अग्निशमन अभ्यास और क्रॉस डेक दौरे आदि। जबकि समुद्री चरण के अभ्यास में नौका संचालन, बेड़े पर युद्धाभ्यास, यात्रा, बोर्ड, खोज एवं जब्ती कार्यवाही, हेलीकॉप्टर संचालन, छोटे हथियारों से फायरिंग, फॉर्मेशन एंकरिंग तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) गश्ती अभियान शामिल हैं। भारत मालाबार, रिंपैक, मिलन, संप्रीति, कोंकण जैसे नौसैन्य अभ्यासों के जरिए अपनी नौसैनिक क्षमता बढ़ाता है। इसी क्रम में भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल आर

हरि कुमार 2 से 4 मई 2023 तक सिंगापुर के अधिकारिक यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने 2 मई 2023 को सिंगापुर के नेवल बेस चांगी में आयोजित प्रथम आसियान भारत समुद्री अभ्यास (AIME) 2023 के उद्घाटन समारोह का सह संचालन भी किया था। यह भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच बढ़ रहे नौसैनिक सहयोग को दर्शाता है। चूंकि भारत की इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटजी में आसियान को केंद्रीय स्थान दिया गया है, इस दृष्टि से दोनों के बीच पहला समुद्री संयुक्त अभ्यास दूरगामी परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। भारत द्वारा पहले स्वदेश निर्मित विध्वंसक आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुड़ा ने P8I समुद्री गश्त विमान के साथ स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट के साथ आसियान-भारत समुद्री अभ्यास और IMDEX के उद्घाटन अभ्यास में भाग लिया था। भाग लेने वाले पोत विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा थे।

संस्थागत स्तर पर नौसेना को मजबूती देने के प्रयास:

- नौसेना कमांडरों का द्वि-वार्षिक सम्मेलन हो, प्रस्तावित मैरिटाइम थियेटर कमांड की अवधारणा हो, आईएनएस विक्रांत (जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक है) की सफलतापूर्वक भारतीय नौसेना में कमीशनिंग हो, भारत के औपनिवेशिक अतीत को मिटाने वाला नया नेवल इनसाइन अपनाने की बात हो, इन सभी स्तरों पर महत्त्वपूर्ण नौसन्य संस्थाओं ने अपने-अपने स्तर पर योगदान किया है। नौसैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आज नेवी और भारत के अन्य सशस्त्र बलों के बीच नियमित संवाद और संपर्क को बढ़ाया गया है। थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख और चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीआईएससी) नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत समय-समय पर कर नई नौसैन्य चुनौतियों और उनके समाधान के तरीकों पर काम कर रही है।

समुद्र में तैनात भारतीय नौसेना के कर्मियों के मनोबल बढ़ाने का प्रयास:

- भारत सरकार द्वारा समुद्र में तैनाती के दौरान भारतीय नौसेना के कर्मियों के सामने आने वाले जोखिम और कठिनाईयों के प्रतिपूरक भत्ते के संबंध में मौजूदा विसंगति को दूर करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। यह समुद्र में तैनात नौसेना कर्मियों के संकल्प एवं मनोबल को और बढ़ाएगा, जो हिंद महासागर तथा उसके बाहर भी हमारे समुद्री हितों की रक्षा करते हुए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों, एंटी-पायरेसी ऑपरेशन, समुद्री सुरक्षा तथा आईएमबीएल गश्त आदि में संचालन के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हमारे नौसैनिक पुरुषों और महिलाओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की एक उत्कृष्ट प्रतिपूर्ति व मान्यता है।

तटीय सुरक्षा के लिए 'सागर सतर्कता':

- भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास 'सागर सतर्कता' (एक्सरसाइज सी-विजिल) 22-23 जनवरी, 2019 को 36 घंटे तक लगातार चला था। 'सागर सतर्कता' अभ्यास को भारतीय नौ सेना और भारतीय तट रक्षक ने तैयार किया था, जिसमें सभी 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास को गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कस्टम, सीआईएसएफ, मत्स्य पालन विभाग, डीजीएलएल, डीजी नौवहन, बंदरगाह प्राधिकार और तटीय पुलिस का सक्रिय सहयोग रहा। उल्लेखनीय है कि इसके तहत निगरानी, निरीक्षण और नाकाबंदी जैसे तीन वर्गों में अभ्यास किया गया। 'निगरानी' के तहत भारत की पूरी तट रेखा और द्वीपों की निगरानी शामिल है। इसी तरह 'निरीक्षण' के तहत टीमों द्वारा महत्त्वपूर्ण स्थानों की जांच और 'नाकाबंदी' द्वारा पुलिस की सतर्कता का अभ्यास किया गया।
- भारतीय नौसेना के लिए 16 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्रॉफ्ट (एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी) जहाजों के निर्माण के लिए मैसर्स सीएसएल, कोच्चि और जीआरएसई, कोलकाता के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों शिपयार्ड आठ-आठ जहाजों का निर्माण करेंगे। प्रत्येक शिपयार्ड हर साल दो-दो जहाजों की आपूर्ति करेगा। भारत की 7516.6 किलोमीटर लम्बी विशाल तट रेखा में 12 प्रमुख बंदरगाह, 184 छोटे बंदरगाह, 1197 द्वीपीय क्षेत्र स्थित होने के कारण एएसडब्ल्यू परिचालनों के लिए तटीय निगरानी को बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता है। कम ड्रैफ्ट के इन विशेष जहाजों के नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की तटीय उथले पानी में एंटी सबमरीन वारफेयर क्षमता में महत्त्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। इस क्षमता में हथियारों, संसरों, हॉल माउंटेड और टोड सोनर्स का बेहतर प्रदर्शन भी शामिल है।

अपतटीय गश्ती पोतों की तैनाती पर बल:

- भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा 15 मई , 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत (ICGS) 'सचेत' और दो अवरोधक नौकाओं (आईबी) सी-450 और सी-451 का जलावतरण किया गया। 'आईसीजीएस सचेत' पांच अपतटीय गश्ती पोतों (ओपीवी) की श्रृंखला में पहला है जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा देश में ही डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। इसे अत्याधुनिक नौवहन एवं संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। अति आधुनिक स्वदेशी इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोपल्शन, सहायक और पीजीडी मशीनरी से युक्त ये जहाज तटीय जल की उपसतह की निगरानी करने व माइन बिछाने में सक्षम हैं। इससे ये सक्षम मंच बनाने के साथ-साथ, भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल में एक अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन जाते हैं।

अखंड भारत विचार का इतिहास और भारत के पड़ोसी देशों पर इसका प्रभाव

भारत प्राचीन काल से ही अपनी प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता की सुरक्षा के लिए तत्पर रहा है। अलग अलग साम्राज्यों के शासकों ने भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र को लगातार बढ़ाने का प्रयास किया जिसकी सुरक्षा के लिए कई युद्ध तक किए। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद स्वतंत्र भारत में भी इस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि भारत की सार्वभौमिक संप्रभुता की सुरक्षा की जाये ताकि विश्व समुदाय भारत के महत्त्व और सोच को गंभीरता से समझे। इन्हीं बातों के संदर्भ में हाल ही में भारत के प्रध नमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की नई संसद के भवन का उद्घाटन किया जिसमें अखंड भारत की तस्वीर को शामिल किया। नए संसद भवन में लगी तस्वीर वास्तव में एक भित्ति चित्र है जिसे 'अखंड भारत' का नक्शा कहा गया है। इस नक्शे में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी (नेपाल) को भी 'अखंड भारत' के हिस्से के रूप में दिखाया गया है जिस पर नेपाल के राजनीतिक दलों ने अपनी आपत्ति जताई है। नेपाल के लोगों का कहना है कि संसद भवन में लगी भित्ति चित्र में गौतम बुद्ध के जन्मस्थान को दिखाए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है। नेपाल अपने मानचित्र में लुंबिनी को मुख्य सांस्कृतिक केंद्रों में से एक मानता है। नेपाल को लग रहा है कि जब से वह भारतीय भू-क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधूरा पर अपने दावे कर रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए भारत ने अखंड भारत का दांव चला है, लेकिन भारत का कहना है कि संसद में अखंड भारत में दिखाए गए क्षेत्र भारत के सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार का प्रतीक है जिसे राजनीतिक संप्रभुता के मुद्दों से जोड़कर पड़ोसी देशों को आहत नही होना चाहिए जो भारत के नए संसद भवन में जो भित्ति चित्र लगाया गया है उसमें गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी से लेकर पुरुषपुर, सौवीर और उत्तराप्रस्थ जैसे प्राचीन शहर दिखाए गए हैं। वर्तमान में ये नेपाल और पाकिस्तान का हिस्सा हैं। इसलिए पाकिस्तान ने भी इस नक्शे पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत का यह कदम विस्तारवादी सोच को दर्शाता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस नक्शे पर भारत से स्पष्टीकरण मांगा है। नेपाल की राजध ानी काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने इसके विरोध में अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया है। कुल मिलाकर इस नक्शे पर बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान ने नाराजगी जाहिर की है।

अखंड भारत के नक्शे पर इन देशों के विरोध की वजहः

- भारत सरकार ने धारा-370 के उन्मूलन, पीओके पर आक्रामक नीति, एफएटीएफ में पाकिस्तान को आतंकी वित्त पोषण के मुद्दे पर घेरने, सिंधु जल तंत्र के पूर्वी नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी पहलों के जरिए पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने में सफल रहा है। 2019 में जब भारत सरकार ने नया राजनीतिक मानचित्र जारी कर पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद को भारतीय भू क्षेत्र में प्रदर्शित किया, तब से पाकिस्तान इस बात को लेकर आशंकित है कि कहीं भारत गिलगिट बाल्टिस्तान पर दावा करते हुए पीओके लेने का काम न करने लगे। जब से भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन करके दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं तथा जम्मू-कश्मीर में परिसीमन और पंचायत के चुनाव सफलता के साथ संपन्न किए हैं तब से पाकिस्तान को भारत के मैपिंग पॉलिटिक्स का डर सता रहा है। तक्षशिला सहित विभिन्न राज्य और शहर अखंड भारत के नक्शे में शामिल हैं, जो मौजूदा दौर में पाकिस्तान में हैं। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में तक्षशिला भारत का मुख्य उच्च शिक्षा केंद्र था जहां विश्वविद्यालय के आचार्य वहां निवास करते थे। उनके ज्ञान और यश से प्रभावित होकर हजारों विद्यार्थी अलग-अलग हिस्सों से वहां आते थे। यह विश्वविद्यालय तत्कालीन विभिन्न जनपदों के विद्यार्थियों से परिपूर्ण रहता था। त्रयी (वेद) आनविक्षिकी (दर्शनशास्त्र) दंड नीति, वार्ता, कृषि पशुपालन और वाणिज्य, शिल्प, आयुर्वेद, कला, शस्त्र संचालन आदि समस्त विद्याओं के अध्ययन अध्यापन का तक्षशिला में समुचित प्रबंध था। तीन ऐतिहासिक महान मार्गों के संगम पर स्थित तक्षशिला जैनों के लिये अत्यंत महत्त्व का केन्द्र था। भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली का राज्य गान्धार देश की राजधानी थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल रहा, चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। वर्तमान में देवसीय प्रतिक्रमण में बोले जाने वाले लघु शांति स्त्रोत्र की रचना तक्षशिला के लिए की गई थी। पाकिस्तान को पता है कि भारत इस क्षेत्र पर कोई दावा नहीं कर रहा है। उसे अपने नियंत्रण में नहीं लेने वाला है बल्कि अपने सांस्कृतिक गौरव तथा वैभव को उजागर भर कर रहा है लेकिन पाकिस्तान का आशंका से भरना स्वाभाविक भी है।
- इसी प्रकार भारत ने जब से नेपाल को स्पष्ट कर दिया है कि सुगौली संधि, 1815 की कोई भी गलत व्याख्या कर नेपाल भारतीय भू-क्षेत्रों पर दावा नहीं कर सकता। भारत ने जब से 2019 में जारी अपने नए राजनीतिक मानचित्र में कालापानी को अपने इलाके में दर्शाया है, तब से नेपाल इस बात को लेकर आशंकित है कि कहीं कालापानी और लिपुलेख से उसका दावा न छूट जाए। यहीं कारण है कि नेपाल ने भी 2019 में अपनी संसद में नया राजनीतिक मानचित्र जारी करते हुए कुछ भारतीय भू-क्षेत्र को अपने अधिकार में दर्शाया था। कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि इन राष्ट्रों का विरोध अखंड भारत के नक्शे को लेकर इसलिए है कि भारत की सक्रियता में कमी आए।

अखंड भारत को दिशा दी थी भारतीय शासकों नेः

- मौर्य साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया और उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदूकुश, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक पूर्व में पाटलिपुत्र से बांग्लादेश पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज के संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था।

यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान और शक्तिशाली सम्राटों तथा राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली और महान सम्राटों में माने गए। सम्राट अशोक को इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट। सम्राट अशोक ने धम्म के जरिए भारत की मानवता और सांस्कृतिक संप्रभुता से दुनिया को परिचित कराया था। दुनिया भर के देशों को बौद्ध धर्म से अंतर संपर्क स्थापित कराने में भी सम्राट अशोक की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।

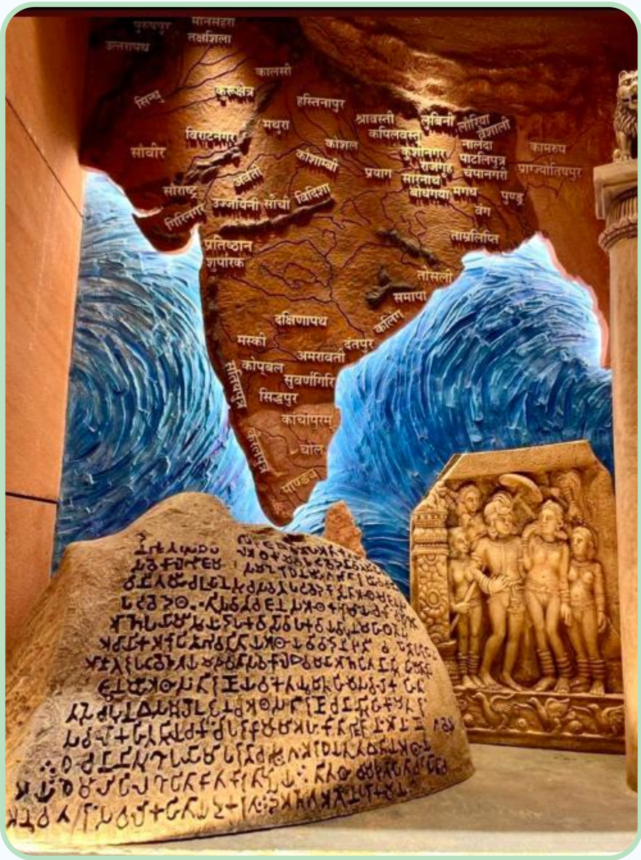

- सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो अशोक के अभिलेख कालसी (देहरादून) और समिनदेई (नेपाल की तराई) से प्राप्त हुये हैं जिनसे पता चलता है कि उसका राज्य उत्तर में हिमालय तक फैला था। चितल दुर्ग में उनके लघु शिलालेखों की तीन प्रतियां और कर्नाल से उसके चतुर्दश शिलालेख की एक प्रति दक्षिण से मैसूर तक उसके साम्राज्य विस्तार को प्रमाणित करती है। शाहबाज गढी और मनसेहरा के अभिलेखों से विदित होता है कि समस्त उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रदेश उसके राज्य में सम्मिलित था। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार, कश्मीर पर भी उसका आधिपत्य था। जूनागढ़ और सोबारा से प्राप्त चतुर्दश अभिलेखों की प्रतियों के आधार पर निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी भारत पर भी उसका अधिकार था। रूद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उसके यूनानी प्रान्तपति तुषास्प का उल्लेख मिलता है। धौली और जूनागढ़ के अभिलेख उड़ीसा पर उसके आधिपत्य को प्रमाणित करते है। दिव्यावदान और ह्वेनसांग के विवरण से भी विदित होता है कि सम्राट अशोक का साम्राज्य भारत के विशाल भू-भाग पर विस्तृत था।

अखंड भारत की अवधारणा:

- अखंड भारत, एकीकृत भारत की अवधारणा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो यह बताता है कि वर्तमान में जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान है वह कभी 'अखंड भारत' का हिस्सा हुआ करते थे। 321 ईसा पूर्व में चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने बिखरे हुए गणराज्यों को मिलाकर एक बार फिर संगठित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था जो वर्तमान में बिहार का हिस्सा है। राधा कुमुद मुखर्जी की किताब 'चंद्र गुप्त मौर्य एंड हिज टाइम' में बताया गया कि मौर्य साम्राज्य पश्चिम में ईरान से पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तथा तमिल तक फैला था। स्टडी इन द ज्योग्राफी ऑफ एनशियंट एंड मिडिवल इंडिया, इतिहासकार दिनेश चंद्र सरकार की किताब है जिसमें दावा किया गया है कि 'भारतवर्ष' की सबसे पुरानी सभ्यता की निशानी सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। हालांकि बाद में अखंड भारत कई गणराज्य में बिखर गया था।

अखंड भारत से धीरे धीरे अलग होते गए कई हिस्से:

- 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन होने के साथ ही अखंड भारत एक बार फिर बिखर गया जिससे शक, सातवाहक, शांग, कुषाण, दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य जैसे साम्राज्य बने। श्रीलंका भी अखंड भारत के चोल और पांड्य साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन 1310 ई. के बाद श्रीलंका आजाद हो गया। बाद में यहां अंग्रेजों ने शासन किया लेकिन अंग्रेज इसे अलग देश मानते रहे।
- अफगानिस्तान में भी 870 ई. में अरब सेनापति याकूब एलस, फिर मुगल और अंत में ब्रिटेन का कब्जा था। 1876 में रूस तथा ब्रिटेन के बीच हुई गंडक संधि में अफगानिस्तान बफर स्टेट बना और 18 अगस्त 1919 में ब्रिटेन से आजाद हो गया। साल 1907 में ब्रिटेन ने भूटान को भी 'अखंड भारत' से अलग कर दिया और वहां उग्नेय वांगचुक के नेतृत्व में राजशाही की स्थापना की गई। वहीं साल 1937 में बर्मा भी भारत से अलग हो गया। 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए जंग ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया जिससे बांगलादेश बना। भारत आज इन हिस्सों को अपने सांस्कृतिक गौरव का भाग मानता है, इसीलिए भारत ने अखंड भारत में इसे प्रदर्शित किया है जिसमें कुछ गलत नहीं है। भारत अपनी विदेश नीति के तहत वैसे भी किसी के आंतरिक मामले में अहस्तक्षेप की नीति पर चलता है, भारत शांति पूर्ण सह अस्तित्व की वकालत करता है जिसे पड़ोसी देशों को समझना आवश्यक है।

कार्बन सीमा समायोजन तंत्रः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत पर इसके प्रभाव

विश्व में कई ऐसे देश और क्षेत्रीय संगठन हैं जो जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों को संवेदनशील ढंग से व्यापारिक गतिविधियों से भी जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। इसी क्रम में यूरोपीय संघ ने कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाने वाले उद्योगों और उससे जुड़े उत्पादों के यूरोपीय बाजारों में निर्यात करने वाले देशों पर कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है जिसे कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के नाम से जाना गया है। इस मुद्दे पर यूरोपियन पार्लियामेंट में चर्चा की गई है और समय भी निर्धारित किया गया है कि यूरोपीय संघ द्वारा विभिन्न विकासशील देशों से निर्यात किए जाने वाले स्टील, सीमेंट तथा अन्य ऐसे ही उत्पाद जिनसे कार्बन उत्सर्जन हो सकता है उस पर कार्बन टैक्स लगाया जाएं। भारत जैसे विकासशील और उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश यूरोपीय संघ के इस निर्णय को अपने हितों के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों से जोड़कर देख रहे हैं। चूंकि भारत का यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर वार्ता जारी है और यूरोपीय संघ भारत का बड़ा आर्थिक व सामरिक साझेदार है, इसलिए भारत इस प्रश्न से काफी सतर्क होकर निपट रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा है कि भारत कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) पर यूरोपीय संघ के साथ जुड़ रहा है क्योंकि यूरोपीय संघ का इरादा व्यापार में बाधा पैदा करना नहीं है बल्कि सामूहिक प्रयासों के हिस्से के रूप में स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता खोजना है। भारत और यूरोपीय संघ सीबीएएम मुद्दे का सही समाधान खोजने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

- हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने घोषणा की है कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism) को अक्तूबर 2023 में पेश किया जाएगा। यह तंत्र गैर-हरित या पर्यावरणीय रूप से अस्थिर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बनाए गए सामानों के आयात पर कार्बन टैक्स लगाएगा। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र 1 जनवरी, 2026 से यूरोपीय संघ में चुनिंदा आयातों पर 20 से 35 प्रतिशत के बीच कर उन उत्पादों पर आरोपित करेगा जो कार्बन उत्सर्जन बढाने वाली होंगी।
- भारत ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेकर यूरोपीय संघ से अपनी आशंकाएं भी जाहिर की हैं ताकि दोनों पक्षों में इस मुद्दे पर स्पष्टता और पारदर्शिता बनी रहे। यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित CBAM पहल का उद्देश्य जनवरी 2026 से शुरू होने वाले अपने 27 सदस्य देशों में से किसी को भी निर्यात किए जाने वाले कार्बन-गहन सामानों पर कर लगाना है।
- पर्यावरण संरक्षण के नाम पर यूरोपीय यूनियन की ओर से किए जाने वाले प्रयास तो ठीक हैं लेकिन यहां इस बात का मूल्यांकन करना भी जरूरी हो जाता है कि कार्बन टैक्स जैसे प्रावधान एकतरफा विकासशील देशों को निशाना बनाने के लिए नहीं किए जाने चाहिए। यही कारण है कि भारत सरकार ने यूरोपीय यूनियन के इस एकतरफा फैसले के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज कराने की संभावना से भी इंकार नहीं किया है। भारत अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए विश्व व्यापार संगठन में जा सकता है।
- यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स प्रस्ताव का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को अगर देखा जाए तो यह भारत के संदर्भ में इसलिए चिंताजनक है क्योंकि उच्च कार्बन वाली वस्तुओं में स्टील, सीमेंट, एल्यूमीनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन से संबंधित प्रोडक्ट शामिल हैं, जबकि भारत इन्हीं उत्पादों का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। इस मैकेनिज्म के तहत ग्रीनहाउस गैसों के जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को 2050 तक पूरा करना है, जो भारत के लक्षित वर्ष 2070 से पहले है। फेडेरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट के डायरेक्टर जनरल के अनुसार, वर्तमान में भारत लगभग 8 अरब डॉलर का स्टील, लौह अयस्क और एल्यूमीनियम यूरोपियन यूनियन को निर्यात करता है।

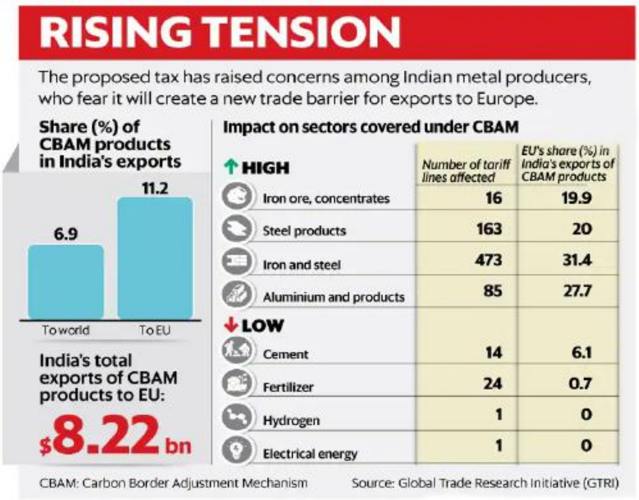

गैर प्रशुल्क अवरोध का उदाहरण है कार्बन टैक्सः

- विभिन्न विकसित देश और शक्तिशाली, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन के संदर्भ में अक्सर देखा गया है कि वह विकासशील देशों के ऊपर गैर व्यापारिक गतिविधियों जैसे आयात निर्यात के मामलों में गैर प्रशुल्क अवरोध (Non-Tariff Barrier) उत्पन्न कर उनके साथ व्यापारिक संबंधों को विनियमित करती हैं। गैर प्रशुल्क अवरोध का मतलब यह है कि विकसित देश अपने शर्तों पर व्यापार करने के लिए विकासशील देशों के ऊपर पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन, बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के अनुपालन, बाल श्रम के उन्मूलन के लिए प्रयास करने, मानव तस्करी के खिलाफ प्रभावी उपाय करने, मानव अधिकारों का संरक्षण करने जैसे दबाव डालने की कोशिश करते हैं। इस दिशा में कोई भी उल्लंघन होने पर व्यापार न करने की चेतावनी देते हैं। ईयू के इस कार्बन टैक्स मैकेनिज्म को भारत भेदभावपूर्ण और व्यापार में रुकावट के तौर पर देखता है। विश्व व्यापार संगठन में भारत इस प्रकार के भेदभावकारी

मैकेनिज्म की वैधता पर भी सवाल उठाएगा क्योंकि भारत पहले से ही संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते में दिए गए प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। इस चुनौती की स्थिति के बीच भारत को इस बात का भी ध्यान रखना है कि वित्तीय वर्ष 2022 में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार उच्चतम स्तर पर रहा। यूरोपियन कमीशन के वेबसाइट पर मौजूद आंकड़े के अनुसार, 2022 में भारत और ईयू के बीच 120 अरब यूरो का रिकॉर्ड व्यापार हुआ है जबकि 2021 में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच सिर्फ 40 अरब यूरो का व्यापार हुआ था। इसमें से 17 बिलियन यूरो का व्यापार डिजिटल प्रोडक्ट और सेवाओं में हुआ है। यूरोपीय यूनियन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि भारत ईयू का दसवां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2022 में भारत ने कुल व्यापार का लगभग 11 प्रतिशत व्यापार यूरोपीय यूनियन के साथ किया है, वहीं ईयू ने कुल व्यापार का लगभग 2 प्रतिशत व्यापार भारत के साथ किया है। इस व्यापारिक संबंध में भी कोई बाधा न आए इसके लिए भारत को अपनी आर्थिक कूटनीति को और मजबूती देनी होगी।

यूरोपीय संघ की जलवायु और ऊर्जा रूपरेखा के घटक:

- यूरोपीय संघ ने 2014 में 2020 के बाद से जलवायु और ऊर्जा रूपरेखा के लिए अपने लक्ष्यों को संशोधित किया है। 2030 के रूपरेखा में तीन लक्ष्य शामिल हैं: जीएचजी उत्सर्जन (1990 के स्तर से) में कम से कम 40% कटौती, नवीकरणीय ऊर्जा में कम से कम 27% हिस्सेदारी और ऊर्जा दक्षता में अधिक सुधार। इसी तरह 2018 में, यूरोपीय संघ ने अपने आरईडी को भी संशोधित किया और नवीकरणीय ऊर्जा में अपने संबंधित लक्ष्यों को न्यूनतम 32% हिस्सेदारी तथा ऊर्जा दक्षता में 32.5% सुधार के लक्ष्य द्वारा अपने ऊर्जा दक्षता निर्देश को संशोधित किया। यूरोपीय संघ ने 2050 के लिए अपनी डीकार्बोनाइजेशन रणनीति पेश की है, जिसका उद्देश्य 1990 के स्तर की तुलना में CO_2 उत्सर्जन में 80-95% की कटौती करना और 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करना है।
- 2019 के यूरोस्टेट के आंकड़ों के अनुसार, यूरोपीय संघ अपने 2020 के जीएचजी उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। यूरोपीय संघ ने 1990 के स्तर की तुलना में समग्र रूप से जीएचजी उत्सर्जन में 21.7% की कटौती की है। अक्षय ऊर्जा के संदर्भ में 2004 और 2017 के बीच अक्षय ऊर्जा का हिस्सा सकल अंतिम ऊर्जा खपत के 17.5% तक पहुंच गया। यह काफी हद तक प्रौद्योगिकी के विकास, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की घटती कीमत, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए समर्थन योजनाओं इत्यादि द्वारा संचालित हुआ था।

हरित अर्थव्यवस्था और ग्रीन ट्रेड पर भी बल दे रहा भारत:

- भारत साल 2070 तक 'पंचामृत' और नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प ले चुका है। इससे उद्योग और अर्थव्यवस्था में पर्यावरण संरक्षण पर जोर रहेगा। भारत के बजट 2023-24 ने ग्रीन ग्रोथ के बारे में भारत संकल्प को मजबूत किया है। बजट 2023-24 में एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य हासिल करने के लिए 35000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम आवंटन किया गया है। इसके अलावा हाल में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश में ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देना है। आम बजट में इस मिशन के लिए 19 हजार 700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे इकॉनमी को कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद मिलेगी। क्रूड ऑयल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता घटेगी।
- भारत की वित्त मंत्री द्वारा हरित विकास के विषय का जिक्र करते हुए कहा गया है कि भारत में हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित कृषि, हरित गतिशीलता, हरित भवनों, हरित उपकरणों के लिए अनेक कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है जिसके साथ ही विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के प्रभावकारी उपयोग के लिए नीतियां लागू की जा रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हरित विकास से जुड़े इन प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में काफी मदद मिलती है जिसके साथ ही बड़ी संख्या में हरित रोजगार अवसर उपलब्ध होते हैं। भारतीय वित्त मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए "लाइफ" अथवा पर्यावरण के लिए जीवन-शैली की संकल्पना प्रस्तुत की है।

हरित रणनीतिक साझेदारी पर काम कर रहा है भारत:

- हरित व्यापार के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भारत डेनमार्क सम्बंधों के संदर्भ में देखा जा सकता है। भारत और डेनमार्क ने दूरगामी लक्ष्यों वाली 'हरित रणनीतिक साझेदारी' (Green Strategic Partnership) के रूप में एक नए युग की शुरुआत की है। यह कदम भारत को जलवायु परिवर्तन एवं अन्य वैश्विक समस्याओं से संबंधित स्थायी समाधान तलाशने में सहायता कर सकता है। डेनमार्क के अनुसार, यह समझौता हरित तकनीक (Green Tech) और अन्य क्षेत्रों जैसे-पवन ऊर्जा, जल प्रौद्योगिकी और ऊर्जा दक्षता आदि में परस्पर निकट सहयोग की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। भारत में इन क्षेत्रों में डेनिश तकनीकों की बहुत माँग है और यह समझौता डेनमार्क से भारत को निर्यात तथा निवेश वृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत CITIIS 2.0 को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन-CITIIS 2.0' प्रोग्राम को मंजूरी दी जो एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से चयनित 18 स्मार्ट शहरों में सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

मुख्य विशेषताएं:

- इस पहल को फ्रांसीसी विकास एजेंसी (AFD), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (एक जर्मन विकास बैंक) से ऋण एवं यूरोपीय संघ से 106 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
- यह योजना 2023 से शुरू होकर 2027 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के फंडिंग से चलेगी।
- यह पहल प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए है जो शहरी स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु से संबंधित सुधार गतिविधियों और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत विकास तथा ज्ञान प्रसार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी।

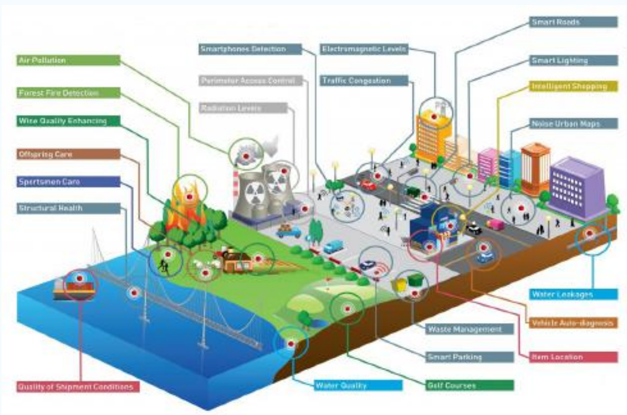

नवोन्मेष, एकीकरण और निरंतरता के लिए शहरी निवेश (CITIIS):

- सिटी इनवेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (CITIIS) प्रोग्राम भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन का एक प्रमुख घटक है।
- इसका लक्ष्य रचनात्मक विचारों को बढ़ावा देना और भारत के सतत शहरी विकास में मदद करने के लिए विभिन्न शहरी योजनाओं को एकीकृत करना है।
- CITIIS 2.0 का प्रमुख लक्ष्य चुनिंदा भारतीय शहरों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी विशिष्ट शहरी कठिनाईयों को हल करने वाली पहल विकसित कर सकें।
- इन समस्याओं में शहरी गतिशीलता में वृद्धि, जल आपूर्ति, स्वच्छता प्रणालियों को मजबूत करना और टिकाऊ ऊर्जा विकल्पों का समर्थन करना आदि शामिल हो सकता है।

महत्त्वपूर्ण स्तंभ:

CITIIS 2.0 तीन प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करता है:

- **नवाचार:** यह पहल शहरों को उनकी शहरी चुनौतियों का समाधान करने एवं नवोन्मेषी समाधान प्रस्तावित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **एकीकरण:** CITIIS विभिन्न शहरी प्रणालियों और क्षेत्रों के एकीकरण को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य सिलोस (silos) को तोड़ना और विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
- **स्थायित्व:** यह पहल शहरी विकास में धारणीयता के महत्त्व पर जोर देती है।

CITIIS 2.0 के तीन घटक (Component):

- **घटक 1-** इसमें एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने एवं जलवायु अनुकूलता परियोजनाओं की स्थापना करने तथा 18 शहरों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता शामिल है।
- **घटक 2-** सभी राज्य और क्षेत्र मांग-आधारित सहायता के लिए पात्र होंगे। सभी योग्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जलवायु केंद्र स्थापित करने, राज्य और शहरी-स्तरीय जलवायु डेटा वेधशालाएं बनाने और नगरपालिका कर्मियों की क्षमता बढ़ाने के लिए धन प्राप्त होगा।
- **घटक 3-** शहरी भारत में जलवायु शासन (Climate governance) को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के तीनों स्तरों (राष्ट्रीय, राज्य और शहर) में हस्तक्षेप करना होगा।

आगे की राह:

सिटीज 2.0 सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और स्मार्ट सिटीज मिशन का पूरक होगा। यह भारत को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (INDCs) और COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में किए गए वादों को पूरा करने में भी मदद करेगा।

2. भारत केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क (CLN) में हुआ शामिल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क (CLN) में शामिल हुआ है, जिसके अब तक 13 देशों में 15 भागीदार संस्थान हैं। इसका उद्देश्य महामारी के प्रकोप के दौरान उपयोग के लिए टीकों का परीक्षण करना है। सीएलएन कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस (CEPI) का सदस्य है, जो मानकीकृत परीक्षण प्रक्रियाओं और सामग्रियों का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है।

मुख्य विशेषताएं:

- कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस (CEPI) ने परीक्षण

को केंद्रीकृत करने और कोविड-19 टीकों द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रियाओं की तुलना करने की अनुमति देने के लिए प्रयोगशालाओं का एक वैश्विक नेटवर्क तैयार किया है।

- CEPI केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क महत्त्वपूर्ण प्रतिरक्षात्मक और प्रभावकारिता समापन बिंदुओं के मूल्यांकन को सक्षम बनाना चाहता है ताकि COVID-19 जैसी महामारी के समय वैक्सीन डेवलपर्स को लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता मिल सके।
- नेटवर्क का प्राथमिक लक्ष्य उभरती संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए सबसे जरूरतमंद वैक्सीन उम्मीदवारों की शीघ्रता और सटीकता से पहचान करना है। इसके अलावा विस्तारित नेटवर्क दीर्घकालिक क्षेत्रीय महामारी तैयारी बुनियादी ढांचे की स्थापना एवं सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क (CLN) के बारे में:

- केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क उन टीकों का परीक्षण करेगा जिनका उपयोग महामारी रोग के प्रकोप के दौरान किया जा सकता है।
- इसका प्रबंधन कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस (CEPI) द्वारा किया जाता है।
- यह संभावित टीकाकरण उम्मीदवारों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण है। यह नेटवर्क मानकीकृत परीक्षण प्रक्रियाओं और सामग्रियों का उपयोग करके मूल्यांकन प्रक्रिया में एकरूपता तथा विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है।
- इसके अलावा, सीएलएन सक्रिय रूप से दीर्घकालिक क्षेत्रीय प्रकोप तैयारियों के बुनियादी ढाँचे के विकास में शामिल है।

कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस (CEPI) क्या है?

- सीईपीआई को दावोस में 2017 में लॉन्च किया गया था जिसका मुख्यालय ओस्लो (नॉर्वे) में स्थित है।
- CEPI सरकारों, परोपकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के संगठनों को वैक्सीन विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करने तथा सहायता करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- सीईपीआई एक वैश्विक सार्वजनिक-निजी भागीदारी है जो संक्रामक रोग के प्रकोप को रोकने व नियंत्रित करने के लिए नए टीकों के विकास के लिए धन व समन्वय स्थापित करती है।
- यह 2017 में पश्चिमी अफ्रीका से दुनिया भर में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किया गया था, जो महामारी की तैयारी हेतु एक समन्वित और सक्रिय दृष्टिकोण के महत्त्व पर जोर दिया था।
- नॉर्वे और भारत की सरकार के साथ-साथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दावोस, स्विट्ज़रलैंड में CEPI की स्थापना की।

आगे की राह:

CEPI ने नेटवर्क के दायरे को व्यापक बनाने और COVID-19 के अलावा अन्य विभिन्न प्रकार की महामारी संबंधी समस्याओं को लक्षित करने वाले टीकों के मूल्यांकन को शामिल करने के प्रयास में 'कॉल फॉर प्रपोजल' जारी करके एक महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।

3. राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने 2022-32 की अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP) को अधिसूचित किया है। इस योजना में पिछले पांच वर्षों (2017-22) की समीक्षा, अगले पांच वर्षों (2022-27) के लिए एक विस्तृत योजना और अगले पांच वर्षों (2027-32) के लिए संभावित योजना शामिल है।

योजना की आवश्यकता क्यों?

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-3 (4) के अनुसार हर पांच साल में एक बार ऐसी योजना अधिसूचित करनी होती है।

एनईपी 2022-32 के प्रमुख अनुमान:

- नई राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार गैर-जीवाश्म आधारित क्षमता का हिस्सा वर्तमान में 42.5 प्रतिशत से बढ़कर 2026-27 के अंत तक 57.4 प्रतिशत और 2031-32 तक 68.4 प्रतिशत होने का अनुमान है।
- 2026-27 तक कुल उत्पादित बिजली 609,591 मेगावाट होगी, जिसमें-
  - 273,038 मेगावाट की पारंपरिक क्षमता (**कोयला-235,133 मेगावाट, गैस-24,824 मेगावाट, परमाणु-13,080 मेगावाट**) तथा 336,553 मेगावाट अक्षय-आधारित क्षमता (**बड़ी हाइड्रो पावर-52,446 मेगावाट, सौर-185,566 मेगावाट, पवन-72,895 मेगावाट, छोटी हाइड्रो पावर-5,200 मेगावाट, बायोमास-13,000 मेगावाट, पंप भंडारण संयंत्र-7,446 मेगावाट**) शामिल हैं।
  - अक्षय-आधारित क्षमता में 8,680 मेगावाट/34,720 मेगावाट घंटे की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) क्षमता भी शामिल हैं।
- 2031 तक, कुल उत्पादित बिजली 900,422 मेगावाट होने का अनुमान है जिसमें-
  - 304,147 मेगावाट की पारंपरिक क्षमता (**कोयला-259,643 मेगावाट, गैस-24,824 मेगावाट, परमाणु-19,680 मेगावाट**), 596,275 मेगावाट (66%) अक्षय-आधारित क्षमता (**बड़ी हाइड्रो-62,178 मेगावाट, सौर-364,566 मेगावाट, पवन-121,895 मेगावाट, छोटी हाइड्रो-5,450 मेगावाट, बायोमास-15,500 मेगावाट, पंप भंडारण संयंत्र-26,686 मेगावाट**) शामिल हैं।

चिंताएं:

- लक्ष्य समय पर प्राप्त न होना, जैसे केंद्र ने 2022 तक 100 GW (1 GW 1,000 MW के बराबर) सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन केवल 64 GW का ही लक्ष्य प्राप्त हुआ था।
- स्थापित क्षमता पूरी तरह से उत्पन्न शक्ति में परिवर्तित नहीं होती है क्योंकि ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की उपलब्धता और दक्षता की

अलग-अलग डिग्री होती है। उदाहरण के लिए, सौर ऊर्जा केवल दिन के दौरान उपलब्ध होती है और पवन ऊर्जा जलवायु परिवर्तन पर निर्भर होती है।

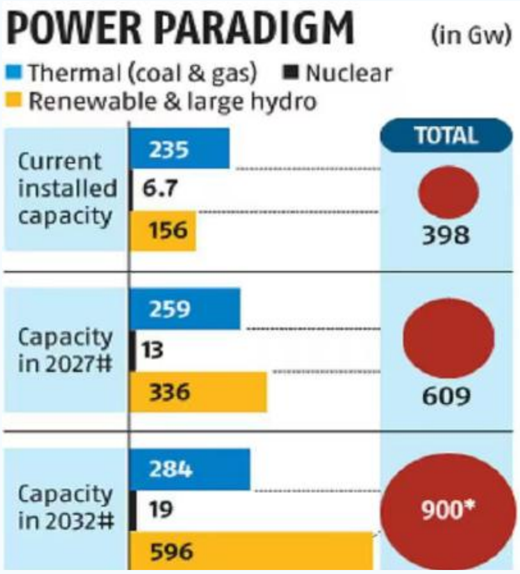

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के बारे में:

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत एक वैधानिक संगठन है। इसे 1951 में एक अंशकालिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था और वर्ष 1975 में एक पूर्णकालिक निकाय बनाया गया था।
- इसका उद्देश्य अपने वैधानिक कर्त्तव्यों को पूरा करके मैंडेट को प्राप्त करना है, जिसमें बिजली क्षेत्र में सभी हितधारकों को तकनीकी सहायता आधार प्रदान करना, बिजली क्षेत्र की नीतियों के विकास में विद्युत मंत्रालय की सहायता करना, तकनीकी मानकों और विनियमों का निर्माण करना तथा परियोजना को पूरा करना शामिल है।

आगे की राह:

एनईपी में इस बात पर जोर दिया गया है कि बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं और स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर वैश्विक जोर का निकट भविष्य में कोयला आधारित स्थापित क्षमता के हिस्से पर प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि कोयला आधारित उत्पादन का हिस्सा अधिक बने रहने के बावजूद कोयला आधारित संयंत्रों का संचालन अधिक लचीला हो जायेगा जिससे देश स्वच्छ ऊर्जा की ओर अग्रसर होगा।

4. विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एवं उपभोक्ता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण द्वारा 'सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' की सुविधा के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) के गठन की मंजूरी दी। इस समिति की अध्यक्षता गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। यह समिति कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए गोदामों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए दिशा-निर्देश देगी।

अनाज भंडारण योजना के बारे में:

- यह योजना खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, अपव्यय को कम करने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACs) के स्तर पर गोदामों तथा अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है।
- इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य भारत में कृषि भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए तीन मंत्रालयों की चल रही आठ योजनाओं को जोड़ना है।
- शुरूआत में सहकारिता मंत्रालय कम से कम 10 चयनित जिलों में एक पायलट परियोजना लागू करेगा।

8 SCHEMES IDENTIFIED FOR CONVERGENCE

Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare
- Agriculture Infrastructure Fund (AIF)
- Agricultural Marketing Infrastructure Scheme (AMI)
- Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)
- Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM)

Ministry of Food Processing Industries
- Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme
- Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)

Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
- Allocation of food grains under the Food Security Act
- Procurement ops at MSP

इस पहल के लाभ:

- प्राथमिक कृषि साख समितियों के भंडारण देश में कृषि भंडारण के बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना।
- प्राथमिक कृषि साख समितियों को राज्य एजेंसियों या भारतीय खाद्य निगम (FCI) के लिए खरीद केंद्रों के रूप में कार्य करने, उचित मूल्य की दुकानों के रूप में कार्य करने तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों और सामान्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना सहित विभिन्न गतिविधियाँ करने का अधिकार होगा।
- इससे किसानों की आय बढ़ेगी।
- यह योजना अनाज की बर्बादी को कम करेगी, बेहतर खाद्य सुरक्षा में योगदान देगी।
- यह योजना किसानों को विभिन्न विकल्प प्रदान करती है, फसलों की संकटपूर्ण बिक्री को रोकती है जिन्हें अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
- यह योजना किसानों को विभिन्न विकल्प प्रदान करती है, फसलों की संकटपूर्ण बिक्री को रोकती है और उन्हें अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

आगे की राह:

प्राथमिक कृषि साख समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ होती है। इस योजना से देश को खाद्य सुरक्षा मिलेगी और सहकारिता से जुड़े करोड़ों किसान लाभान्वित होंगे। यह योजना (PACs) को न केवल भंडारण सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगी, बल्कि उचित मूल्य की दुकान और कस्टम हायरिंग सेंटर जैसी कई अन्य गतिविधियां भी करने में सक्षम बनाएगी जिससे किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है।

5. बालासोर रेल दुर्घटना

चर्चा में क्यों?

2 जून, 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस और एक खड़ी मालगाड़ी के बीच बालासोर (ओडिशा) के पास ट्रिपल ट्रेन टक्कर हुई, जो दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच, कोलकाता मुख्यालय के तहत आता है। यह लगभग 20 वर्षों में सबसे भीषण रेल दुर्घटना है जिसमें 275 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 1000 लोग घायल हुए।

आपदा के बाद संस्थागत प्रतिक्रियाएं:

- एनडीआरएफ, सेना, आईएएफ, फायर सर्विसेज, ओडीआरएएफ के कर्मियों के साथ-साथ स्थानीय स्वयंसेवकों द्वारा तत्काल संस्थागत प्रतिक्रिया दी गई।
- रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) जांच के माध्यम से सुरक्षित यात्रा को बेहतर बनाने और दोबारा दुर्घटना को रोकने के तरीकों पर जोर देंगे।
- इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने किसी गड़बड़ी या नक्सली तत्वों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा समानांतर जांच की सिफारिश की है।

रेलवे सुरक्षा पर समितियाँ:

- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने बताया कि 2017-18 और 2020-21 के बीच लगभग 75 प्रतिशत रेल दुर्घटनाएँ पटरी से उतरने के कारण हुई जिसका प्रमुख कारक 'पटरियों के रखरखाव' से संबंधित था।
- 2012 में, भारतीय रेलवे की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए अनिल काकोडकर की समिति ने अपनी रिपोर्ट में रेलवे के बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए कर्मचारियों की कमी के बारे में चिंता जताई थी। इसने निम्न सिफारिशें की थी:
    1. अगले पांच वर्षों में सभी लेवल क्रॉसिंग (मानवयुक्त और मानव रहित) को समाप्त करना।
    2. सुरक्षा से संबंधित बुनियादी सुविधाओं का रखरखाव।
    3. एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम का कार्यान्वयन।
    4. सभी नए कोच सुरक्षित एलएचबी टाइप के होना।

रेल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदम:

- भारतीय रेलवे ने आरडीएसओ अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (RDSO) के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली विकसित की है जिसे 'कवच' (ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली) कहा जाता है ताकि मानव त्रुटि के कारण और सिग्नल पासिंग के कारण दुर्घटनाओं को रोका जा सके। यदि किसी दूसरी ट्रेन के उसी लाइन पर होने का पता चलता है तो यह ट्रेन को स्वचालित रूप से रोकने की क्षमता रखता है।
- रेलवे ने ट्रेन संचालन में डिजिटल और आधुनिक तकनीकों का लाभ लेने तथा सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग' को अपनाया है।
- भारतीय रेलवे ने एक मिशन मोड पर 'स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग' शुरू किया है। यह ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल द्वारा ट्रेनों की आवाजाही को नियंत्रित करने में मदद करता है तथा यह सिस्टम बिना किसी अतिरिक्त स्टेशन के निर्माण के लाइन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।
- रेल मंत्रालय ने दुर्घटनाओं को रोकने हेतु रेल नेटवर्क पर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए 2018 में राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष नाम से 1 लाख करोड़ रुपये का सुरक्षा कोष बनाया है।

आगे की राह:

सीएजी ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में रेल सुरक्षा के संबंध में महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को उठाते हुए कहा है कि जिस देश में 22 मिलियन लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं, वहां रेल सुरक्षा सर्वोपरि है। सरकार देश में रेलवे के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रही है। इस संबंध में सरकार ने रेलवे के लिए बजट आवंटन में भी वृद्धि की है। बजट 2023-24 में इसका पूंजी परिव्यय बढ़ाकर 2.4 लाख करोड़ रुपये किया गया था।

6. अनुच्छेद-299 के तहत सरकारी अनुबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राष्ट्रपति के नाम के तहत एक अनुबंध में प्रवेश करते समय, संविधान के अनुच्छेद-299 के तहत उस अनुबंध के कानूनी प्रावधानों से सरकार प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकती है। यह निर्णय पिस्टल बनाने वाली कंपनी ग्लॉक एशिया-पैसिफिक लिमिटेड द्वारा केंद्र के खिलाफ दायर याचिका के जवाब में आया था, जिसमें सरकार द्वारा एक सरकारी कर्मचारी को मध्यस्थ नियुक्ति किया गया था। यह विवाद सरकार द्वारा बैंक गारंटी के आह्वान के कारण उत्पन्न हुआ था। उसके बाद मध्यस्थ एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति को न नियुक्त करके सरकारी कर्मचारी को नियुक्त कर दिया गया था।

संविधान के अनुच्छेद-299 के बारे में:

- संघ की या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई सभी संविदाएँ, यथास्थिति, राष्ट्रपति द्वारा या उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएँगी। वे सभी संविदाएँ और संपत्ति संबंधी हस्तांतरण-पत्र, जो उस शक्ति का प्रयोग करते हुए किए जाएँ, इसके लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए जाएँगे जिसे वह निर्दिष्ट या प्राधिकृत करे।
- इसके अलावा, अनुच्छेद-299(1) के तहत 'अभिव्यक्त किया जाना और निष्पादित' वाक्यांश का अर्थ है कि लिखित रूप में एक विलेख या अनुबंध होना चाहिए जिसे राज्यपाल के राष्ट्रपति द्वारा उनकी ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए।

- हालांकि, अनुच्छेद-299(2) कहता है कि अनिवार्य रूप से ऐसे अनुबंधों के लिए न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

अदालत का निष्कर्ष:

- अनुच्छेद-299 उद्देश्य पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति के नाम पर किया गया एक अनुबंध, पक्षकारों पर शर्तों को लागू करने वाले किसी भी कानून के आवेदन के खिलाफ प्रतिरक्षा पैदा नहीं कर सकता है और न ही करेगा।
- पीठ ने फैसले में कहा कि अनुबंध में यूनियन ऑफ इंडिया एक पक्षकार है, इसलिए यूनियन की ओर से नियुक्त किया गया मध्यस्थ (जो यूनियन का कर्मचारी है) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा-12(5) सहपठित अनुसूची-VII के पैरा-1 के अनुसार मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र है।
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जब मध्यस्थ नियुक्त करने वाला पक्षकार राज्य या संघ होता है तो निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णायक नियुक्त करने का कर्त्तव्य अधिक कठिन हो जाता है। इसीलिए अनुच्छेद-299 पर केंद्र की निर्भरता को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि ये अनुच्छेद सिर्फ औपचारिकता को निर्धारित करता है जो सरकार को संवैधानिक दायित्व से बाध्य करने के लिए जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अनुबंध राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम होने से सरकार को किसी तरह की कानूनी इम्यूनिटी मिलेगी।
- अदालत ने पूर्व एससी न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदू मल्होत्रा को मामले में 'विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ' के रूप में नियुक्त किया।

7. मधुमेह का बढ़ता खतरा

चर्चा में क्यों?

आईसीएमआर-आईएनडीएबी द्वारा भारत में गैर-संचारी रोग के बढ़ते प्रसार का आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन किया गया जिसमें बताया गया है कि भारत की आबादी का 11.4% मधुमेह से पीड़ित है। लैंसेट जर्नल में 'मेटाबोलिक गैर-संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट ऑफ इंडिया' नामक शीर्षक वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित हुयी है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- आईसीएमआर-आईएनडीएबी (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-इंडिया डायबिटीज) अध्ययन 2008 से 2020 के दौरान पांच चरणों में आयोजित किया गया है।
- यह अध्ययन मधुमेह रोगियों, उच्च रक्तचाप, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया (खराब कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति) और पेट के मोटापे (वसा की पहुंच जमा) के पैटर्न व प्रसार का विश्लेषण करने पर केंद्रित है।

उपरोक्त पहलुओं पर रिपोर्ट किए गए निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- कुल आबादी का लगभग 11.4% पहले से ही मधुमेह से पीड़ित हैं। शहरी भारत में 16.4% और ग्रामीण भारत में 8.9% लोग मधुमेह से पीड़ित हैं।
- कुल जनसंख्या का 15.3% प्री-डायबिटिक चरण में है।
- विकसित शहरी क्षेत्रों में मधुमेह का उच्चतम प्रसार गोवा (26.4%), पुदुचेरी (26.3%), केरल (25.5%) और चंडीगढ़ (20%) में पाया गया है, जबकि मधुमेह का सबसे कम प्रसार उत्तर प्रदेश (4%) में पाया गया है।
- केवल 4 वर्षों (2019-2021) की अवधि में 31 मिलियन नए मधुमेह के मामले सामने आये हैं। यह बदलती जीवनशैली के कारण सह एनसीडी रोग के बढ़ते खतरे को दर्शाता है।
- अध्ययन में कहा गया है कि भारत में लोग 15.3% पूर्व-मधुमेह, 35.5% उच्च रक्तचाप, 28.6% सामान्य मोटापा, 39.5% पेट का मोटापा और 24% हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया रोग से ग्रसित हैं।

तीव्र वृद्धि के कारण:

- उच्च रक्तचाप और मधुमेह दोनों उपापचयी सिंड्रोम के पहलू हैं जो अक्सर एक साथ होते हैं।
- एनसीडी के बढ़ते बोझ के लिए कई व्यावहारिक कारक जिम्मेदार हैं। सबसे अधिक चिंता एक गतिहीन जीवन शैली है जिसमें अत्यधिक कैलोरी का सेवन होता है। कार्यालय-संस्कृति क्षेत्रों में यह सबसे आम है जहां लोग कम शारीरिक गतिविधियों के साथ उच्च मानसिक दबाव से गुजरते हैं।
- अत्यधिक पुराने तनाव का जोखिम, नींद की खराब आदतें, अधिक वजन होना, अत्यधिक चीनी तथा नमक का सेवन, तम्बाकू धूम्रपान, शराब का सेवन और वायु प्रदूषण के संपर्क में आना ऐसे कई कारक हैं जो मधुमेह के बढ़ते मामलों के लिए उत्तरदायी हैं।
- मधुमेह और उच्च रक्तचाप से जुड़े खतरों में आंखों की समस्याएं, गुर्दे की विफलता, हृदय रोग, दिल का दौरा और स्ट्रोक आदि शामिल हैं।

निवारण के उपाय:

- शोध दल ने बताया है कि गैर-संचारी रोगों का बढ़ता बोझ भारत के लिए एक बड़ा खतरा है क्योंकि बढ़ता सेवा क्षेत्र (गतिहीन संस्कृति) और लोगों में अस्वास्थ्यकर जीवनशैली की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
- स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया गया है।
- व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के भाग के रूप में एनएचएम के तहत सामान्य एनसीडी की रोकथाम, नियंत्रण और जांच के लिए एक जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है।

आगे की राह:

एनसीडी देश के विकसित राज्यों में अधिक स्थिर हो रहे हैं और स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ा रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र में राज्यों को विशिष्ट रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। निवारण तंत्र में लोगों की भागीदारी आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ जीवन शैली, सकरात्मक रूप से स्थिति को बदल सकती है।

1. यूएई, अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से अलग हुआ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने वैश्विक तेल व्यापार के लिए सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण खाड़ी जलमार्गों को सुरक्षित करने हेतु जिम्मेदार समुद्री गठबंधन, अमेरिकी नेतृत्व वाली संयुक्त समुद्री सेना (CMF) से अलग होने की घोषणा की।

मुख्य विशेषताएं:

- यूएई ने संवाद, कूटनीतिक जुड़ाव, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। यूएई ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, अपने तटों के पास नेविगेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता भी व्यक्त किया है।
- लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र में आतंकवाद व समुद्री डकैती से निपटने के लिए बहरीन में अमेरिकी नौसेना की सुविधा पर आधारित समुद्री गठबंधन का गठन किया गया था।
- यह क्षेत्र शिपिंग मार्गों हेतु महत्त्वपूर्ण है और 2019 के बाद से आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका व ईरान के बीच तनाव के दौरान पोत हमलों की कई घटनाएं हुई हैं। संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में एक प्रमुख भागीदार रहा है क्योंकि यह महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों हेतु रणनीतिक क्षेत्र है।

यूएई के हटने के कारण:

- आधिकारिक बयान में यूएई ने कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज से हटने के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया है।
- एक संभावित कारक संयुक्त राज्य अमेरिका पर कथित निर्भरता को माना जा रहा है।
- यह संयुक्त अरब अमीरात के अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व को बढ़ाने, स्वायत्त विदेश नीति को प्रमुखता देने तथा चीन और ईरान के साथ अपने संबंधों को फिर से संतुलित करने के बड़े प्रयास का हिस्सा भी हो सकता है।

हाल की घटनाएँ और फारस की खाड़ी में तनाव:

- ईरान ने अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में दो टैंकरों पर कब्जा कर लिया था जो इस क्षेत्र से गुजर रहा था।
- नवंबर 2022 में इजरायल के टैंकर पर ड्रोन हमले करने का भी ईरान पर आरोप लगाया गया था जिससे अमेरिका के साथ संबंध और भी खराब हो गए थे।
- ईरान के बढ़ते उत्पीड़न की प्रतिक्रिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने खाड़ी में समुद्री बलों की तैनाती की घोषणा की क्योंकि यह दुनिया के समुद्री-जनित तेल की पर्याप्त मात्रा के लिए एक महत्त्वपूर्ण मार्ग है।

संयुक्त समुद्री बल (CMF) क्या है?

- इसकी स्थापना 2002 में हुई थी।
- यह एक 30 से अधिक सदस्यीय समूह है, जिसका नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का एक वाइस एडमिरल करता है।
- इसका मुख्यालय बहरीन में है जो आतंकवाद, समुद्री डकैती और क्षेत्रीय सहयोग का मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार है।
- अरब सागर, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, हिंद महासागर, अरब की खाड़ी फोकस क्षेत्र हैं।

आगे की राह:

सीएमएफ से यूएई की वापसी इसकी भू-राजनीतिक विश्लेषण और गठबंधन की प्रभावशीलता के बारे में चिंता पैदा करती है। इस निर्णय का खाड़ी के संपूर्ण सुरक्षा स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है।

2. भारत-अमेरिका रक्षा संबंध

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय रक्षा मामलों पर नई दिल्ली में व्यापक बैठक की। दोनों देशों ने रक्षा-औद्योगिक सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार किया जो अगले कुछ वर्षों में दोनों देशों के लिए नीतिगत दिशा का मार्गदर्शन करेगा।

बैठक के मुख्य बिंदु:

- बैठक में दोनों देश लचीली आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के तरीकों का पता लगाने पर सहमत हुए हैं। वे नई तकनीक के सह-विकास के अवसरों की भी पहचान करेंगे। दोनों पक्ष मौजूदा नई प्रणाली के साथ सह-उत्पादन के लिए सहमत हुए हैं ताकि विभिन्न रक्षा उत्पादन स्टार्टअप के बीच सहयोग बढ़ाया जा सके।
- दोनों पक्षों ने मजबूत और बहुआयामी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की तथा एक साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने हाल ही में रक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता

और रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित उद्घाटन संवादों का स्वागत किया। उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में अपनी साझा रुचि को देखते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा की।

भारत-अमेरिका रक्षा संबंध:

- भारत और अमेरिका के बीच रक्षा वार्ता 1995 में शुरू हुई, जिसे 2005 में भारत-अमेरिका रक्षा रूपरेखा समझौते के रूप में औपचारिक रूप दिया गया और 2015 में 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था।
- 2008 में भारत और अमेरिका ने एक द्विपक्षीय असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
- भारत और अमेरिका रक्षा सहयोग के लिए मंत्रिस्तरीय 2+2 संवाद आयोजित करते हैं।
- भारत भी QUAD का सदस्य है जिसके अन्य सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान हैं।
- रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI) तथा इंडिया रैपिड रिएक्शन सेल की स्थापना प्रौद्योगिकी की सुविधा व प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए की गई थी।
- 2016 में अमेरिका द्वारा भारत को 'प्रमुख रक्षा भागीदार' के रूप में नामित किया गया था।
- सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 (STA-1) श्रेणी में भारत को शामिल करने से उसे अमेरिकी सहयोगियों के बराबर प्रौद्योगिकी पहुंच मिल गई है।
- अमेरिका भारत को रक्षा उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया है। अमेरिका से महत्त्वपूर्ण रक्षा अधिग्रहण में विमान, हेलीकॉप्टर, हॉवित्जर और नौसैनिक जहाज शामिल हैं।

मूलभूत समझौते:

- **सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा (GSOMIA):** 2002 में हस्ताक्षरित जीएसओएमआईए भारतीय निजी कंपनियों के साथ एक्सचेंजों को छोड़कर, पेंटागन और भारत के रक्षा मंत्रालय के बीच साझा जानकारी की सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित करता है।
- **लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA):** 2016 में हस्ताक्षरित LEMOA, एक दूसरे के ठिकानों तक पहुंच, आपूर्ति की पुन:पूर्ति और लॉजिस्टिक समर्थन, विश्वास को मजबूत करने तथा अधिक सहयोग की अनुमति देकर अमेरिका-भारत सैन्य सहयोग को सक्षम बनाता है।
- **संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA):** 2018 में हस्ताक्षरित COMCASA, अमेरिका को भारत को उनके सैन्य बलों के बीच सुरक्षित और वास्तविक समय संचार के लिए एन्क्रिप्टेड संचार उपकरण प्रदान करने की अनुमति देता है। साथ ही यह अंतर-क्षमता को बढ़ाता है और संभावित रूप से यूएस-मूल प्रणालियों का उपयोग अन्य सेनाओं तक विस्तारित करता है।
- **बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA):** 2020 में हस्ताक्षरित BECA स्वचालित सिस्टम, हथियारों और नेविगेशन में सटीकता को बढ़ाते हुए, भारत को अमेरिकी भू-स्थानिक खुफिया तक वास्तविक पहुंच प्रदान करता है। यह वायु सेना के सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, सटीक लक्ष्यीकरण को सक्षम बनाता है और आपदा प्रतिक्रिया में सहायता करता है, जो उस दौरान की गई प्रतिबद्धता के साथ संरेखित करता है।

दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास:

- सेना युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार
- नौसेना मालाबार (बहुपक्षीय)
- वायु सेना रेड फ्लैग और एक्सरसाइज सीओपीई इंडिया

आगे की राह:

21वीं सदी की शुरुआत से भारत और अमेरिका रक्षा व सुरक्षा क्षेत्रों में प्रमुख सहयोगी बन गए हैं। दोनों देश जापान के साथ मुक्त तथा खुले इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। भारत ने अमेरिका के सभी प्रमुख सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे पता चलता है कि वे सुरक्षा क्षेत्र से संबंधित पारस्परिक रूप से सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं।

3. ब्रिक्स विदेश मंत्री बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक हुई। सभी देशों ने प्रमुख वैश्विक, क्षेत्रीय रुझानों और मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

बैठक के प्रमुख बिन्दु:

- ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और वित्तीय मामलों में ब्रिक्स सहयोग के ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी सम्मान व समझ, समानता, एकजुटता, खुलेपन, समावेशिता और सहमति वाली ब्रिक्स भावना को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- सभी देशों ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों सहित बहुपक्षवाद को मजबूत करने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- सभी देशों ने एकतरफा बलपूर्वक उपायों के उपयोग के बारे में चिंता जाहिर की जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों के साथ असंगत हैं तथा विशेष रूप से विकासशील दुनिया में नकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं।
- सभी देशों ने 2030 एजेंडा को लागू करने के लिए आवश्यक साधनों को जुटाकर संतुलित और एकीकृत तरीके से अपने तीन आयामों -आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण में सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन का आह्वान किया।
- सभी देशों ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के साथ मुक्त, खुले, पारदर्शी, निष्पक्ष, पूर्वानुमेय, समावेशी, न्यायसंगत, गैर-भेदभावपूर्ण और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।
- सभी देशों ने शस्त्र नियंत्रण, निरस्त्रीकरण और अप्रसार की व्यवस्था को मजबूत करने का आह्वान किया।
- सभी देशों ने बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने और बाहरी अंतरिक्ष (PAROS) में हथियारों की

दौड़ की रोकथाम तथा इसके शस्त्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए अपने समर्थन का आश्वासन दिया, जिसमें एक प्रासंगिक कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि को अपनाने के लिए बातचीत शामिल है।

ब्रिक्स के बारे में:

- ब्राजील, रूस, भारत और चीन पर आधारित संक्षिप्ति BRIC का प्रस्ताव वर्ष 2001 में के जिम ओ नील द्वारा दिया गया था, जिन्होंने अनुमान लगाया था कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएँ व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण बन सकती हैं। इस समूह का औपचारिक गठन 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान हुआ। इसके बाद जून 2009 में येकातेरिनबर्ग (रूस) में पहला BRIC शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 2011 में, तीसरे शिखर सम्मेलन के अवसर पर दक्षिण अफ्रीका उस समूह का हिस्सा बन गया, जिसके बाद ब्रिक्स बन गया। यह दुनिया की आबादी का 41%, दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 24% तथा विश्व व्यापार में 16% से अधिक हिस्सेदारी रखता है।

आगे की राह:

भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह समूह पश्चिम विरोधी गठबंधन नहीं है। भारत का इस समूह के देशों के अतिरिक्त पश्चिमी देशों के साथ भी मधुर संबंध हैं, जबकि चीन चाहता है कि ब्रिक्स एक पश्चिमी विरोधी समूह हो। भारतीय दृष्टिकोण है कि यह एक गैर-पश्चिमी समूह है जिसे उसी तरह रहना चाहिए। हालाँकि भारत और चीन में कई अंतर हैं लेकिन इस समूह पर वे नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था जैसे मुक्त व्यापार तथा जलवायु वित्त आदि के बारे में कुछ सामान्य विचार साझा करते हैं।

4. सबांग बंदरगाह के विकास हेतु संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया के आसेह प्रांत में स्थित सबांग बंदरगाह (Sabang Port) के विकास पर एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन (Joint Feasibility Study) पूरा किया है। इस बंदरगाह का विकास भारत और इंडोनेशिया के लिए रणनीतिक एवं आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण है।

सबांग बंदरगाह के बारे में:

- इंडोनेशिया के आसेह प्रांत में स्थित सबांग जिसे 'वेह द्वीप' के रूप में भी जाना जाता है, अंडमान द्वीप समूह से 710 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित है और मलक्का जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार से 500 किमी से भी कम दूरी पर स्थित है, इसी क्षेत्र से भारत का लगभग 40% व्यापार गुजरता है।
- भारत के दक्षिणी पूर्वी समुद्री सीमा के सबसे किनारे पर स्थित अंडमान व निकोबार द्वीप के सबसे आखिरी द्वीप से इसकी दूरी महज 175 किलोमीटर है।
- सबांग पोर्ट जिस समुद्री राह के करीब है, उसे दुनिया का सबसे व्यस्त कारोबारी मार्ग माना जाता है। खाड़ी के बड़े तेल उत्पादक देश इस मार्ग का इस्तेमाल कच्चे तेल को पूर्वी एशिया में भेजने के लिए करते हैं। साथ ही चीन व अन्य पूर्वी एशियाई देशों के निर्यात के लिए भी यह मार्ग बेहद महत्त्वपूर्ण है।

मुख्य उद्देश्य:

- इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री संपर्क क्षेत्र को बढ़ाना है तथा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सैन्य स्थिति को मजबूत करना है।
- सबांग में बंदरगाह का विकास भारत की आर्थिक, सामरिक तथा सैन्य दृष्टिकोण के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है।

मुख्य बिन्दु:

- यह पहला अवसर है जब भारत पूर्वी एशियाई क्षेत्र में कनेक्टिविटी से जुड़ी इस अहम परियोजना को पूर्ण करेगा।
- भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, सबांग बंदरगाह भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का महत्त्वपूर्ण मजबूत स्तंभ होगा।
- पहले चरण में भारत ढांचागत व्यवस्था को बनाएगा जिसे इंडोनेशिया के साथ द्विपक्षीय स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा किंतु बाद में इसे अधिक विस्तार दिया जाएगा।
- सबांग बंदरगाह का निर्माण भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है जो दुनिया में एक बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पर भारत के दावे को पुख्ता करने में मदद करेगा।
- इंडोनेशिया की सरकार का कहना है कि सबांग में बनाए जाने वाले बंदरगाह में हर तरह के वाणिज्यिक जहाज के अलावा पनडुब्बियों के पड़ाव की भी बेहतरीन व्यवस्था की जा सकती है।
- वर्ष 2016 में इंडोनेशिया की तरफ से जापान को सबांग में विकास कार्य हेतु आमंत्रित किया गया था। आगे चलकर सबांग पोर्ट के निर्माण में भारत के साथ जापान के शामिल होने की भी संभावना है। ध्यातव्य है कि भारत-जापान के मध्य पहले से ही एक समझौता है कि दोनों देश एशिया और दूसरे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं को साथ मिलकर विकसित करेंगे।
- ध्यातव्य है कि 2018 में, दोनों पक्षों ने आचे प्रांत तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था।

आगे की राह:

सबांग बंदरगाह का विकास केवल सामरिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सैन्य और आर्थिक दृष्टि से भी भारत की स्थिति मजबूत करेगा। इससे भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को मजबूती मिलेगी। भारत को हिंद महासागर में चारों तरफ से 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (String of Pearls) परियोजना के तहत छोटे-छोटे सैन्य अड्डों से घेरने की चीन की योजना को करारा जवाब दिया जा सकेगा। भारत, इंडोनेशिया के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार तथा सेशेल्स में एक-एक रणनीतिक बंदरगाह विकसित करने की योजना पर कार्य कर रहा है। ईरान में चाबहार पोर्ट भारत की कूटनीतिक सफलता के बाद जल्द ही यह कहानी इंडोनेशिया के सबांग द्वीप में दोहराने की तैयारी है।

5. अटलांटिक घोषणा

चर्चा में क्यों?

ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने स्वच्छ ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिजों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए इक्कीसवीं सदी के लिए अटलांटिक डेक्लेरेशन की घोषणा की। यह साझेदारी दोनों देशों के आर्थिक, तकनीकी, वाणिज्यिक और व्यापार संबंधों के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने में अपनी तरह की पहली पहल है।

इक्कीसवीं सदी की यूएस-यूके आर्थिक साझेदारी के लिए कार्य योजना (ADAPT) के बारे में:

- महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में यूएस-यूके नेतृत्व सुनिश्चित करना।
- आर्थिक सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सुरक्षा, टूलकिट और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निरंतर सहयोग को आगे बढ़ाना।
- एक समावेशी और जिम्मेदार डिजिटल परिवर्तन पर साझेदारी करना।
- भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था का निर्माण।
- रक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अंतरिक्ष में हमारे गठबंधन को अधिक मजबूत करना।

इन साझेदारी के तहत दोनों देश सहमत हुए हैं:

- ब्रिटेन और अमेरिका अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेंगे, भविष्य की तकनीकों का विकास करेंगे और एक दूसरे के उद्योगों में निवेश करेंगे।
- वे अपने स्वच्छ ऊर्जा सहयोग के हिस्से के रूप में एक नई असैन्य परमाणु साझेदारी शुरू करने पर भी सहमत हुए, जिसमें दीर्घावधि में नए बुनियादी ढांचे की स्थापना करना और रूसी ईंधन पर निर्भरता कम करना शामिल होगा।
- दोनों देश एआई प्रौद्योगिकी के सुरक्षित विकास को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए।
- संयुक्त राज्य अमेरिका एआई सुरक्षा और विनियमन पर एक सामान्य दृष्टिकोण का नेतृत्व करने में ब्रिटेन की मदद लेगा।
- दोनों राष्ट्र एक महत्त्वपूर्ण खनिज समझौते पर भी बातचीत शुरू करेंगे, जो यूके की कुछ फर्मों को यूएस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत उपलब्ध टैक्स क्रेडिट तक पहुंचने की अनुमति देगा।
- लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और मैंगनीज जैसे खनिज, इलेक्ट्रिक कारों, स्मार्टफोन तथा सौर पैनलों की बैटरी के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
- ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका 5G, 6G और क्वांटम तकनीकों सहित दूरसंचार प्रौद्योगिकी पर भी सहयोग करेंगे।
- घोषणा में यूके-यू.एस. के लिए सिद्धांत रूप में एक प्रतिबद्धता भी शामिल है। 'डेटा ब्रिज' ब्रिटिश व्यवसायों के लिए लालफीताशाही के बिना अमेरिकी संगठनों को स्वतंत्र रूप से डेटा स्थानांतरित करना आसान बना देगा।

आगे की राह:

भविष्य के लिए दोनों देश वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण में द्विपक्षीय नवाचार को मान्यता देते हैं तथा अंतरिक्ष संचार के क्षेत्र सहित द्विपक्षीय वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देश अंतरिक्ष स्थिरता और संबंधित नियमों पर सहयोग को गहरा करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है।

6.इथियोपिया को मिल रही खाद्य सहायता अस्थायी रूप से निलंबित

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने इथियोपिया को मिल रही खाद्य सहायता अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है क्योंकि इसकी आपूर्ति को डायवर्ट किया जा रहा है। यह कदम यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा इथियोपिया को खाद्य सहायता निलंबित करने के एक दिन बाद आया है।

खाद्य सहायता निलंबित होने का कारण:

- जरूरतमंदों के बजाय अनाज को बाजार में बेचना।
- अनाज चोरी।
- खाद्य सहायता की आपूर्ति में बड़े बिचौलियों का शामिल होना।
- लगातार भुखमरी बने रहना, यद्यपि विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा नियमित रूप से खाद्य सहायता प्रदान की जा रही है।

जीरो टॉलरेंस की नीति:

- WFP खाद्य/अनाजों की चोरी या डायवर्जन के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है, इसके तहत या डायवर्जन के लिए व्यक्तियों को जवाबदेह होना होता है।
- WFP यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध है कि खाद्य सहायता उन लोगों को लाभान्वित करे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

क्या है निलंबन का असर?

- देश की लगभग 120 मिलियन की आबादी में से लगभग 20 मिलियन इथियोपियाई सूखे और संघर्ष के कारण खाद्य सहायता पर निर्भर हैं जिन्हें अधिकांश सहायता USAID और WFP से प्राप्त होती है।
- निलंबन से डर पैदा हुआ कि कुपोषण अफ्रीका के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में बढ़ सकता है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के बारे में:

- विश्व खाद्य कार्यक्रम अग्रणी मानवतावादी संगठन है जो जीवन को बचाता है और जीवन को बदलता है। यह आपात स्थिति में खाद्य सहायता प्रदान करता है और पोषण में सुधार करके समुदायों के साथ काम करता है।
- इसकी स्थापना 1961 में हुई थी।
- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा इसे स्थापित किया गया था।
- मुख्यालयः रोम, इटली।
- WFP के पास धन का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक दान द्वारा वित्त पोषित है।
- यह WFP कार्यकारी बोर्ड द्वारा शासित है, जिसमें 36 सदस्य देश शामिल हैं। यह WFP की गतिविधियों के लिए अंतर-सरकारी समर्थन, दिशा और पर्यवेक्षण प्रदान करता है।
- इसके कार्यकारी निदेशक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव तथा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किया जाता है।

आगे की राहः

WFP अपने संयुक्त राष्ट्र और मानवतावादी भागीदारों तथा स्थानीय हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि सभी उच्च जोखिम वाले परिचालन संदर्भों में सहायता प्रदान की जा सके। नोबेल पुरस्कार विजेता एजेंसी को आवश्यक सुधारों को लागू करने के लिए इथियोपियाई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि टिग्रे में तत्काल खाद्य सहायता फिर से शुरू हो सके तथा देश भर में लक्षित लाभार्थियों का समर्थन किया जा सके।

7. शरणार्थी आवास में सुधार पर यूरोपीय संघ का समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोपीय संघ (EU) ने शरण चाहने वालों की होस्टिंग के बोझ के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नियमों में संशोधन करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। यूरोपीय संघ के आंतरिक मंत्रियों के बीच व्यापक विचार-विमर्श के बाद 8 जून को लक्जमबर्ग में यह समझौता हुआ।

मुख्य विशेषताएंः

- अनुसमर्थन के लिए, इस समझौते को यूरोपीय संघ की आबादी के कम से कम 65% का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश देशों द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता है। शरणार्थी नियमों पर वर्षों की चर्चाओं और तर्कों के बाद यह समझौता एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- इसमें प्रस्तुत प्रस्ताव में दो कार्यान्वयन विकल्पों के साथ यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के बीच अनिवार्य सहायता के लिए कहा गया है। शरण चाहने वालों की मेजबानी को साझा करने पर जोर दिया गया है, विशेष रूप से इटली और ग्रीस जैसे यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में आने वालों पर।
- इस सहमति के अनुसार, जो देश शरणार्थियों को स्वीकार करने से इंकार करते हैं, उन पर प्रति व्यक्ति 20,000 यूरो (21,000 अमरीकी डॉलर) का जुर्माना लगाया जाएगा। इस मुद्रा को ब्रसेल्स-प्रबंधित फंड में भेजा जाएगा। पोलैंड और हंगरी ने योजनाओं के खिलाफ मतदान किया जबकि बुल्गारिया, माल्टा, लिथुआनिया और स्लोवाकिया ने मतदान नहीं किया।
- कोविड-19 महामारी के कारण शरण के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। नतीजतन, यह समस्या यूरोपीय संघ की प्राथमिकता सूची में ऊपर आ गई है। 2020 में, यूरोपीय आयोग ने कोटा के आधार पर एक नए समझौते का प्रस्ताव रखा था जिस पर हंगरी और पोलैंड जैसे देशों ने विरोध किया।
- इन मुद्दों का समाधान करने के लिए, स्वीडन ने दो समझौतों का सुझाव दिया। पहले ने एक होस्टिंग-या-कैश रणनीति प्रस्तावित की, जिसमें सदस्य राष्ट्र प्रवासियों को आश्रय देने या आर्थिक रूप से योगदान देने के बीच चयन कर सकते हैं। दूसरे खंड में सुरक्षित समझे जाने वाले देशों से आगमन के लिए क्रॉसिंग पर फास्ट-ट्रैक उपायों के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है, जिससे उनकी वापसी की सुविधा हो।

यूरोपीय संघ के बारे में:

- यूरोपीय संघ एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है जिसमें मुख्य रूप से यूरोप में केंद्रित 27 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, पूरे यूरोप महाद्वीप में राजनीतिक और आर्थिक सहयोग में सुधार के लिए यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ।
- यूरोपीय संघ ने नियमों का एक सामान्य सेट बनाकर एक आंतरिक एकल बाजार विकसित किया है, जो उन सभी सदस्य राज्यों में लागू होता है।

शरणार्थी कौन होता है?

- शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो अपने निवास के देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में प्रवेश करता है और उस दूसरे देश में शरण के लिए आवेदन करता है।
- शरणार्थी एक अप्रवासी है जिसे अपने मूल देश से बलपूर्वक हटा दिया गया है, शायद युद्ध या अन्य कारणों से उन्हें या उनके परिवार को खतरा हो। अगर उनके प्रवास को मंजूरी दे दी जाती है, तो उन्हें शरणार्थी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आगे की राहः

यह प्रारंभिक समझौता यूरोपीय संसद के साथ विचार-विमर्श के लिए मार्ग तैयार करता है, जिसका लक्ष्य अगले वर्ष जून में यूरोपीय चुनावों से पहले पारित करना है।

1. 8 में से 7 क्लाइमेट रेड लाइन्स का उल्लंघन

चर्चा में क्यों ?

नेचर जर्नल में प्रकाशित न्यू अर्थ कमीशन स्टडी ने खुलासा किया है कि आठ में से सात अर्थ सिस्टम बाउंड्रीज (ESBs- जो प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं) पहले ही क्रास कर चुकी हैं।

अर्थ सिस्टम बाउंड्रीज (ESBs) क्या है?

- अर्थ सिस्टम बाउंड्रीज (ESB) वैज्ञानिक रूप से जलवायु, कार्यात्मक अखंडता, सतही जल, भूजल, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एरोसोल आदि के स्तर के लिए सुरक्षित और न्यायोचित सीमाएँ हैं।
- अध्ययन से पता चला है कि मानव गतिविधियों ने इनमें से सात सीमाओं को उनकी 'सुरक्षित और उचित सीमा' से परे जोखिम वाले क्षेत्रों में धकेल दिया है जो कि ग्रह और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरे का संकेत देते हैं।
- ईएसबी के गठन के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि इन सीमाओं के भीतर काम करके हम आवश्यक संसाधनों तक पहुंच के साथ एक स्थिर और लचीले ग्रह को बनाए रख सकते हैं।

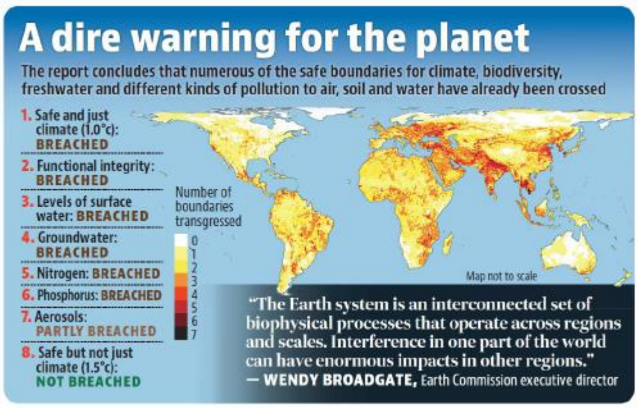

अध्ययन के महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष:

- रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि जलवायु के संदर्भ में, 1.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान अभी भी 'सुरक्षित' है, लेकिन न्यायसंगत नहीं है। पूर्व-औद्योगिक स्तरों से ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक ग्लोबल वार्मिंग (जो पहले से ही पार हो चुकी है) के परिणामस्वरूप ग्रीनलैंड में बर्फ की चादर खत्म हो सकता है या 1.5 डिग्री पर्माफ्रॉस्ट 1.5 या 2 डिग्री वार्मिंग से ऊपर बोरियल पर्माफ्रॉस्ट का अचानक पिघलना तेज हो सकता है।
- एक और खोज से पता चलता है कि ESBs का उल्लंघन स्थानिक रूप से व्यापक है। लगभग 2 ईएसबी या अधिक पहले से ही दुनिया की 52% भूमि की सतह के लिए अतिक्रमण कर चुके हैं, जिससे वैश्विक आबादी का 82% प्रभावित हुआ है।
- हिमालय की तलहटी में कम से कम 5 ईएसबी उल्लंघनों का सामना करना पड़ रहा है जिससे भारत सहित दक्षिण एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अन्य क्षेत्रों के साथ ईएसबी उल्लंघनों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है।
- रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि जलवायु, जैव विविधता, मीठे पानी और मिट्टी, हवा तथा पानी के विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हेतु सुरक्षित सीमाओं को पार कर लिया गया है। जिन सात ईएसबी को पार किया गया है, वे निम्नलिखित हैं:
  1. सुरक्षित और न्यायोचित जलवायु (1.0 डिग्री सेल्सियस)का उल्लंघन हुआ।
  2. कार्यात्मक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन।
  3. सतही जल के स्तर का उल्लंघन।
  4. भूजल का उल्लंघन।
  5. नाइट्रोजन का उल्लंघन।
  6. फास्फोरस का उल्लंघन।
  7. एयरोसोल्स आंशिक रूप से उल्लंघन।
- इस अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी प्रणाली जैव-भौतिक प्रक्रियाओं का एक परस्पर जुड़ा हुआ समूह है जो क्षेत्रों और पैमानों पर काम करती है। दुनिया के एक हिस्से में हस्तक्षेप का दूसरे क्षेत्रों में भारी प्रभाव पड़ सकता है।

ईएसबी का महत्त्व:

- इन विशेषताओं का चयन शोधकर्ताओं की टीम द्वारा किया जाता है क्योंकि ये पृथ्वी प्रणालियों के सभी प्रमुख घटकों (वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, जीवमंडल और क्रायोस्फीयर) को कवर करती हैं। ये आपस में जुड़ी प्रक्रियाओं (कार्बन, पानी और पोषक चक्र) या 'ग्लोबल कॉमन्स' का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इनके आंकलन की नीति-प्रासंगिक समय-सीमाओं पर प्रभाव पड़ेगा। यह जलवायु केंद्रित उपायों के प्रदर्शन और दक्षता का आंकलन करने के लिए पैरामीटर के रूप में कार्य करेगा।

आगे की राह:

आईपीसीसी की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में पहले से ही तेजी से कार्यवाही के महत्त्व पर जोर दिया गया है जो स्वस्थ ग्रहों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। यह रिपोर्ट न केवल पहले की रिपोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि करती है, बल्कि इस संबंध में वास्तविक आंकड़ों का भी खुलासा करती है। इसलिए 'लाइफ मिशन' और 'पंचामृत दृष्टिकोण' जैसी जलवायु अनुकूल भारतीय नीतिगत पहल दुनिया का मार्गदर्शन कर सकती हैं।

2. डब्ल्यूएमओ ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए ग्लोबल ट्रैकर को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने नई ग्लोबल ग्रीनहाउस गैस

वॉच (GGGW) पहल को मंजूरी दी है, जो महत्त्वपूर्ण सूचना अंतराल को भरेगी और सभी अंतरिक्ष-आधारित तथा सतह-आधारित अवलोकन प्रणालियों के साथ-साथ मॉडलिंग व डेटा को लाने के लिए एक एकीकृत परिचालन ढांचा प्रदान करेगी।

मुख्य विशेषताएं:

उन्नत निगरानी और रिपोर्टिंग:

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक विश्वव्यापी ट्रैकर की स्वीकृति निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली को बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- यह प्रगति जीएचजी उत्सर्जन के स्रोतों और मात्रा के अधिक सटीक मूल्यांकन तथा ज्ञान की अनुमति देगी, जिससे अधिक प्रभावी नीति निर्माण और शमन के तरीकों की अनुमति मिलेगी।

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना:

- जलवायु परिवर्तन दुनिया के सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों में से एक के रूप में उभरा है। सरकारी नौकरियों की तलाश कर रहे छात्रों को इस उद्योग में नवीनतम प्रगति पर अद्यतित (up to date) रहना चाहिए।
- एक वैश्विक ट्रैकर की मंजूरी मजबूत निगरानी तंत्र के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है।

नीति क्रियान्वयन:

- जीएचजी उत्सर्जन पर व्यापक डेटा की उपलब्धता से महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रभाव होंगे।
- सरकारें और नीति निर्माता इस जानकारी का उपयोग उत्सर्जन को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रभावी उपायों तथा नीतियों को डिजाइन करने के लिए कर सकते हैं।

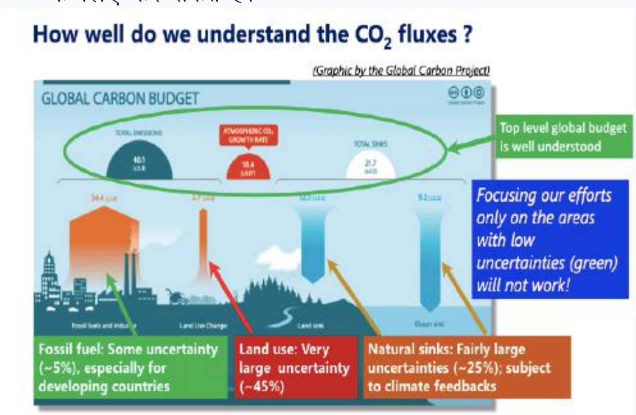

ग्रीन हाउस गैसों के बारे में:

- ग्रीनहाउस प्रभाव ग्रीनहाउस गैसों के कारण होता है, जो ऊष्मा अवरक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं।
- जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीनहाउस गैसें हैं।
- **जल वाष्प:** यह सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ग्रीनहाउस गैस है जो प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव में योगदान करती है।
- **कार्बन डाइऑक्साइड (CO2):** जीवाश्म ईंधन के जलने और वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों द्वारा जारी, यह ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है।
- **मीथेन (CH4):** कोयला, तेल और गैस उत्पादन के साथ-साथ पशुधन खेती के दौरान उत्पादित, यह एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है।
- **नाइट्रस ऑक्साइड (N2O):** कृषि तथा औद्योगिक गतिविधियों से उत्सर्जित, यह ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन रिक्तीकरण दोनों में योगदान करती है।
- **ओजोन (O3):** समताप मंडल में लाभकारी होते हुए भी निचले स्तरों पर यह ग्रीनहाउस गैस के रूप में कार्य करती है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO):

- डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में स्थित है।
- भारत डब्ल्यूएमओ का सदस्य है।
- अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (IMO) की स्थापना 1873 में वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद की गई थी।
- 23 मार्च, 1950 को WMO सम्मेलन की स्वीकृति के साथ WMO, मौसम विज्ञान (मौसम तथा जलवायु), परिचालन जल विज्ञान और संबद्ध भूभौतिकीय विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र का विशेष संगठन बन गया।

आगे की राह:

विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक विश्वव्यापी ट्रैकर को अपनाना जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को हल करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस ट्रैकर को अपनाने से वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन पर पूर्ण डेटा प्रदान कर निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार होगा।

3. ट्रैकिंग SDG-7 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ट्रैकिंग SDG-7: द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट का 2023 संस्करण जारी किया गया जिसमें पाया गया कि वर्तमान प्रयास SDG-7 को समय पर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हालांकि एसडीजी-7 एजेंडे के विशिष्ट तत्वों पर कुछ प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए, बिजली क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की दर बढ़ी है, फिर भी एसडीजी में निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रगति अपर्याप्त है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्वच्छ ऊर्जा के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्तीय प्रवाह कम हो रहा है और कुछ देशों तक धन सीमित है। एसडीजी-7 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए टिकाऊ ऊर्जा में बदलाव के सामाजिक-आर्थिक लाभ से पूरी तरह लाभान्वित हों, अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त में

संरचनात्मक रूप से सुधार करना और निवेश को अनलॉक करने के नए अवसरों को परिभाषित करना आवश्यक है।

- रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि बढ़ते कर्ज और बढ़ती ऊर्जा की कीमतें स्वच्छ खाना पकाने और बिजली तक सार्वभौमिक पहुंच तक पहुंचने के दृष्टिकोण को प्रभावित कर रही हैं तथा अनुमान है कि यदि हम आगे की कार्यवाही नहीं करते हैं और मौजूदा प्रयासों को जारी रखते हैं, तो 2030 तक 1.9 अरब लोग स्वच्छ खाना पकाने के बिना और 660 मिलियन बिजली पहुंच से वंचित होंगे।
- ये सबसे कमजोर आबादी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे और जलवायु परिवर्तन में तेजी लाएंगे। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन और प्रौद्योगिकियों के उपयोग से होने वाली बीमारी से हर साल 3.2 मिलियन लोगों की मौत होती है।

रिपोर्ट के बारे में:

- यह रिपोर्ट SDG-7 संरक्षक एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA), संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (UNSD), विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य एसडीजी-7 को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर प्रगति दर्ज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक वैश्विक डैशबोर्ड प्रदान करना है।
- यह इस रिपोर्ट का नौवां संस्करण है, जिसे ग्लोबल ट्रैकिंग फ्रेमवर्क (GTF) के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष के संस्करण की अध्यक्षता विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने की थी।
- रिपोर्ट के लिए धन विश्व बैंक के ऊर्जा क्षेत्र प्रबंधन सहायता कार्यक्रम (ESMAP) द्वारा प्रदान किया गया था।

एसडीजी-7 के बारे में:

- SDG-7 का उद्देश्य सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य में बिजली और स्वच्छ खाना पकाने तक सार्वभौमिक पहुंच, दक्षता सुधार के स्तर को दोगुना करना और वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि करना शामिल है।

आगे की राह:

SDG-7 लक्ष्य को प्राप्त करने से लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे उन्हें पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों जैसे वायु प्रदूषण से बचाने में मदद मिलेगी। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ेगी। इस प्रकार लोगों की भलाई के लिए स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता है जिसके लिए यह आवश्यक है कि विकसित देश विकासशील देशों को धन मुहैया कराएं।

4. पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में काई (Moss) का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित शोध से पता चला है कि मॉस हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मॉस के बिना स्वस्थ मिट्टी का उत्पादन करने, सूक्ष्म जीवों के लिए आवास प्रदान करने और रोगजनकों से लड़ने की पृथ्वी की क्षमता बहुत कम हो जाएगी।

शोध के मुख्य निष्कर्ष:

- मॉस के नीचे की मिट्टी में अधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम होता है तथा मॉस के बिना सतहों की तुलना में मिट्टी के एंजाइमों की अधिक गतिविधि होती है।
- मॉस मिट्टी के सभी प्रमुख कार्यों जैसे-कार्बन अनुक्रम में वृद्धि, पोषक चक्रण और कार्बनिक पदार्थों के चक्रण आदि को प्रभावित करता है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए ये प्रक्रियाएँ महत्त्वपूर्ण हैं।
- मॉस का मिट्टी पर प्रभाव उनकी बढ़ती परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक कम उत्पादकता वाले वातावरण में उनका सबसे अधिक प्रभाव होता है जैसे-रेगिस्तान, रेतीली और दोमट मिट्टी जहां बारिश बहुत परिवर्तनशील होती है।
- मॉस बेहद शोषक होते हैं और हवा में मौजूद धूल के कणों को आकर्षित कर सकते हैं। मृदा मॉस का वैश्विक आवरण वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को भी प्रभावित करते हैं।
- कुछ मॉस दूसरों की तुलना में स्वस्थ मिट्टी को बढ़ावा देने में अधिक प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए- लंबे समय तक रहने वाले मॉस अधिक कार्बन और मिट्टी के रोगजनकों के अधिक नियंत्रण से जुड़े होते हैं।
- पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने, रोगाणुओं, कवक और अकशेरूकीय के एक विविध समुदाय का समर्थन करने की क्षमता मॉस के उच्च कवर वाले स्थानों, स्पैगनम जैसे टर्फ बनाने वाले स्थानों में सबसे अधिक होती है।
- मॉस मिट्टी में रोगजनक भार को कम करने में मदद करते हैं।
- रेगिस्तानों में एक विशेष प्रकार की मॉस पनपती है जो 2 प्रकार की होती है जैसे- पेरेनियल मॉस व लम्बे समय तक रहने वाले मॉस।

मॉस के बारे में:

- मॉस एक सामान्य फूल रहित पौधा है जो नम (आर्द्र) या छायादार स्थानों में पाया जाता है। खारे पानी को छोड़कर मॉस पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और आमतौर पर नम छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। ये कालीन वुडलैंड और वन फर्श के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। यह पारिस्थितिक रूप से भूमि की सब्सट्रेट को तोड़ते हैं और पोषक तत्वों को पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराते हैं। वे सतही आवरण प्रदान करके और पानी को अवशोषित करके मिट्टी के कटाव नियंत्रण में भी सहायता करते हैं जो कुछ वनस्पति प्रकारों के पोषक तत्व और जल अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण हैं।

आगे की राह:

मॉस विश्व स्तर पर बढ़ते खतरों के अधीन हैं जैसे-पशुओं द्वारा दोहन, अत्यधिक कटाई, भूमि की सफाई और यहाँ तक कि बदलती जलवायु सबसे बड़े खतरे हैं। इस ग्रह पर सभी के जीवन के लिए मिट्टी के मॉस द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की अधिक स्वीकृति की आवश्यकता है। इसलिए यह वांछनीय होगा कि उनके सकारात्मक लाभों के लिए शिक्षा प्रदान की जाए, उनके सामने आने वाले मुख्य खतरों की पहचान की जाए और उन्हें कम किया जाए तथा उन्हें नियमित निगरानी कार्यक्रमों में शामिल किया जाए।

5. हिमालयी भूरा भालू (Ursus Arctos Isabellinus)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तरी कश्मीर में जम्मू और कश्मीर वन्यजीव विभाग द्वारा एक हिमालयी भूरे भालू को पकड़ा गया। पकड़े जाने से पहले इसे स्थानीय लोगों ने एक कब्रिस्तान में खाना ढूंढ़ते हुए देखा था। भूमि और वन्यजीव क्षेत्र का अतिक्रमण हिमालयी भूरे भालू को कश्मीर के गांवों में आने को मजबूर कर रहे हैं। यह लोगों के रहने वाले इलाकों में भी घूमता था, जिससे लोगों की जान और उनके पशुओं के लिए खतरा बढ़ गया है।

हिमालयी भूरे भालू के बारे में:

- हिमालयी भूरा भालू पश्चिमी हिमालय में पाए जाने वाले भूरे भालू की एक उप-प्रजाति है जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्तनपायी है।
- यह सर्वाहारी है और सर्दियों के दौरान मांदों में हाइबरनेट कर जाता है।
- यह ग्रिजली और कोडियाक भालू से काफी छोटा है।

व्यवहार:

- यह सबसे कम आर्बरियल (पेड़ों पर रहने वाला) भालू है। यह रोलिंग अपलैंड्स में रहता है और यह काफी हद तक स्थलीय जानवर है।
- यह सर्दियों में हाइबरनेशन की अवस्था में रहता है।
- हाइबरनेशन किसी जानवर या पौधे की निष्क्रिय अवस्था में सर्दी बिताने की स्थिति या अवधि है।

वितरण:

- यह जम्मू-कश्मीर के पश्चिमी हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड (3000-5000 मी) में पाया जाता है।
- यह उत्तरी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी भारत, पश्चिमी चीन और नेपाल में पाया जाता है।
- इसकी आबादी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (हिमाचल प्रदेश) और देवसाई नेशनल पार्क (पाकिस्तान) में मौजूद है।
- यह दक्षिण और पश्चिमी लद्दाख में तथा जांस्कर घाटियों में भी पाया जाता है।
- **पर्यावास-** यह मुख्य रूप से एक जंगली जानवर नहीं है जो अल्पाइन झाड़ियों और घास के मैदानों में रहता है। हालांकि यह कभी-कभी सबलपीन जंगलों में पाया जाता है।

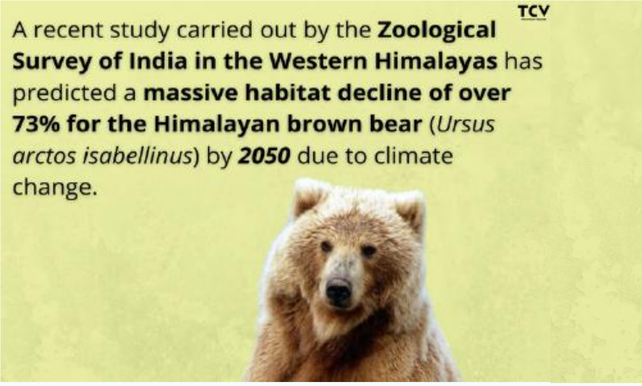

खतरा:

- आवास अतिक्रमण, पर्यटन और चराई के दबाव जैसे विभिन्न मानवजनित दबावों के कारण आवास विनाश से इन्हें खतरा है।
- हिमालयी भूरे भालुओं की आबादी लगातार घटती जा रही है और भारत में अनुमानत: 500-750 भालुओं की संख्या ही बची है।

सुरक्षा की स्थिति:

- आईयूसीएन स्थिति-गंभीर रूप से संकटग्रस्त
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 - अनुसूची-I
- साइट्स- परिशिष्ट-I

आगे की राह:

2020 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा पश्चिमी हिमालय में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 2050 तक भालू के निवास स्थान में लगभग 73 प्रतिशत की गिरावट आएगी। वैज्ञानिकों ने उपयुक्त आवास और जैविक गलियारों में उल्लेखनीय कमी की भविष्यवाणी की है। जलवायु परिवर्तन परिदृश्य में यह 'प्रजातियों के संरक्षण के लिए दीर्घकालिक स्थानिक योजना' की सिफारिश करती है।

6. नये ज्वालामुखी की खोज

चर्चा में क्यों?

भूवैज्ञानिकों ने नॉर्वे के तट से दूर बैरेंट्स सागर के तल पर पहले कभी नहीं देखे गए ज्वालामुखी की खोज की है, जो ग्रह के आंतरिक भाग से मिट्टी, तरल पदार्थ और गैस के साथ प्रस्फुटित हो रहा है।

नए ज्वालामुखी के बारे में:

- ज्वालामुखी एक गड्ढे के अंदर स्थित है जो लगभग 300 मीटर चौड़ा और 25 मीटर गहरा है। भूवैज्ञानिकों को संदेह है कि गड्ढा एक विशाल घटना का परिणाम था जिसमें 18,000 साल पहले अंतिम हिमनदी अवधि के ठीक बाद अचानक बड़े पैमाने पर मीथेन स्त्रावित हुआ था।
- ज्वालामुखी का नाम द बोरेलिस मड ज्वालामुखी रखा गया है। यह Bjornoyrenna (भालू द्वीप गर्त) के बाहरी भाग में दक्षिण-पश्चिमी बैरेंट्स सागर में स्थित है।

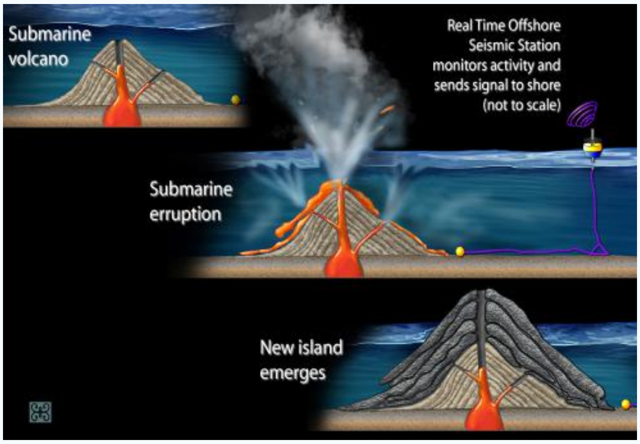

बैरेंट्स सागर के बारे में:

- बैरेंट्स सागर कम गहराई का सागर है जिसकी औसत गहराई 230 मीटर है। यह पश्चिम में गहरे नार्वेजियन सागर से लेकर पूर्व में नोवाया जेमल्या के तट तक और दक्षिण में उत्तरी नॉर्वे से रूस के तट तक फैला है।

बैरेंट्स सागर की विशेषताएं:

- इसका सबसे गहरा बिंदु (600 मीटर) बियर आइलैंड ट्रेंच में स्थित है।
- बैरेंट्स सागर एक उप-आर्कटिक जलवायु का सामना कर रहा है।
- बैरेंट्स सागर के पानी में उच्च लवणता पाई जाती है।
- उत्तरी अटलांटिक बहाव के कारण, बैरेंट्स सागर में समान अक्षांश के अन्य महासागरों की तुलना में उच्च जैविक उत्पादन होता है।
- इसमें स्थलाकृति गर्त और घाटियां पाई जाती हैं जो उथले बैंक क्षेत्रों से अलग होती हैं।

आगे की राह:

विशेषज्ञों के अनुसार जिस समुद्र तल पर ज्वालामुखी की खोज की गई है, वहां सक्रिय समुद्री जीवन है जो कई हजारों साल पहले बने कार्बोनेट क्रस्ट्स के खड़ी किनारों पर फल-फूल रहा है। इससे समुद्र के एनीमोन, स्पंज, मांसाहारी स्पंज, समुद्री तारे, कोरल, समुद्री मकड़ियों और समुद्र के किनारे रहने वाले क्रस्टेशियंस का पता चला है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि नई खोज वैश्विक मीथेन बजट पर स्थानीयकृत इन-टाइम घटनाओं के संभावित प्रभाव और पारिस्थितिक तंत्र पर इसके प्रभावों को समझने में मदद करेगी।

7. केंद्र सरकार ने गौला नदी में खनन जारी रखने को दी अनुमति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार को नैनीताल जिले की गौला नदी में 30 जून तक खनन कार्य जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस महत्त्वपूर्ण अनुमति से राज्य की आय में 50 करोड़ रुपये तक का लाभ होगा, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

राज्य की आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि:

- गौला नदी में खनन कार्य जारी रखने की स्वीकृति के साथ, उत्तराखंड सरकार को 50 करोड़ रुपये तक के लाभ की उम्मीद है।
- यह अतिरिक्त राजस्व राज्य की आय में योगदान देगा, जिससे आवश्यक आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा।
- इसके अलावा, विस्तारित अनुमति से स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है। इससे व्यक्तियों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

महत्त्वपूर्ण निर्माण सामग्री तक पहुंच:

- आर्थिक लाभ के अलावा, गौला नदी में खनन गतिविधियों के विस्तार से कम लागत पर निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
- खनन संचालन निर्माण परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगा, जो क्षेत्र के विकास और बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देगा।
- इससे न केवल सरकार को लाभ होगा बल्कि निर्माण सामग्री को अधिक किफायती और सुलभ बनाकर समुदाय को भी लाभ होगा।

गौला नदी:

- गौला नदी (जिसे गोला नदी के रूप में भी जाना जाता है) उत्तराखंड के पहाड़पानी गाँव से निकलती है और काठगोदाम, हल्द्वानी, किच्छा तथा शाही सहित विभिन्न क्षेत्रों से होकर बहती है।
- यह लगभग 500 किलोमीटर तक फैला है, जो इसे हल्द्वानी और काठगोदाम के लिए एक महत्त्वपूर्ण जल स्रोत बनाता है।
- नदी को कुछ क्षेत्रों में किच्छा और बेगुल भी कहा जाता है। अंततः गौला नदी उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी में मिलती है, जो गंगा की एक सहायक नदी है।

आगे की राह:

नैनीताल जिले के लालकुआं और हल्द्वानी डिवीजन के तहत गौला नदी में चल रहे गौण खनिजों के संग्रह की समय सीमा को बढ़ा दिए जाने से उत्तराखंड सरकार को आर्थिक लाभ होगा, जिससे वहां के लोंगों हेतु रोजगार में वृद्धि होगा तथा वहां के अवसंरचना और बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्त्वपूर्ण सहयोग मिल सकेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1. काइट्रीओमाइकोसिस (Chytridiomycosis)

चर्चा में क्यों?

सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (CCMB) हैदराबाद स्थित शोध टीम ने ऑस्ट्रेलियाई और पनामा के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर काइट्रीओमाइकोसिस के सफल निदान के लिए एक नया परीक्षण विकसित किया है। यह उभयचरों के लिए बहुत ही घातक पशु रोग है।

यह रोग क्या है?

- काइट्रीओमाइकोसिस एक संक्रामक रोग है जो 90 से अधिक उभयचर प्रजातियों को विश्व स्तर पर विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार है। यह दो कवक रोगजनकों बैट्राकोकाइट्रियम डेंड्रोबैटिडिस (BD) और बैट्राकोकाइट्रियम सैलामैंड्रिवोरन्स (Bsal) के कारण होता है।
- यह निदान विधि अनेक उभयचर प्रजातियों पर नए मार्कर का परीक्षण कर सकती है जिसमें मेंढक, टोड, सेसिलियन (अंगहीन उभयचर) और सैलामैंडर (पूंछ वाले उभयचर) शामिल हैं।

यह कैसे संक्रमित करता है?

- काइट्रीओमाइकोसिस या काइट्रिड (Chytrid) मेंढकों को उनकी त्वचा में प्रजनन करके संक्रमित करता है। एककोशिकीय कवक एक त्वचा कोशिका में प्रवेश करता है, गुणन करता है और फिर जानवर की सतह पर वापस आ जाता है।
- त्वचा की क्षति पानी और नमक के स्तर को संतुलित करने की मेंढक की क्षमता को प्रभावित करती है और यदि संक्रमण का स्तर काफी अधिक है तो अंतत: मृत्यु हो जाती है।

द न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट:

- सीसीएमबी आधारित टीम द्वारा स्थापित नया परीक्षण ट्रांसबाउंडरी एंड इमर्जिंग डिजीज में प्रकाशित हुआ है। यह बहुराष्ट्रीय अध्ययन इस बीमारी के सभी ज्ञात उपभेदों का पता लगा सकता है, जो उभयचर काइट्रिड फंगस के कारण होता है।
- उच्च मृत्यु दर और प्रभावित प्रजातियों की उच्च संख्या काइट्रिड को स्पष्ट रूप से सबसे घातक पशु रोग बनाती है जिसे 'पंजूटिक' नाम से जानते हैं जो पशुओं में होने वाली एक महामारी भी है।

महत्त्व:

- इस नए विकास ने देश की जैव प्रौद्योगिकी परीक्षण क्षमताओं में एक नई सफलता जोड़ी है। यह निदान एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पनामा से काइट्रिड के उपभेदों की पहचान करने या उनका पता लगाने में सहायक होगा।
- इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका हैं।
- यह परीक्षण अधिक संवेदनशील है जिससे कम संक्रमण स्तरों का पता लगाने और अध्ययन की जा सकने वाली प्रजातियों की सीमा का विस्तार करने की अनुमति मिलती है। यह परीक्षण काइट्रिड की निकट से संबंधित प्रजातियों का भी पता लगा सकता है जो सैलामैंडर को संक्रमित करते हैं।

आगे की राह:

नया डायग्नोसिस काइट्रिड के फैलाव का सटीक रूप से पता लगाएगा और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है कि मेंढक (उभयचर) में इस बीमारी के खिलाफ प्राकृतिक प्रतिरोध कैसे विकसित होता है? यह सफलता निश्चित रूप से प्रभावित क्षेत्रों के लिए इलाज खोजने में सहायता करेगी।

2. GSLV-F12 ने नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को ऑर्बिट में किया स्थापित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने सफलतापूर्वक NVS-01 नेविगेशन उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया है, जिसका वजन लगभग 2232 किलोग्राम है। यह प्रक्षेपण भारतीय नक्षत्र (NavIC) सेवाओं के साथ नेविगेशन निरंतरता में सुधार करके भारत और इसके आसपास के क्षेत्र में सटीक तथा वास्तविक नेविगेशन प्रदान करेगा।

मुख्य विशेषताएं:

- जीएसएलवी रॉकेट ने 2232 किग्रा उपग्रह को अनुमानित जीटीओ (जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट) में लगभग 251 किलोमीटर एनवीएस 01 की ऊंचाई पर तैनात किया जिसमें नेविगेशन पे लोड एल1, एल5 और एस बैंड हैं।
- ग्रहण (Eclipse) के दौरान, उपग्रह दो सौर सारणियों द्वारा संचालित होता है जो 2.4 किलोवाट तक बिजली पैदा करने में सक्षम होते हैं। साथ ही एक लिथियम आयन बैटरी है जो पेलोड (Payload) का समर्थन करती है।
- पहली बार दूसरी पीढ़ी के उपग्रह ने भी स्वदेशी रूप से विकसित रुबिडीयाम परमाणु ताला (Atomic Lock) बनाया, जिसे अहमदाबाद के सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। इससे पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने परमाणु ताला का आयात किया था।

- नाविक (navIC) संकेतों को उपयोगकर्ताओं के लिए 20 मीटर से अधिक की स्थिति सटीकता और 50 नैनोसेकेंड से अधिक समय की सटीकता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- एनवीएस-01 पांच-उपग्रहों की श्रृंखला में पहला है। एनवीएस-01 की मिशन अवधि लगभग 12 वर्ष होने का अनुमान है। एनवीएस-02 से एनवीएस-05 अगले चार उपग्रह प्रक्षेपण हैं और नेविक 2.0 में 11 से 12 उपग्रह शामिल करने की योजना है।

एनएवीआईसी प्रणाली के बारे में:

- आईआरएनएसएस (इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) भारत में काम करने वाली नेविगेशनल प्रणाली है जिसका परिचालन पदनाम (Operational Designation) एनएवीआईसी (भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन) है।
- इसरो ने इसे देश की स्थिति, नेविगेशन और समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है। यह मुख्य रूप से भारतीय मुख्य भूमि के आसपास 1500 किमी तक फैले क्षेत्र में नागरिक उड्डयन और सैन्य उद्देश्यों के लिए बनाया गया है।
- NavIC में जियोसिंक्रोनस/इनक्लाइन्ड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में सात सैटेलाइट-रीजनल नेविगेशन तारामंडल शामिल होंगे।
- यह दो सेवाएं असैन्य उपयोगकर्ताओं के लिए सामान्य स्थिति सेवा और सामरिक उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिबंधित सेवा प्रदान करेगा।
- NavIC SPS सिग्नल रूस के GPS (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) ग्लोनास सिग्नल, गैलीलियो (यूरोपीय संघ) और चीन से BeiDou सिग्नल के साथ इंटरऑपरेबल हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO):

- इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है।
- इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग (DOS) का एक प्रमुख घटक है।
- इसका मुख्य लक्ष्य विभिन्न राष्ट्रीय जरूरतों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रयोग करना है।
- इसरो को पहले इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च (INCOSPAR) के नाम से जाना जाता था, जिसे भारत सरकार द्वारा 1962 में स्थापित किया गया था।
- इसरो की स्थापना 15 अगस्त, 1969 को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए व्यापक जनादेश के साथ INCOSPAR को प्रतिस्थापित करने के लिए की गई थी।

आगे की राह:

यह सफल प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को विकसित करने, नागरिक उड्डयन और सैन्य दोनों क्षेत्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसरो के समर्पण को प्रदर्शित करता है।

3. एबॉसीन (Abaucin)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेचर केमिकल बायोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी में उल्लेख किया गया है कि शोधकर्ताओं ने जीवन के लिए खतरनाक बैक्टीरिया के खिलाफ नए एंटीबायोटिक दवाओं की पहचान करने हेतु मशीन लर्निंग का उपयोग किया है। इस खोज में Abaucin की पहचान Acinetobacter Baumannii वृद्धि के खिलाफ एक प्रभावी अवरोधक के रूप में की गई है।

नए एंटीबायोटिक की पहचान के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग कैसे किया जाता है?

- शोधकर्ताओं ने 7,684 अणुओं की एक सूची तैयार की है जो पहले से ही प्रयोगशाला में जैव-आणविक अध्ययन में ए. बॉमनी के विकास को बाधित करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मशीन-लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए इन अणुओं का इस्तेमाल किया।
- उन्होंने इस प्रणाली को नए 6,680 अणुओं के एक डेटाबेस में लागू किया, ताकि वे उन अणुओं को खोज सकें जो ए. बॉमनी से लड़ सकते हैं। शोधकर्ताओं ने ए. बॉमनी के खिलाफ गतिविधि के लिए उनका परीक्षण किया और पाया कि उनमें से नौ ने बैक्टीरिया के विकास को 80% या उससे अधिक तक रोक दिया। नौ में से एबॉसीन को एसिनेटोबैक्टर बॉमनी बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए सबसे प्रभावी के रूप में देखा जाता है।

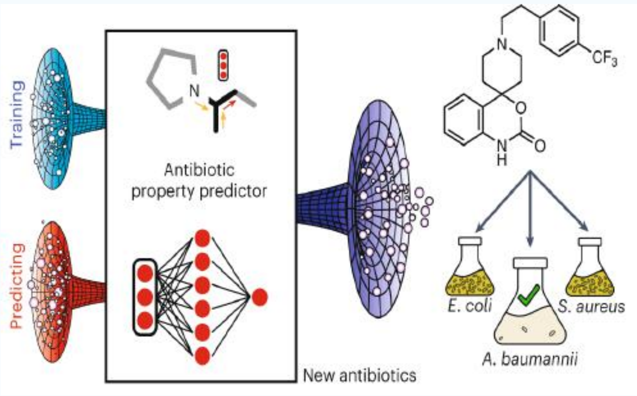

A. Baumannii के बारे में:

- A- बॉमनी एक जीवाणु है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक सुरक्षात्मक बाहरी झिल्ली होती है जो इसे एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोध करने की अनुमति देती है। यह भारत में अस्पताल से प्राप्त संक्रमणों से जुड़ा हुआ है।
- ए. बॉमनी को एक दशक पहले भी 'रेड अलर्ट' रोगजनक के रूप में स्वीकार किया गया था। इसमें मुख्य रूप से वर्तमान में उपलब्ध सभी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध को विकसित करने की असाधारण क्षमता व्याप्त है।

Abaucin के बारे में:

- Abaucin एक यौगिक है जिसे संकीर्ण-स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के रूप में रिपोर्ट किया गया है। यह Acinetobacter Baumannii के खिलाफ प्रभावी है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मानवता के लिए 'गंभीर खतरे' के रूप में पहचाने जाने वाले तीन सुपरबग्स में से एक है। इसकी क्रिया के तरीके में लिपोप्रोटीन परिवहन

को रोकना शामिल है। लिपोप्रोटीन एक आणविक ढांचा है जो कोशिकाओं के अंदर वसा के परिवहन के लिए आवश्यक है। यौगिक को पहले केमोकाइन रिसेप्टर CCR2 के एक विरोधी के रूप में रिपोर्ट किया गया था, लेकिन इसकी एंटीबायोटिक गतिविधि पहले के शोध के दौरान नहीं खोजी गई थी।

आगे की राह:

रोगाणुरोधी प्रतिरोध के उदय और एंटीबायोटिक दवाओं के नए वर्गों की पहचान करने के प्रयासों के कारण यह खोज महत्त्वपूर्ण है। यह भी स्पष्ट करता है कि कैसे मशीनें नई एंटीबायोटिक दवाओं की पहचान, खोज और परीक्षण में तेजी लाने में मदद कर सकती हैं? इनकी दुनिया को सख्त जरूरत है जो संभावित रूप से श्रमसाध्य प्रक्रिया की लागत को कम कर सकती है।

4. हिग्स बोसोन क्षय (Higgs Boson Decay)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोप में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पार्टिकल-स्मैशर के साथ काम करने वाले भौतिकविदों ने बताया कि उन्होंने एक Z बोसोन कण और फोटॉन में एक हिग्स बोसोन के क्षय का पता लगाया है। यह एक बहुत ही दुर्लभ क्षय प्रक्रिया है जो हमें हिग्स बोसोन के साथ-साथ हमारे ब्रह्मांड के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी बताती है।

हिग्स बोसोन के बारे में:

- हिग्स बोसोन एक प्रकार का बोसोन है, जो एक बलवाहक उपपरमाण्विक कण है। यह उस बल का वहन करता है जो एक कण अनुभव करता है, जब वह एक ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से चलता है, जिसे हिग्स क्षेत्र कहा जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि यह पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। उदाहरण के लिए, जब एक इलेक्ट्रॉन हिग्स क्षेत्र के साथ संपर्क करता है, तो इसके द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रभावों को हिग्स बोसोन का कारण माना जाता है।

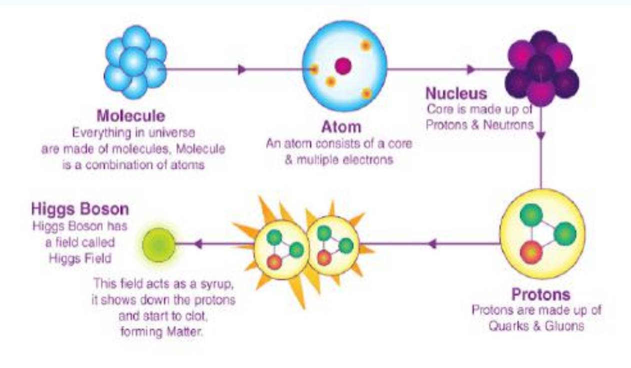

कैसे इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन अपना द्रव्यमान प्राप्त करते हैं?

- इलेक्ट्रॉन एक उप-परमाणु कण है जिसमें द्रव्यमान होता है। वे हिग्स बोसोन के साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से अपना द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। उपपरमाण्विक कणों का द्रव्यमान इस बात पर निर्भर करता है कि वे हिग्स बोसॉन के साथ कितनी प्रबलता से परस्पर क्रिया करते हैं? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है जो प्रोटॉन की तुलना में कम अंत:क्रिया के कारण होता है।
- चूँकि ब्रह्माण्ड का सारा पदार्थ इन कणों से बना है, हिग्स बोसोन के साथ प्रत्येक प्रकार के जोड़े कितनी मजबूती से काम करते हैं? साथ ही हिग्स बोसोन के गुणों को समझने से ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। फोटोन, प्रकाश के कणों का कोई द्रव्यमान नहीं है क्योंकि वे हिग्स बोसोन के साथ परस्पर क्रिया नहीं करते हैं।
- इससे एक सवाल उठना चाहिए कि एक हिग्स बोसॉन जेड बोसोन और एक फोटॉन में कैसे क्षय हो गया? अगर यह फोटॉन के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है।

आभासी कणों के बारे में:

- क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार, उपपरमाण्विक स्तर पर अंतरिक्ष खाली नहीं है। यह आभासी कणों से भरा हुआ है जिसमें ऐसे कण हैं जो जल्दी से अस्तित्व में आते हैं। उनका सीधे पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन भौतिकविदों के अनुसार उनका प्रभाव कभी-कभी बना रहता है।
- एलएचसी अरबों ऊर्जावान प्रोटॉनों को आमने-सामने की टक्कर में तेजी से बढ़ाकर एक हिग्स बोसोन बनाता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो विभिन्न कणों में संघनित होती है। जब इस गर्म सूप में एक हिग्स बोसोन बनाया जाता है, तो आभासी कणों के साथ एक क्षणभंगुर संपर्क होता है जो एक जेड बोसोन और एक फोटॉन बनाता है।

आगे की राह:

मानक मॉडल भविष्यवाणी करता है कि यदि हिग्स बोसोन का द्रव्यमान 125 बिलियन eV/c2 (उपपरमाण्विक कणों के लिए प्रयुक्त द्रव्यमान की एक इकाई) है, तो हिग्स बोसोन इस पथ को 0.1% समय तक ले जाएगा। स्टैंडर्ड मॉडल ने कई सटीक भविष्यवाणियां की हैं लेकिन यह स्पष्ट नहीं कर सकता कि डार्क मैटर क्या है या वास्तव में हिग्स बोसोन इतना भारी क्यों है? इसकी भविष्यवाणियों का यथासंभव सटीक परीक्षण करना भौतिकविदों के लिए इसे समझाने का एक तरीका है।

5. पहली रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस (RSV) वैक्सीन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोपीय आयोग ने रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस (Respiratory Syncytial Virus) के कारण होने वाले लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज (LTRD) को रोकने हेतु सक्रिय टीकाकरण के लिए जीएसके की अरेक्सी वैक्सीन को अधिकृत किया है। यह रोग आमतौर पर 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों को प्रभावित करता है।

आरएसवी टीके:

- जीएसके का आरएसवी टीका यूरोपीय क्षेत्र में सामान्य श्वसन रोगों

के खिलाफ पहला शॉट देगा जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए घातक हो सकता है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में किया जाएगा।

- आरएसवी एक सामान्य सन्निहित श्वसन वायरस है जो अकेले यूरोप में 270,000 से अधिक अस्पताल में भर्ती होने और लगभग 20,000 लोगों की मौतों का कारण बनता है।
- रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस न्यूमोविरिडे परिवार के भीतर जीनस-ऑर्थोपोन्यूमोवायरस से संबंधित है। इस जीनस के सदस्यों में मानव आरएसवी, बोविन आरएसवी और म्युरीन निमोनिया वायरस शामिल हैं। मानव आरएसवी सभी आयु समूहों में निचले श्वसन पथ के संक्रमण का विश्व स्तर पर प्रचलित कारण है।
- अस्पताल में भर्ती होने वाले अधिकांश आरएसवी मरीजों में, अन्य बीमारियों जैसे कि मधुमेह, पुरानी हृदय और फेफड़े की बीमारी से ग्रसित रोगियों की संख्या उच्च है।

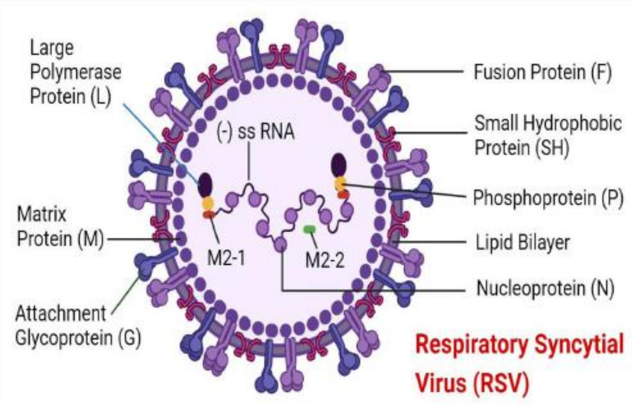

आरएसवी वैक्सीन अनुमोदन का महत्त्वः

- यूरोपियन मेडिकल एजेंसी (EMA) और यूएसएफडीए के संयुक्त प्रयास द्वारा यूरोपीय यूनियन का प्राधिकरण जीएसके के लैंडमार्क निर्णायक सकारात्मक तृतीय चरण के परीक्षण डेटा पर आधारित है। इन परीक्षणों में वैक्सीन ने लगभग सांख्यिकी रूप से महत्त्वपूर्ण 83% की दर से सार्थक समग्र प्रभावकारिता दिखाई है।
- आरएसवी, एक सन्निहित वायरस फेफड़ों और श्वास मार्गों को प्रभावित करता है, इसलिए टीका सबसे अधिक प्रभावित वर्ग को बेहतर प्रतिरक्षण क्षमता प्रदान करेगा। आरएसवी क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) अस्थमा और क्रोनिक हार्ट फेल्योर सहित चिकित्सीय स्थितियों को भी बढ़ाता है जो गंभीर निमोनिया तथा मृत्यु का कारण बन सकता है।
- आरएसवी वैक्सीन का विकास, यूरोपीय क्षेत्र में श्वसन के संक्रमण के बढ़ते जोखिम के विरुद्ध मानव आबादी की दीर्घायु सुनिश्चित करेगा।

भारत और आरएसवीः

- भारत में प्रति वर्ष प्रति 1,000 बच्चों पर आरएसवी के 53 मामले सामने आते हैं। भारतीय अध्ययनों (1991 से 2022 के दौरान प्रकाशित) की रिपोर्ट के अनुसार निमोनिया वाले बच्चों में आरएसवी की परिवर्तनशील उपस्थिति 14% से लेकर 40% तक है।
- जीएसके द्वारा विकसित इस टीके को दुनिया में कहीं और मंजूरी नहीं मिली है। भारत में आरएसवी के लिए चिकित्सा उपचार, निमोनिया के उपचार के समान पारंपरिक तरीके से किया जाता है। उम्मीद है कि यह कदम भारत के शानदार फार्मास्युटिकल क्षेत्र को स्वदेशी आरएसवी टीके विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

आगे की राहः

वृद्ध आबादी के लिए पहले आरएसवी टीके द्वारा सक्रिय टीकाकरण, चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता है, लेकिन आरएसवी-एलटीआरडी का प्रचलन भारत की युवा आबादी में सबसे आम है। इसलिए युवा आबादी के लिए नए आरएसवी टीकों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

6. महामारी संधि का 'जीरो-ड्राफ्ट' प्रकाशित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी संधि का 'जीरो-ड्राफ्ट' प्रकाशित किया है। इस संधि को लेकर पहले दौर की वार्ता 22 फरवरी, 2022 को हुई थी।

महामारी संधिः

- इस संधि को तैयार करने के पीछे का उद्देश्य वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर महामारी की तैयारी करना है।
- नोवेल कोरोनावायरस रोग (कोविड-19) महामारी के जवाब में एकजुटता और इक्विटी में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विनाशकारी विफलता की प्रतिक्रिया के रूप में महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
- इसे भविष्य की महामारी को रोकने और किसी भी वैश्विक प्रकोप के खिलाफ प्रतिक्रिया प्रणाली में सुधार करने के लिए तैयार किया गया है।

महामारी संधि के प्रमुख प्रावधानः

- मसौदा विभिन्न मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ महामारी की परिभाषा को समाहित करता है, साथ ही 'सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों' की भी पहचान करता है।
- एक प्रकोप को महामारी तब माना जाता है जब कोई संक्रमण उच्च रुग्णता और मृत्यु दर के साथ विश्व स्तर पर तेजी से फैलता है।
- इसे परिभाषित करने के अन्य कारक हो सकते हैं जैसे-प्रतिरक्षात्मक रूप से मानव आबादी को संक्रमित करना, स्वास्थ्य प्रणाली को उनकी क्षमता से परे अन्य सामाजिक-आर्थिक व्यवधानों की ओर धकेलना।

संधि से संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण पहलूः

- यह संधि इस बात की वकालत करती है कि महामारी के दौरान बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के क्रियान्वयन में छूट देनी चाहिए ताकि जीवन रक्षक दवाओं और टीकों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
- मसौदे में प्रस्ताव है कि महामारी से संबंधित उत्पादों (टीके, डायग्नोस्टिक्स, पीपीई किट आदि) का 20% डब्ल्यूएचओ को

आवंटित किया जाना चाहिए ताकि कम और मध्यम आय वाले देशों को समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

- पैथोजन एक्सेस और बेनिफिट-शेयरिंग सिस्टम (PABS) के गठन की बात करता है। यह प्लेटफॉर्म रोगजनकों के जीनोम अनुक्रमण और उनकी महामारी क्षमता से संबंधित सभी सूचनाओं प्रदान करेगा।
- इस मसौदे में एक वैश्विक महामारी आपूर्ति-शृंखला और रसद नेटवर्क की स्थापना पर भी विचार किया गया है।

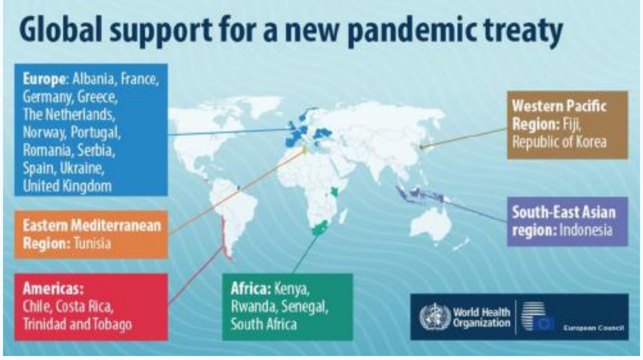

महामारी संधि से संबंधित मुद्दे:

- शोधकर्ताओं के समूह ने तर्क दिया कि यह महामारी संधि वायरल खतरों पर अत्यधिक केंद्रित है, जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) और जीवाणु खतरों को नजरअंदाज कर दिया गया है। इसमें एंटीबायोटिक दवाओं का प्रबंधन आम पूल संसाधन के रूप में करने और नॉवेल रोगाणुरोधी दवाओं के अनुसंधान तथा विकास को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता की अनदेखी भी शामिल है।

एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध:

- एएमआर वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रोगाणुओं (कवक, बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी) के कारण होने वाले संक्रमण उनके इलाज के लिए विकसित दवाओं के लिए प्रतिरोधी बन जाते हैं।
- एएमआर अब दुनिया भर में मौत का एक प्रमुख कारण है क्योंकि यह दवा प्रतिरोधी संक्रमणों जैसे दवा प्रतिरोधी-क्षय रोग, निमोनिया आदि के जोखिम को बढ़ाता है।

आगे की राह:

महामारी साधन न केवल वैश्विक प्रकोप को रोकने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, बल्कि मजबूत और अच्छी तरह से समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया प्रणाली की स्थापना भी सुनिश्चित करता है। एएमआर संक्रमण का खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और किसी भी देश के लिए अकेले इनसे निपटना संभव नहीं है। इसलिए संसाधनों का पुनरोद्धार और रोगाणुरोधी दवाओं व उपचार पर शोध करना समय की आवश्यकता है।

7. खोई हुई दुनिया के जीवाश्म अवशेष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, शोधकर्ताओं ने एक चट्टान में प्रोटोस्टेरॉल बायोटा जीवाश्म अवशेष की पहचान की है जो प्रोटेरोजोइक ईऑन से संबंधित है। यह जीवाश्म 1.6 बिलियन साल पहले का है। शोधकर्ता ने कहा कि जीवाश्म अवशेष सूक्ष्म जीवों की खोई हुई दुनिया के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी देंगे। वैज्ञानिक लंबे वक्त से शुरुआती यूकेरियोट्स के जीवाश्म के सबूत तलाश रहे थे। इनके जीवाश्म काफी दुर्लभ हैं, लेकिन वैज्ञानिक उन तक पहुंच ही गए। वैज्ञानिक इतना जान गए हैं कि प्रोटोस्टेरॉल बायोटा बैक्टीरिया की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बड़े रहे होंगे, लेकिन उनका असल आकार क्या था? अभी पता नहीं है।

प्रोटेरोजोइक ईऑन:

- प्रोटेरोजोइक ईऑन प्रीकैम्ब्रियन समय के दो डिवीजनों में सबसे छोटा है। प्रोटेरोजोइक ईऑन 2.5 बिलियन से 541 मिलियन वर्ष पूर्व तक का समय माना जाता है।

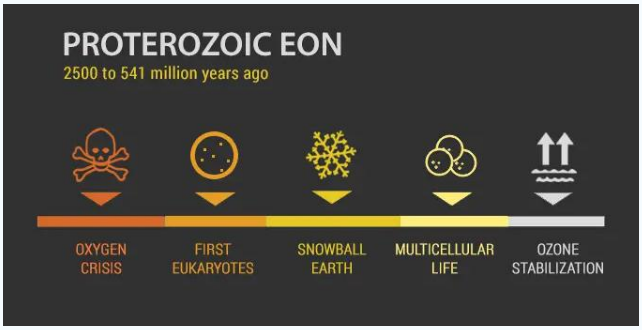

प्राप्त हुए जीवाश्म का महत्त्व:

- प्राचीन ऑस्ट्रेलियाई चट्टानों में प्रोटोस्टेरॉल बायोटा नामक सूक्ष्म जीवों की सफलता का पता लगाने से यूकेरियोट्स के प्रारंभिक विकास की हमारी समझ में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- जानवरों और पौधों के उद्‌भव से लगभग एक अरब साल पहले ये सूक्ष्म जीव हमारे ग्रह के पानी के आवासों में पनपे थे, लेकिन वे अब तक जीवाश्म रिकॉर्ड में छिपे रहने में कामयाब रहे हैं।
- ऐसा माना जाता है कि इन जीवों ने जटिल जीवन के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और पृथ्वी के अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र को आकार दिया हो।
- शोधकर्ताओं का अनुमान है कि प्रोटोस्टेरॉल बायोटा किसी भी जानवर या पौधे के उभरने से कम से कम एक अरब साल पहले जीवित थे। इनके आणविक अवशेष 1.6 अरब साल पुरानी चट्टान में पाए गए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, एएनयू से पीएचडी कर चुके डॉ. बेंजामिन नेटर्सहेम ने कहा कि 1.6 अरब साल पुरानी चट्टानों में पाए गए प्रोटोस्टेरॉल बायोटा के आणविक अवशेष हमारे अपने वंश के सबसे पुराने अवशेष प्रतीत होते हैं।

आगे की राह:

शोधकर्ताओं का कहना है कि प्रोटोस्टेरॉल बायोटा पृथ्वी पर सबसे पहले परभक्षी (Predators) हो सकते हैं। उनके मुताबिक इस जीव की मौजूदगी दुनियाभर के समुद्री इकोसिस्टम पर काफी संख्या में थी। वे हमारे यूकेरियोटिक वंश के जुड़ाव के अतीत में अनुसरण करने के लिए एक नया मार्ग भी तैयार करते हैं।

1. CIBIL स्कोर पर शिक्षा ऋण आवेदन को न करे अस्वीकार: केरल हाईकोर्ट

चर्चा में क्यों?

केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक छात्र का क्रेडिट स्कोर (CIBIL) शिक्षा ऋण आवेदन को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकता है।

क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (CIBIL) स्कोर के बारे में:

- सिबिल स्कोर विभिन्न ऋण प्रकारों और संस्थानों में किसी व्यक्ति के क्रेडिट भुगतान इतिहास का एक संख्यात्मक सारांश प्रदान करता है, जो उधारदाताओं को क्रेडिट-योग्यता का आंकलन करने में सहायता करता है।
- सिबिल स्कोर एक तीन अंकों की संख्या है जिसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड द्वारा बनाए रखा जाता है जिसकी गणना की जाती है।
- स्कोर का मान 300 से 900 के बीच होता है। सिबिल स्कोर जितना अधिक होगा, उपभोक्ता के ऋण आवेदन के स्वीकृत होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
- यह आमतौर पर पिछले 36 महीनों में उधारकर्ता की क्रेडिट प्रोफाइल को ध्यान में रखता है।

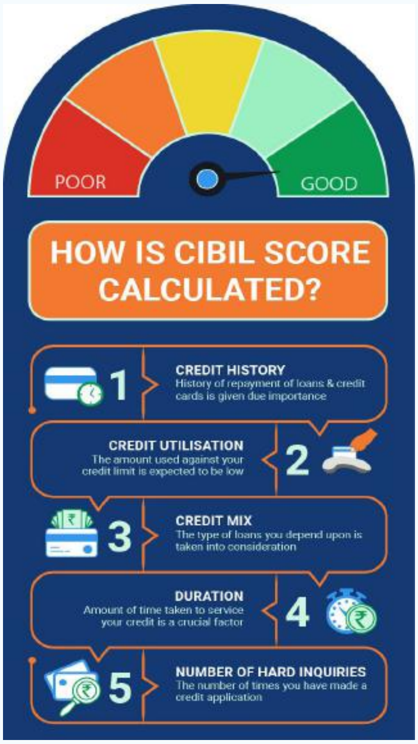

सिबिल के बारे में:

- यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लाइसेंस प्राप्त अग्रणी क्रेडिट ब्यूरो और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी (CIC) है।
- यह 500 मिलियन से अधिक व्यक्तियों और 31 मिलियन व्यवसायों के क्रेडिट प्रोफाइल का रखरखाव करता है।
- सिबिल इंडिया एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय समूह ट्रांसयूनियन का हिस्सा है।

शिक्षा ऋण नीतियों पर आरबीआई का परिपत्र:

- आरबीआई के पास उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले योग्य छात्रों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा तैयार की गई एक मॉडल शैक्षिक ऋण योजना है।
- 2019 में, RBI ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को शैक्षिक ऋण योजना अपनाने की सलाह दी।

केरल उच्च न्यायालय के फैसले का महत्त्व:

- यह फैसला इस बात पर जोर देकर छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है कि क्रेडिट स्कोर ऋण अस्वीकृति का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए, जिससे छात्रों को शैक्षिक अवसरों से वंचित होने से रोका जा सके।
- यह छात्र की भविष्य की क्षमता और राष्ट्र के भविष्य के निर्माताओं के रूप में उनकी भूमिका के महत्त्व को स्वीकार करता है।
- यह निर्णय निष्पक्ष मूल्यांकन मानदंड की आवश्यकता को भी स्थापित करता है।
- यह निर्णय भविष्य के मामलों के लिए एक उदाहरण पेश करता है जो शिक्षा ऋण आवेदनों के मूल्यांकन में अधिक समग्र और अनुकंपा दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

आगे की राह:

अदालत ने छात्रों को 'कल के राष्ट्र निर्माता' के रूप में मान्यता दी, और यह फैसला उन्हें वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा। पीयर-टू-पीयर लेंडिंग नेटवर्क की सुविधा के साथ-साथ पूरे देश में शैक्षिक ऋण के लिए पारदर्शी मानकीकृत तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है।

2. मल्टीनेशनल कंपनियों पर एंजेल टैक्स से एफडीआई इनफ्लो पर प्रतिकूल प्रभाव

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्रालय ने गैर-सूचीबद्ध भारतीय स्टार्टअप्स में अनिवासी निवेश के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 21 देशों के निवेशकों को एंजेल टैक्स से छूट दी है। हालाँकि इस सूची में सिंगापुर, नीदरलैंड और मॉरीशस जैसे देशों के निवेश शामिल नहीं हैं।

एंजेल टैक्स क्या है?

- शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर एक करीबी कंपनी के शेयरों की खरीद के माध्यम से अस्पष्टीकृत धन के निर्माण और उपयोग को रोकने के लिए, एंजेल टैक्स को पहली बार 2012 में लागू किया गया था।
- यह एक 30% कर है जो किसी बाहरी निवेशक से स्टार्टअप द्वारा प्राप्त धन पर लगाया जाता है।
- विशिष्ट परिदृश्यों में जहां एक असूचीबद्ध कंपनी उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है, एंजेल टैक्स लागू होता है।

- वर्तमान समय में, उचित बाजार मूल्य पर शुद्ध निवेश पर 30.9 प्रतिशत की भारी दर पर एंजेल टैक्स लगाया जाता है।
- देश में विदेशी निवेश को नियमित करने के लिए एंजेल टैक्स लाया गया है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है।

एंजेल इन्वेस्टर कौन है?

- एंजेल निवेशक आमतौर पर उद्यमी होते हैं जो व्यवसाय शुरू करने वाले व्यक्ति के करीबी या रिश्तेदार होते हैं।
- एंजेल निवेशक अक्सर अपने निवेश को छुपा कर रखना चुनते हैं।
- एंजेल निवेशक आम तौर पर उच्च-नेट-वर्थ वाले व्यक्ति होते हैं जो किसी फर्म या संस्थान की ओर से निवेश करने के बजाय अपने स्वयं के व्यक्तिगत धन का निवेश करते हैं।
- एंजेल निवेशक आमतौर पर शुरुआती चरण में (जब स्टार्ट-अप के विफल होने का जोखिम अपेक्षाकृत अधिक होता है) एक बार या लगातार तरीके से स्टार्ट-अप को समर्थन देते हैं।

एंजेल टैक्स के दायरे में आने वाले निवेश:

- 2023-24 से पहले एंजेल टैक्स केवल निवासी निवेशक द्वारा किए गए निवेश पर लगाया जाता था।
- स्टार्ट-अप्स की चिंताओं को दूर करते हुए, सरकार ने अंतर-मंत्रालयी पैनल द्वारा अनुमोदित कंपनियों में घरेलू निवेशकों द्वारा किए गए निवेश को एंजेल टैक्स से छूट दी थी।

आगे की राह:

मौजूदा सेक्शन के तहत एफडीआई के लिए बड़े पैमाने पर गिरावट को देखते हुए निवेशक वर्ग के बीच अधिक स्पष्टीकरण की उम्मीद है। यह उपाय बढ़े हुए मूल्यांकन के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का प्रयास करता है।

3. आपात स्थितियों के लिए RBI की नियोजित 'लाइटवेट' भुगतान प्रणाली

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हल्के भुगतान और निपटान प्रणाली (LPSS) की शुरूआत की जिसे डिजिटल भुगतान के समकक्ष 'बंकर' कहा जाता है। इस प्रणाली को प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध जैसी आकस्मिकताओं में न्यूनतम कर्मचारियों द्वारा कहीं से भी संचालित किया जा सकता है।

लाइटवेट प्रणाली (Lightweight System) क्या है?

- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, इस तरह के हल्के और पोर्टेबल भुगतान प्रणाली के न्यूनतम हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर पर काम करने की पहल है।
- इसे केवल 'जरूरत के आधार' पर सक्रिय किया जाएगा।
- इस तरह की प्रणाली देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के लगभग शून्य डाउनटाइम को सुनिश्चित कर सकती है जो आवश्यक भुगतान सेवाओं जैसे-थोक भुगतान, इंटरबैंक भुगतान आदि के निर्बाध कामकाज की सुविधा देकर अर्थव्यवस्था की तरलता को बढ़ावा दे सकती है।
- सरकार और बाजार से संबंधित लेन-देन सहित अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण लेन-देन को सिस्टम से संसाधित करने की अपेक्षा की जाती है।
- इसके बंकर समतुल्य भुगतान प्रणाली के रूप में कार्य करने की भी उम्मीद है जिससे चरम स्थितियों के दौरान भी डिजिटल भुगतान में जनता का विश्वास बढ़ेगा।

एलपीएसएस, यूपीआई से कैसे अलग है?

- मौजूदा पारंपरिक भुगतान प्रणालियां जैसे-आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई को निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए बड़ी मात्रा में लेनदेन को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है।
- नतीजतन, वे उन्नत आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा समर्थित जटिल वायर्ड नेटवर्क पर निर्भर हैं।
- हालांकि प्राकृतिक आपदा और युद्ध जैसी विपत्तिपूर्ण घटनाओं में इन भुगतान प्रणालियों को अस्थायी रूप से अनुपलब्ध होने की संभावना रहती है।
- एलपीएसएस के लिए बुनियादी ढांचा उन तकनीकों से स्वतंत्र होगा जो भुगतान की मौजूदा प्रणालियों जैसे-यूपीआई, एनईएफटी और आरटीजीएस को रेखांकित करती हैं।

चुनौतियां:

- ऐसी प्रणाली के लिए तत्परता और प्रभावशीलता के लिए हितधारकों के बीच सावधानीपूर्वक योजना तथा समन्वय की आवश्यकता होती है।
- इसमें प्रदर्शन और प्रभाव की निरंतर निगरानी व मूल्यांकन के साथ-साथ कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है।
- परिनियोजन से पहले सिस्टम को कार्यक्षमता, सुरक्षा और विश्वसनीयता के परीक्षण व सत्यापन की आवश्यकता होती है।

आगे की राह:

एलपीएसएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सावधानीपूर्वक और समावेशी योजना की आवश्यकता है। एलपीएसएस देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ाएगा, जिससे ऑनलाइन लेनदेन में जनता का विश्वास बढ़ेगा।

4. मूल्य समर्थन योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए फसल वर्ष 2023-24 के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत तीन दालों अरहर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा को हटा दिया है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि किसान इस साल मूल्य समर्थन योजना के तहत अरहर, उड़द और मसूर के अपने उत्पादन को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

इस घोषणा के पीछे कारण:

- सरकार द्वारा लाभकारी कीमतों पर इन दालों की सुनिश्चित खरीद से किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी खरीफ और रबी बुवाई के मौसम में तुअर, उड़द और मसूर के संबंध में बुवाई क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी।
- फसल वर्ष 2022-23 के दौरान घरेलू उत्पादन में मामूली गिरावट को देखते हुए तुअर और उड़द की खुदरा कीमतों पर दबाव बढ़ा है। इसलिए इस चुनौती से पार पाने के लिए सरकार ने सीलिंग हटा दी।
- यद्यपि भारत विश्व में दालों का प्रमुख उत्पादक है, इसके बावजूद बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा दालों के आयात में प्रयोग होती है। इस उपाय से दालों के आयात को कम किया जा सकता है।

दालों की कीमत को नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए अन्य उपाय:

- मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे तुअर और उड़द पर स्टॉक सीमा को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करें ताकि उनकी कीमतों की निगरानी की जा सके।
- जमाखोरी और कीमतों में बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए मंत्रालय ने तुअर और उड़द पर स्टॉक की सीमा तय कर दी है। थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिक और आयातकों के लिए स्टॉक सीमा लागू की गई है।
- इन संस्थाओं के लिए उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
- मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राज्यों में सीमाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। प्रवर्तन के हिस्से के रूप में, राज्यों को विभिन्न गोदाम संचालकों के साथ सत्यापन करके कीमतों और स्टॉक की स्थिति की निगरानी करने के लिए भी कहा गया है।
- मंत्रालय ने सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (CWC) और स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (SWC) से उनके गोदामों में रखे अरहर और उड़द के बारे में विवरण उपलब्ध कराने को भी कहा है।

मूल्य समर्थन योजना के बारे में:

- इस योजना के तहत सरकारी नोडल एजेंसियों द्वारा दलहन, तिलहन और खोपरा की भौतिक खरीद की जाती है। पीएसएस तभी चालू होता है जब कृषि-उपज की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे गिर जाती हैं। खरीद के कारण होने वाले खर्च और नुकसान को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

मूल्य समर्थन योजना के उद्देश्य:

- आय स्थिरता सुनिश्चित करना।
- उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- बाजार की अस्थिरता के खिलाफ बफर।

आगे की राह:

मूल्य समर्थन योजना कृषि बाजारों को स्थिर करने, किसानों के लिए आय सुरक्षा सुनिश्चित करने और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आय स्थिरता और खाद्य सुरक्षा जैसे लाभ प्रदान करता है। नीति निर्माताओं को इसकी संभावित कमियों जैसे बाजार विकृति और बजटीय दबावों पर सावधानी से विचार करना चाहिए। दुनिया भर में प्रभावी मूल्य समर्थन योजनाओं को लागू करने में मूल्य स्थिरता और बाजार दक्षता के बीच संतुलन बनाना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

5. आरबीआई ने उधार और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी सिस्टम (FLDG) किया लागू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आरबीआई ने फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी प्रोग्राम को मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम फिनटेक कंपनियों और बैंकों या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच सहयोग को सक्षम बनाता है। इस पहल के कार्यान्वयन से डिजिटल ऋण देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने की उम्मीद है जिसे डेटाटेक एनबीएफसी और फिनटेक फर्मों के लिए एक अनुकूल विकास माना जाता है।

फिनटेक कंपनियां क्या होती हैं?

- फिनटेक कंपनियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तथा मोबाइल एप्लिकेशन आदि जैसी चीजों का उपयोग करके वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए नए तरीके से प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं जो बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाती हैं। वे डेटा का विश्लेषण करने के लिए उन्नत तकनीक का भी उपयोग करते हैं।

एफएलडीजी के बारे में मुख्य बातें:

- सेंट्रल बैंक (RBI) द्वारा उल्लिखित नियमों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी बकाया पोर्टफोलियो पर डिफॉल्ट लॉस गारंटी (DLG) द्वारा प्रदान किया गया कुल कवरेज ऋण पोर्टफोलियो राशि के 5% से अधिक नहीं है, जिसे अग्रिम निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- निहित गारंटी व्यवस्था के मामले में, डीएलजी प्रदाता को अंतर्निहित ऋण पोर्टफोलियो की समतुल्य राशि के 5% से अधिक के प्रदर्शन जोखिम को नहीं मानना चाहिए।
- आरबीआई के नियमन के तहत संस्थाओं को अब ऋण अतिदेय होने के 120 दिनों के भीतर डिफॉल्ट गारंटी के आह्वान की गारंटी

देने की आवश्यकता है।

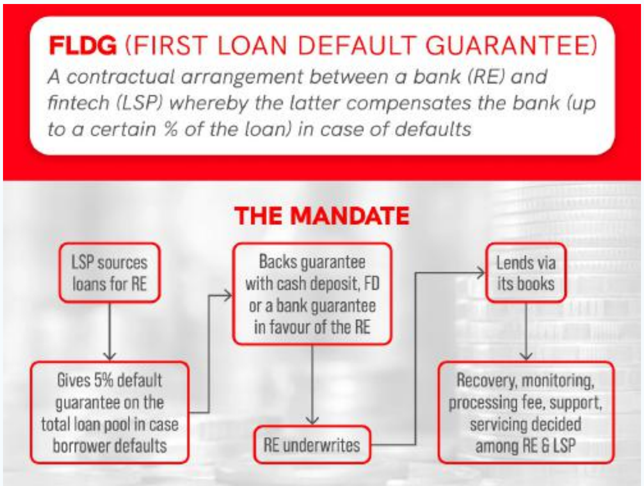

गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) के बारे में आरबीआई की चिंता:

- भारतीय रिजर्व बैंक ने आगाह किया है कि समय पर भुगतान नहीं किए गए ऋणों से संबंधित एनपीए की गणना हेतु मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए तथा भागीदारों के साथ की गई डिफॉल्ट हानि गारंटी (DLG) व्यवस्था के खिलाफ ऑफसेट नहीं होना चाहिए।
- आरबीआई के अनुसार, डीएलजी राशि को उसके द्वारा कवर किए जाने वाले व्यक्तिगत ऋणों से नहीं काटा जाना चाहिए। अनियमित ऋण सेवा प्रदाताओं (LSP) के साथ ऋणदाताओं के सहयोग पर पारदर्शिता और निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए, आरबीआई ने प्रत्येक साहूकार के लिए डिफॉल्ट गारंटी योजना के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को अनिवार्य कर दिया है।

आगे की राह:

डीएलजी दिशानिर्देश उधार उद्योग के भीतर नवाचार और विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा मौजूदा प्रक्रिया को बाधित किए बिना एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करते हैं। आरबीआई ने किसी भी व्यवस्थित जोखिम को रोकने के लिए कड़े मानकों को बनाए रखते हुए विशेष रूप से डिजिटल ऋण देने में फिनटेक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। इसके परिणामस्वरूप छोटे और मध्यम व्यवसायों के साथ-साथ कम क्रेडिट रेटिंग वाले उधारकर्ता, जो पहले पारंपरिक बैंक वित्तपोषण तक पहुँचने के लिए संघर्ष करते थे, इन विचारशील उपायों से लाभान्वित होते हैं।

6. पीपीआई के लिए जमा बीमा कवर से ग्राहकों को लाभ होने की संभावना

चर्चा में क्यों?

आरबीआई द्वारा नियुक्त समिति ने सिफारिश की है कि केंद्रीय बैंक को पीपीआई के लिए जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) कवर के विस्तार पर विचार करना चाहिए, जो वर्तमान में केवल बैंक जमाओं के लिए उपलब्ध है।

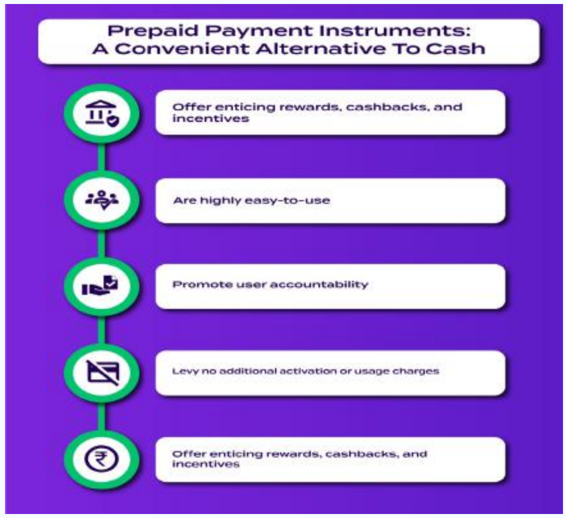

प्रीपेड भुगतान साधन (PPI):

- पीपीआई ऐसे साधन हैं जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सुविधाजनक बनाते हैं, वित्तीय सेवाओं का संचालन करते हैं और दूसरों के बीच, उनमें संग्रहीत धन के विरुद्ध प्रेषण सुविधाओं को सक्षम करते हैं।
- पीपीआई को कार्ड या वॉलेट के रूप में जारी किया जा सकता है।
- दो प्रकार के पीपीआई हैं- छोटे पीपीआई और पूर्ण-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) पीपीआई।
- इसके अलावा, छोटे पीपीआई को 10,000 रुपये तक के पीपीआई (कैश लोडिंग सुविधा के साथ) और 10,000 रुपये तक के पीपीआई (कैश लोडिंग सुविधा के बिना) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- पीपीआई को नकद, बैंक खाते से डेबिट या क्रेडिट और डेबिट कार्ड द्वारा लोड/रीलोड किया जा सकता है।
- पीपीआई की कैश लोडिंग प्रति माह 50,000 रुपये तक सीमित है, जो पीपीआई की समग्र सीमा के अधीन है।

पीपीआई के जारीकर्ता कौन हैं?

- पीपीआई बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। आरबीआई से मंजूरी मिलने के बाद बैंक पीपीआई जारी कर सकते हैं।
- गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता भारत में निगमित और कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत पंजीकृत कंपनियां हैं।
- गैर-बैंक जारीकर्ताओं में से कुछ Amazon Pay, Bajaj Finance, DMRC, Ola Financial Services और Razorpay Technologies हैं।
- वे आरबीआई से प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद व्यक्तियों/संगठनों को पीपीआई जारी करने के लिए भुगतान प्रणाली संचालित कर

सकते हैं।

आरबीआई कमेटी ने क्या सिफारिश की?

- वॉलेट में रखा पैसा डिपॉजिट की प्रकृति का होता है। हालाँकि, वर्तमान में DICGC कवर केवल बैंक जमा तक ही विस्तारित है।
- पीपीआई जारीकर्ताओं के पास जमा होने के नाते (जिन्हें रिजर्व बैंक द्वारा भी विनियमित किया जाता है) पीपीआई सेगमेंट में जमा बीमा का विस्तार करने की आवश्यकता है, जैसा कि आरबीआई द्वारा नियुक्त समिति ने सिफारिश की है।

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के बारे में:

- डीआईसीजीसी आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो जमा पर बीमा प्रदान करती है।
- जमा बीमा प्रणाली वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से छोटे जमाकर्ताओं को बैंक की विफलता की स्थिति में उनकी जमा राशि की सुरक्षा का आश्वासन देकर।
- डीआईसीजीसी द्वारा विस्तारित जमा बीमा स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (LAB), भुगतान बैंकों (PB), छोटे वित्त बैंकों, आरआरबी और सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों को कवर करता है, जिन्हें आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।
- डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान किया जाने वाला बीमा अर्जित ब्याज सहित बचत, सावधि, चालू और आवर्ती जमा को कवर करता है।
- बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता को बैंक के परिसमापन या विफलता की तिथि के अनुसार मूलधन और ब्याज राशि के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा किया जाता है।

आगे की राह:

पीपीआई उपयोगकर्ताओं को विभिन्न लेनदेन के लिए पैसे जमा करने और खर्च करने की अनुमति देते हैं। डीआईसीजीसी द्वारा बीमा कवरेज का विस्तार वित्तीय प्रणाली में विश्वास को और अधिक बढ़ाएगा जो देश में वित्तीय समावेशन को मजबूत करेगा।

7. वित्त वर्ष 2023 में भारत में विकास दर घटकर 6.3% रहने की उम्मीद है: विश्व बैंक

चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट 'ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स' के अनुसार, वित्त वर्ष 2023/24 (अप्रैल-मार्च) में भारत में विकास दर धीमी होकर 6.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो जनवरी से 0.3 प्रतिशत अंक नीचे की ओर संशोधन है।

रिपोर्ट के महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर 2022 में 3.1 प्रतिशत से घटकर 2023 में 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- चीन के अलावा उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDI) में, पिछले साल के 4.1 प्रतिशत की तुलना में इस साल विकास दर घटकर 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष 2025/26 के माध्यम से विकास में थोड़ी तेजी आने का अनुमान है।
- रिपोर्ट में निजी खपत, निवेश में अप्रत्याशित लचीलापन और भारत में सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि पर प्रकाश डाला गया।
- भारत की हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के 2-6 प्रतिशत के भीतर वापस आ गई है।

भारत-विशिष्ट निष्कर्ष:

- अपनी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि में मंदी के लिए निजी खपत को उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती उधारी लागतों से बाधित होने के लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि सरकारी खपत राजकोषीय समेकन से प्रभावित होती है।
- भारत सबसे बड़ी ईएमडीई में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था (कुल और प्रति व्यक्ति जीडीपी दोनों के संदर्भ में) बना रहेगा।
- 2023 की शुरुआत में भारत में विकास, महामारी से पहले के दशक में हासिल की गई वृद्धि से नीचे रहा क्योंकि उच्च कीमतों और बढ़ती उधारी लागतों का निजी खपत पर असर पड़ा।
- बेरोजगारी 2023 की पहली तिमाही में घटकर 6.8 प्रतिशत हो गई, जो कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे कम है। इस दौरान श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि हुई है।

विश्व बैंक के बारे में:

- विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण व अनुदान प्रदान करता है।
- विश्व बैंक पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) का सामूहिक नाम है, जो विश्व बैंक समूह के स्वामित्व वाले पाँच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से दो हैं।
- इसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई थी। इसका पहला ऋण 1947 में फ्रांस को दिया गया था।
- विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो निम्न रिपोर्ट जारी करता है:
    1. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
    2. मानव पूंजी सूचकांक।
    3. विश्व विकास रिपोर्ट।

आगे की राह:

यह रिपोर्ट देश में आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालती है क्योंकि धीमी वृद्धि से रोजगार सृजन बहुत कठिन हो जाता है। गरीबी कम करने और समृद्धि फैलाने का निश्चित तरीका रोजगार के अवसर को बढ़ाना समावेशी विकास से ही संभव है।

1. उच्च शिक्षा में एससी और एसटी से भी पीछे मुस्लिम

चर्चा में क्यों ?

शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए गये उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, मुस्लिम समुदाय उच्च शिक्षा के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित अन्य सभी समुदायों से पीछे है।

मुस्लिम समुदाय पर एआईएसएचई रिपोर्ट 2020-21 की मुख्य विशेषताएं:

- 2019-20 की तुलना में 2020-21 में उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नामांकन में क्रमशः 4.2%, 11.9% और 4% की वृद्धि हुई है, जबकि मुस्लिम समुदाय में नामांकन में 8% की गिरावट आई है।
- इसके पीछे कारण COVID-19 महामारी और आर्थिक संकट को माना जा सकता है जिसने उत्कृष्ट छात्रों को स्नातक होने के बाद रोजगार की संभावनाएं खोजने के लिए मजबूर किया था।
- उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी गिरावट (36%) देखी गई जिसके बाद जम्मू-कश्मीर (26%), महाराष्ट्र (8.5%) और तमिलनाडु (8.1%) का स्थान रहा है।
- देश में कुल उच्च शिक्षा नामांकन में ओबीसी की हिस्सेदारी 36% है, जबकि अनुसूचित जाति और अन्य की 14% हैं। इन दोनों क्षेत्रों में विश्वविद्यालय और कॉलेज की सभी सीटों का लगभग आधा हिस्सा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का उच्च शिक्षा नामांकन केवल 4.6% है। हालांकि देश की आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 14% से अधिक है।
- उदाहरण के लिए, दिल्ली में प्रत्येक पांच में से एक मुस्लिम छात्र सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा में शामिल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 20% है, जबकि उच्च शिक्षा में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी सिर्फ 4.5% है।
- अखिल भारतीय स्तर पर, सभी शिक्षकों में सामान्य श्रेणी के शिक्षकों की संख्या 56% है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षक क्रमशः 32%, 9% और 2.5% हैं, जबकि मुस्लिम शिक्षक केवल 5.6% हैं।

उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) के बारे में:

- एआईएसएचई सर्वेक्षण 2010-11 में उच्च शिक्षा पर एक व्यापक डेटाबेस संकलित करने के लिए शुरू किया गया था।
- शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के बारे में ऑनलाइन जानकारी एकत्र करता है।
- इसके द्वारा शिक्षक, छात्र नामांकन, पाठ्यचर्या, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्तपोषण और बुनियादी सुविधाओं सहित विभिन्न विशेषताओं पर डेटा एकत्र किया जाता है।
- यह अध्ययन शैक्षिक विकास के उपायों जैसे-संस्थान घनत्व, सकल नामांकन अनुपात, छात्र-शिक्षक अनुपात, लिंग समानता सूचकांक और प्रति छात्र व्यय की गणना भी करता है।

आगे की राह:

शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और इसे व्यवसाय तथा समाज की आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। यह पाठ्यक्रम के उन्नयन, अंत:विषयक शिक्षा को बढ़ावा देने, व्यावहारिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों को शामिल करके पूरा किया जा सकता है।

2. ओडिशा सरकार की 'मो घर' आवास योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओडिशा सरकार ने मो घर (My Home) नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए एक क्रेडिट-लिंक्ड हाउसिंग प्रोग्राम है, जिसका लक्ष्य सभी कच्चे घरों को पक्का बनाना है। इस योजना का वित्तीय खर्च लगभग 2,150 करोड़ रुपये होगा जो दो वर्षों में पूर्ण होगा और यह पूरी तरह से राज्य के बजट से वित्त पोषित किया जाएगा।

मुख्य विशेषताएं:

- एक लाभार्थी इस योजना के तहत 3 लाख रुपये तक का गृह ऋण प्राप्त कर सकता है, जिसे 10 वर्षों में आसान किस्तों में चुकाया जा सकता है।
- आवास का निर्माण पूरा होने पर, राज्य सरकार लाभार्थियों के ऋण खातों में पूंजीगत सब्सिडी जारी करेगी।
- ऋण राशि को चार भागों में विभाजित किया जाएगा। एक लाख रुपये के ऋण के लिए सब्सिडी 30,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये के ऋण के लिए 45,000 रुपये और 2 लाख रुपये या 3 लाख रुपये के ऋण के लिए 60,000 रुपये होगी।
- आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग और अलग-अलग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सब्सिडी स्लैब में 10,000 रुपये अधिक दी जायेगी।
- लाभार्थियों के ऋण खातों में जमा की गई पूंजी सब्सिडी के परिणामस्वरूप ईएमआई में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे पुनर्भुगतान अधिक उचित होगा।
- इस योजना के तहत कच्चे घर या पक्की छत वाले एक पक्के कमरे में रहने वाला परिवार ऋण के लिए पात्र होगा।

ओडिशा की ग्रामीण आवास योजनाएं:

- **बीजू पक्का घर योजना:** उड़ीसा सरकार कच्चे मकानों में रहने वाले सभी ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के

लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2014 के दौरान 'बीजू पक्का घर योजना' (BPGY) शुरू की थी।

- **पक्का घर योजना (खनन):** ओडिशा सरकार नौ खनिज वाले जिलों के सभी खनन प्रभावित ब्लॉकों में पात्र कच्चे मकान वाले परिवारों को 'पक्के घर' उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें अंगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, झारसुगुड़ा, क्योंझर, कोरापुट, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और रायगढ़ आदि जिले शामिल हैं। इस योजना के अन्तर्गत क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्का मकान निर्माण हेतु सहायता दी जायेगी।
- **निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना (NSPGY):** ओडिशा सरकार ने ओडिशा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना (NSPGY) शुरू की है जो व्यक्तिगत तथा सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परन्तु उनके पास पक्के घर नहीं हैं।

आगे की राह:

यह योजना ऐसे सभी परिवारों को कवर करेगी जो आवश्यक पात्रता मानदंड या अपर्याप्त आवंटन के कारण चल रही आवास योजनाओं में छूट गए थे। इसमें वे भी शामिल होंगे जिन्हें अतीत में छोटी राशि की आवास सहायता प्राप्त हुई थी, परन्तु अब वे अपने घरों का उन्नयन या विस्तार करना चाहते हैं।

3. दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के सचिव ने वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन और सांस्कृतिक केंद्र में 'दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम' का उद्घाटन किया।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:

- दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों और युवाओं द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है।
- दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम 2019 से देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जाता रहा है।
- दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम दिव्यांग लोगों में विश्वास पैदा करने का प्रयास करता है, साथ ही माता-पिता और प्रशिक्षकों के योगदान को पहचानता है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्य कला शक्ति के आयोजन का प्रभारी है।
- छठा दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम इस बार वाराणसी में आयोजित किया गया है जिसमें छह राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 100 कलाकारों ने भाग लिया।

रुद्राक्ष कन्वेंशन और सांस्कृतिक केंद्र के बारे में:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया था, जिसे 'रुद्राक्ष' भी कहा जाता है।
- रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र को सांस्कृतिक और आधुनिक सभाओं के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।
- 2015 में भारत और जापान के प्रतिनिधियों द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक शहर वाराणसी में रुद्राक्ष नामक एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई थी जिसे मई, 2021 में विकसित और कार्यात्मक बनाया गया था।
- इस कन्वेंशन सेंटर के मुख्य हॉल में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। लोगों की संख्या के हिसाब से हॉल को 2 भागों में बांटने की भी व्यवस्था की गई है। कन्वेंशन सेंटर पूरी तरह से वातानुकूलित है और आधुनिक 'बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम' से लैस है, जिसके माध्यम से सभी प्रबंधन को बारीकी से नियंत्रित किया जा सकता है।

दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम:

- मई 2012 में, सरकार ने विशेष रूप से असाधारण प्रतिभा वाले लोगों की देखभाल करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के अधिकारिता विभाग का गठन किया।
- यह दिव्यांग लोगों को प्रभावित करने वाली नीतिगत चिंताओं और कार्यान्वयन पर अधिक जोर देने के लिए किया गया था।
- देश भर में विस्तारित आठ राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से यह विभाग पुनर्वास सेवाएं, प्रशिक्षण, शिक्षा प्रदान करने और विभिन्न विकारों पर शोध करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह संस्थान राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों की देखभाल में सहायता करने के लिए कई केंद्रीय योजनाओं का प्रबंधन भी करता है।

आगे की राह:

दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों में दिव्य शक्ति और आत्मविश्वास पैदा करने में मदद करेगा। यह कार्यक्रम हमारे देश और समुदाय के विकास के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के बीच 'दिव्य शक्ति' को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उपयोग करने में मदद करेगा।

4. मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging)

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, देश के 766 जिलों में से केवल 508 को आधिकारिक तौर पर मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुक्त घोषित किया गया है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में:

- मैनुअल स्कैवेंजिंग को सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने के साथ-साथ सेप्टिक टैंक, गटर और सीवर

की सफाई के रूप में परिभाषित किया गया है।

- मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत में हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (PEMSR) पारित किया गया था।
- यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति को मानव मल को हाथ से साफ करने, ले जाने, निपटाने या किसी भी तरीके से उसके उचित निपटान तक प्रतिबंधित करता है।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग को अधिनियम के तहत 'अमानवीय अभ्यास' के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- पिछले दो वर्षों में, मंत्रालय ने संसद सत्र के दौरान देश में मैला ढोने से होने वाली मौतों से लगातार इंकार किया है।
- मंत्रालय मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवर की खतरनाक सफाई के बीच अंतर करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भारत में मैला ढोने के तीन रूपों का वर्णन करता है:
  1. सार्वजनिक सड़कों और 'शुष्क शौचालयों' से मानव मल को हटाना।
  2. सेप्टिक टैंक की सफाई।
  3. गटर और सीवर की सफाई।

मैनुअल स्कैवेंजिंग के संबंध में सरकार के प्रयास:

हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020:

- यह हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
- बिल का उद्देश्य सीवर की सफाई का पूरा मशीनीकरण करना है और श्रमिकों के लिए ऑन-साइट सुरक्षा प्रदान करना है।
- यह सीवर से होने वाली मौतों के मामले में मैनुअल मैला ढोने वालों के लिए मुआवजे का सुझाव देता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:

- 1989 का अत्याचार निवारण अधिनियम सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों को।
- यह मैला ढोने वालों को उनके पारंपरिक व्यवसायों से मुक्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्वच्छता अभियान ऐप:

- ऐप को अस्वच्छ शौचालयों और मैनुअल मैला ढोने वालों की पहचान करने हेतु जियोटैग करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसका उद्देश्य अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों से बदलना और एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए मैला ढोने वालों का पुनर्वास करना है।

यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (नमस्ते):

- नमस्ते योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना है।

आगे की राह:

देश से मैला ढोने के उन्मूलन के लिए एक व्यवहार्य और पुनर्वास योजना विकसित की जानी चाहिए जिसमें हाथ से मैला ढोने की प्रथा से मुक्त परिवारों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास का प्रावधान शामिल होना चाहिए। मुआवजे, शिक्षा, आवास और रोजगार के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना चाहिए। सभी पुनर्वास योजनाओं और कार्यक्रमों को महिलाओं के लिए पूरी तरह से नया रूप दिया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को भी सभी प्रकार की मैला ढोने की प्रथा से मुक्त किया जा सके।

5. भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने बताया कि भारत ने 2022-23 में 6.02 एमटी आयात की तुलना में 6.72 एमटी तैयार इस्पात का उत्पादन दर्ज करते हुए इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है।

भारत में इस्पात उद्योग:

- भारत 1600 ईसा पूर्व में धातुओं के निर्माण की शुरूआत करने वाले देशों में से एक है।
- मौर्य काल (322-185 ईसा पूर्व) के दौरान, धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख तकनीकी विकास किए गए थे।
- 1800 के दशक की शुरुआत में लोहा और इस्पात उत्पादन सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयास शुरू किए गए थे।

ग्रीन स्टील क्या है?

- ग्रीन स्टील कोयले से चलने वाले संयंत्रों के पारंपरिक कार्बन-गहन निर्माण मार्ग के बजाय नवीकरणीय या निम्न-कार्बन ऊर्जा स्रोतों जैसे-हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण या बिजली का उपयोग करके इस्पात का निर्माण होता है।
- हरित इस्पात उत्पादन के प्रत्येक पहलू के लिए उठाए जाने वाले कदमों की पहचान करने वाले 13 कार्य बल बनाए गए हैं।
- भारत 2014-15 में 5.59 एमटी के निर्यात की तुलना में 9.32 एमटी के आयात के साथ इस्पात का सकल आयातक बना हुआ था।

	वित्त वर्ष 2014-2015	वित्त वर्ष 2022-2023	%बढ़ोत्तरी
कच्चे इस्पात की क्षमता (एमटी)	109.85	160.3	46%
कच्चे इस्पात का उत्पादन	88.98	126.26	42%

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI):

- स्टील स्क्रैप रिसाइक्लिंग नीति।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति (NSP) 2017
- इस्पात क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन।

आगे की राह:

स्टील उत्पादन पर क्षेत्रों की एक विस्तृत शृंखला के महत्त्व को देखते हुए भारत मेक इन इंडिया जैसी सरकारी पहलों के माध्यम से भारत में इस्पात उद्योग एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। भारत स्टील में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है और स्टील के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में चीन को पार करने की राह पर है। इस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% योगदान है। पश्चिमी देशों, खाड़ी देशों और अन्य क्षेत्रों में स्तंभों तथा इमारतों के निर्माण के लिए स्टील का अधिक उपयोग किया जाता है। न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ताइवान में ताइपे 101 टॉवर, पिट्सबर्ग, पेन्सिलवेनिया में यू.एस. स्टील टॉवर, शेन्जेन, चीन में शुन हिंग स्क्वायर टॉवर और दुबई में बुर्ज खलीफा सहित कई उदाहरण हैं। भारत की अपेक्षाकृत कम प्रति व्यक्ति इस्पात खपत और बढ़ते बुनियादी ढांचे के निर्माण, फलते-फूलते ऑटोमोबाइल तथा रेलमार्ग क्षेत्रों के कारण मांग में अनुमानित वृद्धि से विकास की भारी संभावनाएं हैं।

6. राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का पांचवां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया।

राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) क्या है?

- यह सूचकांक 2018-19 में शुरू हुआ था जिसका उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाना था।
- खाद्य सुरक्षा के पांच महत्त्वपूर्ण मापदंडों में मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण-अवसंरचना तथा निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण व उपभोक्ता अधिकारिता शामिल हैं।
- यह सूचकांक नागरिकों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मदद करता है।

राज्यों का प्रदर्शन:

- इसमें केरल राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- गुजरात और महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे ऊपर है।
- छोटे राज्यों में गोवा लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा जिसके बाद मणिपुर और सिक्किम का स्थान था।
- केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने क्रमशः पहला, दूसरा तथा तीसरा स्थान हासिल किया। यह तीसरी बार है, जब जम्मू-कश्मीर ने पहला स्थान हासिल किया है। पिछले साल भी तीनों केंद्र शासित प्रदेशों ने यही स्थान हासिल किया था।
- जिलों के लिए ईट राइट चैलेंज-द्वितीय चरण के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।
- असाधारण परिणाम वाले अधिकांश जिले तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित हैं।
- भाग लेने वाले 260 जिलों में से 31 ने सफलतापूर्वक 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) तथा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) संयुक्त रूप से सदस्य देशों व अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- यह पहली बार 2019 में मनाया गया था।
- उद्देश्य: 'द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी' की छत्रछाया में अदीस अबाबा सम्मेलन और 2019 में जिनेवा फोरम द्वारा की गई खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करना।
- 2022 की थीम : सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य।

आगे की राह:

अगले तीन वर्षों में लोगों को स्वस्थ तथा पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS अधिनियम) के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है जिसके द्वारा 25 लाख खाद्य व्यवसाय संचालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने देश भर में 100 फूड स्ट्रीट स्थापित करने की भी घोषणा की जो खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और पोषण के लिए गुणवत्ता बेंचमार्क को पूरा करते हैं।

7. देवांकानम चारुहरितम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने हेतु केरल सरकार ने मंदिरों के हरित क्षेत्र में सुधार के लिए एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, जिसका प्रबंधन पांच देवस्वोम बोर्ड अपने नियंत्रण में कर रहे हैं। इसके अलावा परियोजना में परित्यक्त मंदिर तालाबों के जीर्णोद्धार और राज्य में पवित्र उपवनों की रक्षा करके जल संसाधनों के संरक्षण की भी परिकल्पना की गई है।

इस परियोजना के बारे में:

- 'देवांकानम चारुहरितम' (Beautiful Green Abodes of God) परियोजना को राज्य भर के 3,800 से अधिक मंदिरों में लागू किया जाएगा, जो पांच देवस्वोम बोर्डों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।
- परियोजना का प्राथमिक ध्यान मंदिरों के चारों ओर हरित आवरण में सुधार करना है। विचार यह है कि देवस्वोम बोर्डों के पास मौजूद भूमि बैंकों का उपयोग किया जाए और इन जमीनों पर पेड़ उगाए जाएं जिससे समग्र राज्य में हरियाली बढ़ेगी।
- इसके अतिरिक्त, इस परियोजना में मंदिर परिसर के भीतर विभिन्न फूलों के पौधे और फल देने वाले पेड़ लगाने की कल्पना की गई है। यह न केवल सौंदर्यशास्त्र में योगदान देगा बल्कि मंदिरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दैनिक उपयोग हेतु फूलों और फलों की

सतत आपूर्ति भी सुनिश्चित करेगा।

मंदिर के तालाबों का जीर्णोद्धार और पवित्र उपवनों का संरक्षण:

- हरित क्षेत्र में वृद्धि के साथ, इस परियोजना में परित्यक्त मंदिर तालाबों का नवीनीकरण भी शामिल है, जो विभिन्न क्षेत्रों में पानी के प्राथमिक स्रोत के रूप में उनके महत्त्व को पहचानता है। जीर्ण-शीर्ण मंदिर तालाबों का जीर्णोद्धार और सरकार से धन के साथ संरक्षित किया जाएगा, जिससे उनका स्थायी उपयोग सुनिश्चित हो सके।
- इसके अलावा परियोजना पवित्र उपवनों के संरक्षण पर जोर देती है जो संरक्षित प्राकृतिक जंगलों के भीतर खुले में रखे गए नाग देवताओं के पूजा स्थल हैं। मौजूदा पवित्र उपवनों की रक्षा की जाएगी तथा जैसे-जैसे और अधिक मंदिर अपना हरित आवरण विकसित करेंगे, राज्य में समग्र हरियाली में पर्याप्त सुधार होगा।

आगे की राह:

इस परियोजना का अंतर्निहित उद्देश्य मंदिरों को पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बनाना है। अनुष्ठानों और समारोहों के लिए प्रकृति से प्राप्त जैविक सामग्री का उपयोग करके मंदिरों ने लंबे समय से पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाया है। पर्यावरण चेतना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाते हुए, इन मंदिरों का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के महत्त्व के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना है।

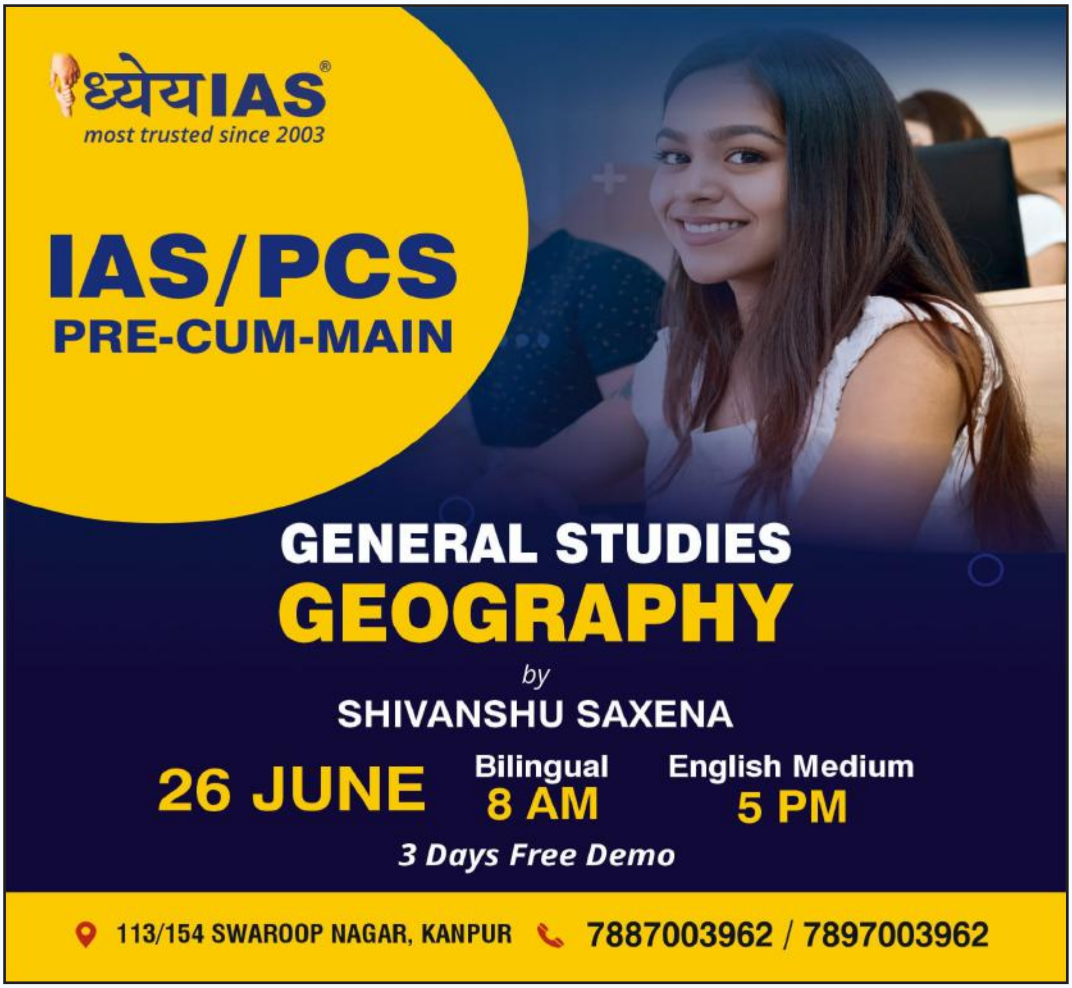

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें

1. डायमंड लीग

हाल ही में पेरिस डायमंड लीग में भारतीय लॉन्ग जम्पर मुरली श्रीशंकर ने तीसरा स्थान हासिल किया है।

डायमंड लीग के बारे में:

द डायमंड लीग (2010 में शुरू हुई, विश्व एथलेटिक्स निकाय द्वारा आयोजित) एक प्रतिष्ठित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स शृंखला है जिसमें दुनिया भर के विभिन्न शहरों में आयोजित विभिन्न ट्रैक और फील्ड इवेंट शामिल हैं। इसमें स्प्रिंट, जंप, थ्रो और मिडल-डिस्टेंस रेस जैसे विषयों में प्रतिस्पर्धा करने वाले दुनिया के शीर्ष एथलीट शामिल हैं। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग मीट जीतने वाले पहले भारतीय थे।

2. नंद बाबा मिल्क मिशन योजना

उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है।

मुख्य बिंदु:

- डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध किसानों को समुदायों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने में सहायता करने का प्रयास किया जायेगा।
- इस मिशन का उद्देश्य किसानों के गांवों में दूध की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए एक डेयरी किसान उत्पादक संगठन (डेयरी एफपीओ) स्थापित करना है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के पांच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पांच डेयरी एफपीओ स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें महिलाओं की अहम भूमिका होगी।

3. आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 प्रकाशित की गई है जिसमें 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान RBI के कार्यों का अवलोकन प्रस्तुत किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमान (SAE) के अनुसार, वित्त वर्ष 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 7.0% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि FY22 में यह 9.1% थी।
- सामान्य तौर पर, 2022-23 में मुद्रास्फीति बढ़कर 6.7% हो गई जो 2021-22 में 5.5% थी। कच्चे तेल, खाद्य पदार्थों, उर्वरकों और धातुओं की वैश्विक कीमतों में भारी वृद्धि के कारण अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति 7.8 प्रतिशत के चरम पर पहुंच गई।

4. तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वाराणसी में समापन

- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण वाराणसी में IIT BHU परिसर में संपन्न हुआ। इस समारोह में अनुराग सिंह ठाकुर और योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे।
- पंजाब यूनिवर्सिटी ने दूसरी बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती।
- तलवारबाजी में सभी स्वर्ण पदक जीतने के बावजूद, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय (अमृतसर) प्रतियोगिता के अंतिम दिन पिछड़ गया।
- पंजाब विश्वविद्यालय ने 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य सहित 69 पदक जीते।
- गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने 24 स्वर्ण पदक, 27 रजत पदक और 17 कांस्य पदक जीते, उन्हें पहली बार शीर्ष तीन में स्थान मिला।

5. नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2023

हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2023 जारी की गई, जिसमें कई भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया।

महत्वपूर्ण विशेषताएं:

- भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का नाम दिया गया और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), मद्रास ने लगातार पाँचवें वर्ष समग्र रेटिंग में पहला स्थान प्राप्त किया।
- आईआईटी-मद्रास ने लगातार आठवें वर्ष भारत के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी, आईआईटी-दिल्ली और आईआईटी-बॉम्बे क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
- भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद ने भारत में अग्रणी प्रबंधन संस्थान के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा जिसके बाद आईआईएम बैंगलोर और आईआईएम कोझिकोड का स्थान रहा।

NATIONAL INSTITUTIONAL RANKING FRAMEWORK

6. अंतरदृष्टि डैशबोर्ड

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम बताते हुए 'अंतरदृष्टि' नामक एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया।

अंतरदृष्टि डैशबोर्ड के बारे में:

- अंतरदृष्टि डैशबोर्ड का प्राथमिक उद्देश्य देश भर में वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति का मूल्यांकन और ट्रैक करना है।
- यह प्रासंगिक डेटा रिकॉर्ड करके वित्तीय समावेशन के विकास का मूल्यांकन और ट्रैक करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है।
- यह देश भर में स्थानीय स्तर पर वित्तीय बहिष्कार का आंकलन करना भी संभव बनाएगा ताकि ऐसे स्थानों पर ध्यान दिया जा सके।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय समावेशन (FI) सूचकांक को वित्तीय समावेशन के स्तर को सटीक रूप से मापने के लिए एक विश्वसनीय साधन के रूप में तैयार किया।

7. भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत

भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत, एमवी एम्प्रेस, चेन्नई शहर से अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस महत्त्वपूर्ण अवसर पर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु:

- चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया जो क्रूज पर्यटन और समुद्री व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
- एमवी एम्प्रेस श्रीलंका के तीन बंदरगाहों: हंबनटोटा, त्रिंकोमाली, और कांकेसंतुरेई तक यात्रा करेगा।
- क्रूज सेवा 2022 में पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन के दौरान चेन्नई पोर्ट और मैसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) का परिणाम है।

8. भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास

- भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण 07 जून से 08 जून को ओमान की खाड़ी में हुआ।

मुख्य बिंदु:

- अभ्यास ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ। ओमान की खाड़ी एक रणनीतिक समुद्री क्षेत्र है जो अपने महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्गों और भू-राजनीतिक महत्त्व के लिए जाना जाता है।
- भारतीय नौसेना के आईएनएस तरकश, एक शक्तिशाली फ्रिगेट ने फ्रांसीसी नौसेना के सुरकॉफ के साथ-साथ अभ्यास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भारत-फ्रांस-यूएई समुद्री साझेदारी अभ्यास में नौसेना संचालन की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जिसमें सतह युद्ध और हेलीकाप्टर क्रॉस-डेक लैंडिंग संचालन शामिल हैं।

9. 'जूली लद्दाख' (हैलो लद्दाख)

- भारतीय नौसेना लद्दाख क्षेत्र में नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने, युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ने के लिए 'जूली लद्दाख' (हैलो लद्दाख) नामक एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यह पहल पूर्वोत्तर और तटीय राज्यों में सफल कार्यक्रमों के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ने के नौसेना के प्रयासों का हिस्सा है।

अन्य उद्देश्य हैं:

- भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है।
- भारतीय नौसेना में कैरियर के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाना।
- नौजवानों को नेवी में जाने के लिए प्रेरित करना।
- 'नारी शक्ति' पहल के हिस्से के रूप में महिला अधिकारियों और जीवनसाथी को प्रदर्शित करना।
- क्षेत्र में नौसैनिकों और वीर नारियों (युद्ध विधवाओं) के साथ बातचीत करना।

10. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ईयरबुक 2023

- SIPRI ने आयुध, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति का अपना वार्षिक मूल्यांकन जारी किया।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- संयुक्त राज्य अमेरिका ,रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के पास तैनात परमाणु हथियारों की सबसे बड़ी संख्या है जबकि रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं।

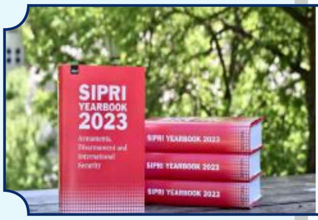

- भारत, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल के पास कोई परमाणु हथियार तैनात नहीं हैं।
- भारत के पास कुल 164 परमाणु आयुध भंडार हैं।
- कुल मिलाकर, परमाणु हथियारों की संख्या में गिरावट जारी है जिसका मुख्य कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के रिटायर्ड वॉरहेड्स को नष्ट करना है।
- चीन द्वारा अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण और विस्तार करने के साथ भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु हथियारों की सूची का आकार बढ़ा रहे हैं।
- परमाणु हथियारों के लिए कच्चा माल या तो अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम (HEU) या अलग प्लूटोनियम है। भारत ने मुख्य रूप से प्लूटोनियम का उत्पादन किया जाता है।
- SIPRI एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, शस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है।

11. जतन

- हाल ही में कलाकृतियों के बेहतर संरक्षण के लिए वर्ष के अंत तक सभी संग्रहालयों (केंद्रीय नियंत्रण के तहत) के 3डी डिजिटलीकरण को पूरा करने के लिए MeitY और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- JATAN भारतीय संग्रहालयों के लिए एक डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली है।
- JATAN वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके 3डी डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिसे ह्यूमन सेंटर्स डिजाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट कंप्यूटिंग (पुणे) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।

12. अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी

- हाल ही में इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ।
- अनाक क्राकाटाऊ जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच इंडोनेशिया के सुंडा जलडमरूमध्य में स्थित है।
- क्राकाटाऊ भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के अभिसरण क्षेत्र मंेज स्थित है।
- 1883 में पहली बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिसमें क्राकाटोआ द्वीप और इसके आसपास के द्वीपसमूह का 70% से अधिक नष्ट हो गया तथा एक कोल्डेरा बन गया। यह विस्फोट इतिहास में सबसे घातक और सबसे विनाशकारी ज्वालामुखीय घटनाओं में से एक था।

13. संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (UNPKF)

- 13 जून, 2023 को नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना द्वारा एक विशेष स्मारक संगोष्ठी आयोजित की गयी।
- संगोष्ठी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा और उत्पादकता के लिए प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी तथा संसाधनों में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- उन्होंने शांति अभियानों में महिलाओं की सार्थक भागीदारी का आह्वान किया।
- भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, जिसने अब तक 2.75 लाख सैनिकों का योगदान दिया है।
- वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 12 मिशनों में लगभग 5,900 भारतीय सैनिक तैनात हैं।
- रक्षा मंत्री ने शांति सैनिकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला और अभिनव दृष्टिकोणों के महत्त्व व जिम्मेदार राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।
- राजनाथ सिंह ने सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने वाले निकायों को दुनिया की जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के प्रति अधिक चिंतनशील बनाने की आवश्यकता व्यक्त की।

- उन्होंने उल्लेख किया कि UNSC के स्थायी सदस्य के रूप में भारत की अनुपस्थिति संयुक्त राष्ट्र की नैतिक वैधता को कमजोर करती है।

14. बेटेल्गेयूज

- जापान और स्विटजरलैंड के शोधकर्ताओं ने हाल ही में बताया कि Betelgeuse तारा अपने अंतिम कार्बन-बर्निंग चरण में है।
- चमकीले लाल तारे Betelgeuse को भारतीय खगोल विज्ञान में 'थिरुवथिराई' या 'आर्द्र' के रूप में जाना जाता है।
- Betelgeuse नक्षत्र ओरियन में स्थित है जिसे आसानी से देखा जा सकता है।
- Betelgeuse जैसे बड़े तारों में, कार्बन-बर्निंग चरण आमतौर पर केवल कुछ सौ वर्षों तक रहती है।
- इस चरण के बाद, तारा अपने जीवन के अंत तक पहुँच जाता है और एक सुपरनोवा विस्फोट से गुजरता है।
- सुपरनोवा कार्बन-बर्निंग चरण समाप्त होने के कुछ महीनों के भीतर होता है।

15. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की पहली स्थिरता रिपोर्ट

- पर्यावरण स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए, एनएचएआई की पहली 'वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्थिरता रिपोर्ट' का अनावरण किया गया।
- एनएचएआई ने वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक ईंधन की खपत में कमी के जरिए प्रत्यक्ष उत्सर्जन में 18.44% की कमी की है।
- अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण के प्रयास किए जा रहे हैं।
- ऊर्जा खपत, संचालन, परिवहन और यात्रा से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन वित्त वर्ष 2020-21 में 9.7% तथा वित्त वर्ष 2021-22 में 2% कम हुआ।
- वित्त वर्ष 2020-21 में संचालन में ऊर्जा की तीव्रता 37% और वित्त वर्ष 2021-22 में 27% कम हुई।
- FASTag के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह ने 97% से अधिक स्थिरता हासिल कर ली है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने में योगदान दे रहा है।

16. न्याय विकास पोर्टल

- जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए न्याय विकास पोर्टल विकसित किया गया है।
- न्याय विकास पोर्टल जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बनाया गया एक ऑनलाइन मंच है। यह हितधारकों को वित्त पोषण, दस्तावेजीकरण, परियोजना निगरानी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी तक पहुँचने की अनुमति देता है।
- योजना के लिए फंड शेयरिंग पैटर्न केंद्र और राज्यों (पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों को छोड़कर) के बीच 60:40 है। उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए पैटर्न 90:10 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को 100% फंडिंग मिलती है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने केरल और लक्षद्वीप में सागर परिक्रमा यात्रा के सातवें चरण की शुरुआत की। परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार करना है, टिकाऊ संतुलन पर ध्यान देने के साथ जिम्मेदार मत्स्य पालन को बढ़ावा देना तथा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना है।
2. डॉ. मनसुख मंडाविया ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का अनावरण किया, जो खाद्य सुरक्षा के छह अलग-अलग पहलुओं में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।
3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नागपुर प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स बन गया है।
4. हाल ही में सरकार ने न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया, जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बनाया गया है।
5. मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'अमृत उत्पादन अभियान: नए भारत के सपने' लॉन्च किए। अभियान का उद्देश्य 16-18 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं तथा सपनों को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित करके युवा भारत की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करना है।
6. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने देश की आर्द्रभूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से दो योजनाओं-अमृत धरोहर व मिष्टी (मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटैट्स एंड टैंजिबल इनकम) की शुरुआत की।
7. पैटर्सन जोसेफ ने आरएसएल क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता।
8. इजराइल अपना पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने जा रहा है। डिजिटल इजराइली बॉन्ड का कारोबार TASE नाम के एक समर्पित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा।
9. ऑस्ट्रेलिया ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल जीता जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया तीनों प्रारूपों में ICC विश्व खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम बन गई।
10. सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (PESB) ने संजय स्वरूप को कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CONCOR) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए सिफारिश की है।
11. 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ दुनिया भर में बढ़ते आंदोलन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करना था। सामाजिक न्याय और बाल श्रम के बीच की कड़ी पर जोर देते हुए, 2023 में विश्व दिवस की थीम 'सभी के लिए सामाजिक न्याय' है।
12. कर्नाटक सरकार ने 'शक्ति' योजना के तहत महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की।
13. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जून 2023 को जिनेवा में 111वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में पूर्ण सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत अपने कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा और अच्छा काम देने की प्रतिबद्धता के साथ अमृत काल की ओर बढ़ रहा है।
14. अजिस्टा बीएसटी एयरोस्पेस प्रा. लिमिटेड (एबीए) ने ट्रांसपोर्टर 8 मिशन के हिस्से के रूप में 13 जून, 2023 को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर अपना पहला उपग्रह, एबीए फर्स्ट रनर (एएफआर) लॉन्च किया है।
15. भारतीय नौसेना के लिए L&T/GRSE द्वारा बनाए जा रहे सर्वे वैसल्स (लार्ज) (SVL) प्रोजेक्ट के चार जहाजों में से चौथे 'संशोधक' को 13 जून 2023 को कट्टूपल्ली, चेन्नई में लॉन्च किया गया था।
16. Tata Elxsi फर्म ने अंतरिक्ष मिशन के लिए रिकवरी टीम को प्रशिक्षित करने के लिए एक क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल (CMRM) डिजाइन और विकसित किया है।
17. 61वां अंतर्राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग सम्मेलन (ISC 2023) ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत का AI सुपरकंप्यूटर 'ऐरावत' वैश्विक सुपरकंप्यूटिंग सूची में 75वें स्थान पर रहा।

विश्व महासागर दिवस

चर्चा में क्यों?

8 जून, 2023 को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर 2008 के संकल्प 63/111 द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।

थीम

विश्व महासागर दिवस 2023 की थीम "प्लैनेट ओशन: टाइड्स आर चेंजिंग" है।

'विश्व महासागर दिवस' क्यों मनाते हैं

इस दिवस को मनाने का उद्देश्य, जनता को महासागरों पर मानव कृत्यों के प्रभाव के बारे में सूचित करना, महासागर हेतु नागरिकों के विश्वव्यापी आंदोलन को विकसित करना और विश्व के महासागरों के सतत प्रबंधन के लिए एक परियोजना पर विश्व को एकजुट करना है।

लक्ष्य 14

एसडीजी लक्ष्य 14 महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग से संबंधित हैं। इसका उद्देश्य है:

- 2025 तक सभी प्रकार के समुद्री प्रदूषण को रोकना और महत्त्वपूर्ण रूप से उसमें कमी करना, विशेष रूप से समुद्री मलबे और पोषक प्रदूषण में कमी करना।
- समुद्र के अम्लीकरण के प्रभावों को कम करने के साथ ही सभी स्तरों पर वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।
- 2030 तक, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और पर्यटन के सतत प्रबंधन सहित समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से छोटे द्वीप विकासशील राष्टों और कम विकसित देशों के आर्थिक लाभ में वृद्धि करना।

महासागरों का महत्त्व

- महासागर पृथ्वी के 70% से अधिक को कवर करते हैं। यह हमारा जीवन स्रोत है, जो मानवता और पृथ्वी पर हर दूसरे जीव के पोषण का स्रोत है।
- महासागर पृथ्वी के कम से कम 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, यह पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता का घर है।
- यह दुनिया भर के एक अरब से अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है।
- 2030 तक महासागर आधारित उद्योगों द्वारा अनुमानित 40 मिलियन लोगों को रोजगार देने के साथ ही, महासागर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक 2021-2030

इस पहल के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

- **एक स्वच्छ महासागर:** जहां प्रदूषण के स्रोतों की पहचान की जाती है और उन्हें नियंत्रित किया जाता है।
- **एक स्वस्थ महासागर:** यह समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को समझने, संरक्षित करने, पुनर्स्थापित और प्रबंधित करने की पहल करता है।
- **एक उत्पादक महासागर:** सतत खाद्य आपूर्ति और एक सतत महासागर अर्थव्यवस्था का समर्थन करना।
- **एक अनुमानित महासागर:** जहां समाज समुद्र की बदलती परिस्थितियों को समझने के साथ ही उचित प्रतिक्रिया देने में समर्थ होता है।
- **एक सुरक्षित महासागर:** जहां समुद्र से संबंधित खतरों से जीवन और आजीविका की रक्षा की जाती है।
- **एक सुलभ महासागर:** डेटा, सूचना और प्रौद्योगिकी और नवाचार तक अबाध और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करना।
- **एक प्रेरक और आकर्षक महासागर:** यहां समाज मानव कल्याण और सतत विकास के संबंध में महासागर के महत्व को समझता है और उसे संरक्षित करता है।

महासागर दिवस की घोषणा

महासागर दिवस को पहली बार 8 जून, 1992 को रियो डी जनेरियो में ग्लोबल फोरम में घोषित किया गया था, जो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीईडी) में एक कार्यक्रम था, जिसने गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज को पर्यावरण के मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का एक अवसर प्रदान किया था।

ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

चर्चा में क्यों?

ओडिशा के बालासोर में ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना ने एक बार फिर प्रभावी आपदा राहत बल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कई मौकों पर खुद को साबित किया है।

कौशल मैट्रिक्स का विकास

विभिन्न आपदा स्थितियों में उनके संभावित अनुप्रयोग के आधार पर आपदा प्रतिक्रिया गतिविधियों को निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया गया है:

- जल संरक्षण
- ढह गई संरचना का निर्माण और बचाव (सीएसएसआर)
- राहत सामग्री वितरण
- यातायात
- संचार
- हताहतों का प्रबंधन
- विविध प्रतिक्रिया

ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स

1999 के अंत में सुपर साइक्लोन के बाद के पुनर्निर्माण और तैयारी के चरण में, प्राकृतिक और साथ ही मानव प्रेरित आपदाओं की स्थिति में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए, राहत और बचाव अभियान में प्रशासन की सहायता के लिए अत्याधुनिक आपातकालीन उपकरणों से लैस एक पेशेवर प्रशिक्षित समूह के गठन की आवश्यकता महसूस की गयी।

उत्तरदायित्व

- राज्य, स्थानीय अधिकारियों, अन्य हितधारकों और समुदायों द्वारा आपदा की रोकथाम और न्यूनीकरण सहित आपदा प्रबंधन की एक एकीकृत और समन्वित प्रणाली को बढ़ावा देना।
- क्षमता निर्माण सहित आपदाओं की रोकथाम और शमन से संबंधित गतिविधियों का समन्वय और निगरानी करना।
- आपदाओं और आपदा प्रबंधन से संबंधित सूचना भंडार के रूप में कार्य करना।
- राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों और योजनाओं को तैयार करना और अद्यतन करना।
- संभावित आपदाओं से निपटने के लिए समुदाय और हितधारकों की क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से जागरूकता और तैयारी को बढ़ावा देना, समुदाय और हितधारकों को सलाह देना और प्रशिक्षित करना।

आपदा

आपदाएं एक समाज के दैनिक कामकाज में गंभीर व्यवधान हैं, जिसका अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके सामना करना मुश्किल हो जाता है। आपदाएं प्राकृतिक, मानव निर्मित और तकनीकी खतरों के साथ-साथ विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न हो सकती हैं जो किसी समुदाय के जोखिम और भेद्यता को प्रभावित करते हैं।

प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया की आवश्यकताएं

- मानव जीवन को बचाना।
- कष्ट निवारण।
- आपदा को नियंत्रित करना - इसके बढ़ने को सीमित करना तथा प्रभावों को नियंत्रित करना।
- जनता को चेतावनी, सलाह और जानकारी प्रदान करना।
- कर्मियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- पर्यावरण की सुरक्षा करना।
- जहां तक यथोचित साध्य हो, संपत्ति की रक्षा करना।
- महत्त्वपूर्ण गतिविधियों को बनाए रखना या बहाल करना।
- उचित स्तर पर सामान्य सेवाओं को बनाए रखना।
- प्रभावित समुदायों में स्वयं सहायता को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना।

आपदा के प्रकार

- भूकंप
- ज्वालामुखी विस्फोट
- भूस्खलन
- सुनामी
- हिमस्खलन
- बाढ़
- हीट वेव्स
- शीत लहरें
- जंगल की आग
- सूखा
- चक्रवात
- रेडियोलॉजिकल आपात स्थिति
- रासायनिक और जैविक हथियार
- विस्फोट
- दुर्घटना

प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के रूप में उद्योग विशेषज्ञों की भर्ती की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।

अनुबंध की श्रेणियाँ

प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को निम्नलिखित श्रेणियों में से एक में नियुक्त किया जा सकता है:

- इंडस्ट्रीज द्वारा वित्त पोषित प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस।
- एचईआई द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से वित्त पोषित प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस।
- मानद आधार पर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस।

कार्यकाल

- अनुबंध शुरू में एक वर्ष तक के लिए हो सकता है।
- प्रारंभिक नियुक्ति के बाद विस्तार हेतु, उच्च शिक्षा संस्थान एक आकलन करेगा और सेवा विस्तार के बारे में निर्णय लेगा।
- किसी दिए गए संस्थान में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की सेवा की अधिकतम अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और असाधारण मामलों में एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है और कुल सेवा अवधि किसी भी परिस्थिति में चार वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल के बारे में

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 उद्योग और अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशल आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके उच्च शिक्षा को बदलने का प्रयास करती है।
- एनईपी सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने और उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में उद्योग-अकादमिक सहयोग को मजबूत करने की भी सिफारिश करती है।
- यूजीसी ने 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' नामक पदों की एक नई श्रेणी के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में उद्योग और अन्य पेशेवर विशेषज्ञता लाने के लिए एक नई पहल की है।
- यह वास्तविक दुनिया की प्रथाओं और अनुभवों को कक्षाओं में ले जाने में मदद करेगा और एचईआई में संकाय संसाधनों को भी बढ़ाएगा।
- इसके फलस्वरूप, प्रासंगिक कौशल से लैस प्रशिक्षित स्नातकों से उद्योग और समाज लाभान्वित होंगे।

उद्देश्य

- उद्योग और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना और एचईआई को संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और परामर्श सेवाओं पर उद्योग के विशेषज्ञों के साथ काम करने में सक्षम बनाना जो पारस्परिक रूप से लाभप्रद होगा।
- इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, प्रबंधन, चार्टर्ड एकाउंटेंसी (सीए), वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, मीडिया, साहित्य, ललित कला, सिविल सेवा, सशस्त्र बल, विधिक सेवा और लोक प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को शैक्षणिक संस्थानों में लाना।
- उच्च शिक्षा संस्थानों को औपचारिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाना और उन्हें अनुभवात्मक शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण, कौशल, उद्यमिता और विस्तार में भाग लेने और सलाह देने की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

कर्त्तव्य और जिम्मेदारियां

- पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के विकास और डिजाइनिंग में शामिल होना।
- नए पाठ्यक्रम शुरू करना और संस्थागत नीतियों के अनुसार व्याख्यान देना।
- छात्रों को नवाचार और उद्यमिता परियोजनाओं में प्रोत्साहित करना और इन गतिविधियों के लिए आवश्यक सलाह प्रदान करना।
- संवर्धित उद्योग-अकादमिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना।
- संस्थान के नियमित संकाय सदस्य के सहयोग से संयुक्त रूप से कार्यशाला, सेमिनार आयोजित करना, विशेष व्याख्यान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- संबंधित एचईआई के नियमित संकाय सदस्य के सहयोग से संयुक्त अनुसंधान परियोजना या परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई-इम्पैक्ट रिसर्च

चर्चा में क्यों?

विद्युत मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई-इम्पैक्ट रिसर्च (एमएएचआईआर) शुरू किया है ताकि विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की शीघ्रता से पहचान की जा सके और उन्हें भारत एवं विदेशों में बड़े पैमाने पर उपयोग हेतु स्वदेशी रूप से विकसित किया जा सके।

मिशन के उद्देश्य

मिशन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और भविष्य की प्रासंगिकता के क्षेत्रों की पहचान करना और प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास को प्रारंभ करना।
- सामूहिक विचार-मंथन, सहक्रियात्मक प्रौद्योगिकी विकास और प्रौद्योगिकी के सुचारू हस्तांतरण के लिए कार्यप्रणाली तैयार करने हेतु विद्युत क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करना।
- स्वदेशी प्रौद्योगिकियों (विशेष रूप से भारतीय स्टार्ट-अप द्वारा विकसित) की पायलट परियोजनाओं को सहयोग देना और उनके व्यावसायीकरण की सुविधा प्रदान करना।
- उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में तेजी लाने के लिए विदेशी अनुबंध और साझेदारी का लाभ उठाने के लिए, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से दक्षताओं, क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बनाने के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना।
- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को प्रारम्भ करना, उनका विकास करना तथा देश के विद्युत क्षेत्र में जीवंत और नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
- विद्युत प्रणाली से संबंधित प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के विकास में हमारे देश को अग्रणी देशों में शामिल करना।

मिशन का दायरा

- मिशन के तहत, एक बार अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान हो जाने के बाद, दुनिया भर की कंपनियों/संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।
- प्रस्ताव का चयन गुणवत्ता सह लागत आधारित चयन (QCBS) के आधार पर किया जाएगा।
- मंत्रालयों के संगठन चयनित अनुसंधान एजेंसी के साथ प्रौद्योगिकियों को साथ में विकसित भी कर सकते हैं।
- विकसित प्रौद्योगिकी का आईपीआर भारत सरकार और अनुसंधान एजेंसी द्वारा साझा किया जाएगा।
- मिशन भारतीय स्टार्ट-अप द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की पायलट परियोजनाओं को भी वित्तपोषित करेगा और दोनों मंत्रालयों के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से उनके व्यावसायीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।
- स्टार्ट-अप्स को भारत सरकार/केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के साथ आईपीआर साझा करना होगा।
- मिशन जानकारी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के सुचारू आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा भी प्रदान करेगा।
- मिशन प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग का भी प्रयास करेगा।

अनुसंधान के लिए चिन्हित क्षेत्र

प्रारंभ में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित आठ क्षेत्रों की पहचान की गई है:

- लिथियम-आयन स्टोरेज बैटरी के विकल्प
- भारतीय खाना पकाने के तरीकों के अनुरूप इलेक्ट्रिक कुकर/पैन को संशोधित करना
- गतिशीलता के लिए ग्रीन हाइड्रोजन (उच्च दक्षता ईंधन सेल)
- कार्बन अवशोषण
- भू-तापीय ऊर्जा
- ठोस अवस्था प्रशीतन
- ईवी बैटरी के लिए नैनो तकनीक
- स्वदेशी सीआरजीओ तकनीक

अनुदान

- मिशन को विद्युत् मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय संसाधनों को पूल करके वित्त पोषित किया जाएगा।
- किसी भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता भारत सरकार के बजटीय संसाधनों से जुटाई जाएगी।

इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन्स 2023

चर्चा में क्यों?

- इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन्स (एसएमओपीएस-2023) 8 और 9 जून 2023 को बेंगलुरु में संपन्न हुआ। सम्मेलन ने विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों, स्टार्ट-अप, उद्योग और शिक्षाविदों को आपस में जोड़ने और समन्वय बनाने में सहयोग किया।
- **विषय:** इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर ऑटोमेशन इन ग्राउंड एंड स्पेस सेगमेंट इन सॅटेलाइट मिशन ऑपरेशन्स (ईटीएजीएस)।

उद्देश्य

- इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के भीतर और बाहर विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों, स्टार्ट-अप, उद्योग और शिक्षाविदों के साथ जुड़ना है।
- सम्मेलन का उद्देश्य अंतरिक्ष मिशन ऑपरेशन को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए विश्व स्तर पर कल्पना की जा रही अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का पूर्वावलोकन करते हुए, मौजूदा प्रौद्योगिकियों और इसकी चुनौतियों पर अपने विचार साझा करने के लिए सभी अंतरिक्ष क्षेत्र के अग्रणियों को एक साथ लाना है।
- यह सम्मेलन इसरो को शिक्षा, उद्योग और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा मंच भी प्रदान करता है।

एएसआई के बारे में

- देश में एस्ट्रोनॉटिक्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए 1990 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (एएसआई) की स्थापना की गई थी।
- एएसआई तकनीकी बैठकों का आयोजन करके, तकनीकी प्रकाशनों और प्रदर्शनियों का आयोजन करके अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित तकनीकी और अन्य जानकारी के प्रसार में लगा हुआ है।

सम्मेलन का महत्त्व

- एसएमओपीएस-2023 सम्मेलन अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में व्यापक महत्व रखता है।
- विशेषज्ञों को ज्ञान, अंतर्दृष्टि और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करके, यह सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है और अंतरिक्ष मिशन ऑपरेशन और जमीनी खंड में नवाचार को बढ़ावा देता है।
- ये पहल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की उन्नति में योगदान करती हैं और ब्रह्मांड की हमारी समझ को आगे बढ़ाती हैं।

ISRO के बारे में

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) भारत की अंतरिक्ष शोध एजेंसी है।
- यह संगठन भारत और मानव जाति के लिए बाहरी अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में शामिल है।
- इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) का एक प्रमुख घटक है।
- यह विभाग मुख्य रूप से इसरो के भीतर विभिन्न केंद्रों या इकाइयों के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को निष्पादित करता है।

सम्मेलन के विषय

- मानव अंतरिक्ष यान मिशन ऑपरेशन प्रबंधन
- ग्राउंड स्टेशन ऑपरेशन में वर्तमान और भविष्य के रुझान
- सिमुलेशन और मॉडलिंग
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुप्रयोग
- सैटेलाइट डेटा हैंडलिंग, प्रसंस्करण और अनुप्रयोग
- भू-स्थिर कक्षा मिशन में ऑपरेशन चुनौतियां
- उपग्रह नक्षत्र प्रबंधन
- अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता
- फ्लाइट डायनामिक ऑपरेशन में चुनौतियां
- जमीनी खंड संसाधन आवंटन और अनुकूलन में रुझान

यूनेस्को में संयुक्त राज्य अमेरिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका, एजेंसी छोड़ने के चार साल बाद जुलाई में फिर से शामिल होगा।

फिर से जुड़ने के कारण?

अमेरिकी अधिकारियों ने अनुसार एजेंसी में पुनः वापस आने का कारण चीन द्वारा यूनेस्को नीति निर्माण में अमेरिका द्वारा छोड़े गए रिक्त स्थान को भरने के कारण भी है, जैसे कि दुनिया भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए मानक स्थापित करने के सन्दर्भ में यूनेस्को के नीति निर्माण में चीन का प्रभाव देखा गया है।

क्या यह पहली बार था जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूनेस्को छोड़ा

- यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने यूनेस्को से बाहर निकलने के बाद वापसी की है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के तहत 1984 में 'खराब प्रबंधन और हमारे स्वयं के मूल्यों के विरोध' का हवाला देते हुए यूनेस्को से बाहर हो गया था।
- 2002 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के तहत यूएसए फिर से यूनेस्को में शामिल हो गया, साथ ही राष्ट्रपति ने प्रबंधन संरचना में सुधार और प्रेस स्वतंत्रता और सार्वभौमिक शिक्षा के मूल्यों के लिए समूह के नए सिरे से समर्पण हेतु प्रशंसा की थी।

अमेरिका ने यूनेस्को को क्यों छोड़ा?

2017 के अंत में, कथित तौर पर इजरायल विरोधी पूर्वाग्रह, वित्तीय संकट और अन्य चिंताओं के आधार पर अमेरिका के विदेश विभाग ने घोषणा की कि वह अगले वर्ष यूनेस्को को छोड़ देगा।

यूनेस्को के बारे में

- UNESCO–संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है।
- यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा में योगदान देता है।
- यूनेस्को आपसी समझ में तेजी लाने और एक-दूसरे के जीवन के अधिक परिपूर्ण ज्ञान के लिए ज्ञान साझा करने और विचारों के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देता है।
- यूनेस्को के कार्यक्रम 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए 2030 एजेंडा में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान करते हैं।

यूनेस्को का विजन

- लोगों को घृणा और असहिष्णुता से मुक्त वैश्विक नागरिकों के रूप में रहने में मदद करने के लिए शैक्षिक उपकरण विकसित करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो, इसके लिए प्रभावी कार्य करना।
- सांस्कृतिक विरासत और सभी संस्कृतियों की समान गरिमा को बढ़ावा देकर, यह राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत करता है।
- यह विकास और सहयोग के लिए मंच के रूप में वैज्ञानिक कार्यक्रमों और नीतियों को बढ़ावा देता है।
- यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार तथा लोकतंत्र और विकास के लिए एक प्रमुख शर्त के रूप में बढ़ावा देता है।

प्रमुख उपलब्धियां

- UNESCO ने 167 देशों में 1073 विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया है।
- यूनेस्को सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचने के लिए वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करता है।
- यूनेस्को ने सुनामी की पूर्व चेतावनी प्रणाली का समन्वय स्थापित करने का कार्य किया है।
- यूनेस्को ने टिम्बकटू में पुनर्निर्माण का नेतृत्व किया।
- इसके अंतर्गत अमूर्त विरासत कन्वेंशन के लिए 177 देशों का समूह है।

हिरोशिमा एआई प्रक्रिया (एचएपी)

चर्चा में क्यों?

- 19-21 मई, 2023 तक जापान के हिरोशिमा में आयोजित जी -7 समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को विनियमित करने के साधन के रूप में हिरोशिमा एआई प्रोसेस (एचएपी) की शुरुआत की।
- एचएपी का उद्देश्य जनरेटिव एआई की चुनौतियों का समाधान करना और स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों जैसे मूल्यों के साथ संरेखण में समावेशी आधारित एआई गवर्नेन्स स्थापित करना है।

एचएपी के बारे में

- जी-7 नेताओं की जारी प्रेस विज्ञप्ति में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों द्वारा निर्देशित समावेशी एआई गवर्नेन्स और अंतःक्रियाशीलता पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- ओईसीडी और जीपीएआई जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से जी-7 कार्यकारी समूह के माध्यम से आयोजित एचएपी, एआई के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा में संलग्न होगा।
- इन चर्चाओं में शासन, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण, पारदर्शिता संवर्धन, विदेशी सूचना हेरफेर का मुकाबला करना और एआई प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदार उपयोग शामिल है।
- एचएपी के दिसंबर 2023 तक आपसी वार्ता से निष्कर्ष प्राप्त करने की उम्मीद है।

भरोसेमंद एआई के लिए विजन

- जी -7 मानता है कि भरोसेमंद एआई की सामान्य दृष्टि और लक्ष्य इसके सदस्यों में भिन्न हो सकते हैं।
- जबकि नियमों को सुसंगत करना प्राथमिक उद्देश्य नहीं हो सकता है, एचएपी ओईसीडी सदस्यों सहित अन्य देशों के साथ सहयोग और एक इंटरऑपरेबल एआई शासन ढांचे के विकास पर जोर देता है।
- यह एचएपी के लिए एआई के लिए तकनीकी मानकों को स्थापित करने में शामिल अन्य देश-समूहों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों की चिंताओं का जवाब देने की आवश्यकता को इंगित करता है।

मूल्य और मानदंड

- एचएपी स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों जैसे मूल्यों के साथ एआई विकास और कार्यान्वयन को संरेखित करने के महत्व को प्रदर्शित करता है।
- यह एआई को विनियमित करने में निष्पक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता और सुरक्षा के सिद्धांतों पर जोर देता है।
- हालांकि अभी भी कई बिंदुओं पर और स्पष्टता की आवश्यकता है, जहाँ जहाँ इन मूल्यों पर जोर विशुद्ध रूप से राज्य-केंद्रित दृष्टिकोण प्रेरित है।

अपेक्षित परिणाम

- एचएपी जी -7 देशों के बीच साझा मानदंडों, सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर अलग-अलग नियमों को जन्म दे सकता है।
- हालांकि कुछ मुद्दों पर कुछ विस्तार की संभावना है।

समावेशिता

- एचएपी 'बहु-हितधारक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों' और 'बहु-हितधारक प्रक्रियाओं' के माध्यम से एआई विनियमन में कई हितधारकों को शामिल करने के महत्व को स्वीकार करता है।
- इस दृष्टिकोण का उद्देश्य एआई शासन को आकार देने में निष्पक्षता, पारदर्शिता और व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
- एआई जोखिमों को विनियमित करने में जी-7 देशों के बीच विचलन के कारण, प्रमुख नियामक मुद्दों पर आम सहमति प्राप्त करना एचएपी के लिए एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

प्रारम्भिक परीक्षा आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मध्यकालीन भारत में 'उम्बलि' शब्द निर्दिष्ट करता था:
(a) भूमि के एक प्रकार को
(b) कर के एक प्रकार को
(c) एक प्रशासनिक पद को
(d) एक प्रकार के विदेशी पहनावा को

2. मुगल काल के अनुवादित ग्रंथो के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें:
1. अकबर द्वारा विधिवत रूप से एक अनुवाद विभाग बनाया गया था जिसके अध्यक्ष अबुल फजल थे।
2. राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद टोडरमल ने किया था।
3. गणित की प्रसिद्द पुस्तक लीलावती का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

3. चिश्ती सिद्धांत के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें:
1. आरम्भिक अवस्था में चिश्तियों ने बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन को बढ़ावा दिया परन्तु बाद में ये बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन का विरोध करने लगे।
2. इनके द्वारा संगीत के आध्यात्मिक महत्व को बल दिया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

4. भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संतो के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें:
1. रामानुजाचार्य ने 'श्री सम्प्रदाय' की स्थापना की तथा इनका दर्शन 'विशिष्टाद्वैतवाद' था।
2. निंबार्काचार्य ने 'सनक संप्रदाय' की स्थापना की थी तथा 'द्वैताद्वैतवाद' दर्शन का प्रतिपादन किया था।
3. उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रतिपादन रामानंद ने किया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल एक कथन सही है
(b) केवल दो कथन सही है
(c) तीनों कथन सही है
(d) तीनों कथन गलत हैं

5. मुगल प्रशासन के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार कीजिये:
1. अकबर के द्वारा सिक्को पर टकसाल का नाम तथा अपनी छवि अंकित करने की प्रथा आरम्भ की गई।
2. जहांगीर के समय में फारसी, मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित हो गई थी।
3. अकबर के द्वारा जज़िया कर को समाप्त किया गया जो मात्र गैर-मुस्लिम प्रजा पर लागू होता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से **असत्य** है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 1

6. सूफीवाद में प्रयुक्त शब्द 'तजकिरा' निर्दिष्ट करता है:
(a) सूफी संतो के पत्र संकलन को
(b) सूफी संतो द्वारा अपने शिष्यों को दी जाने वाली दीक्षा को
(c) सूफी संतो की जीवनियों के संस्मरण को
(d) सूफी संतो की बात-चीत को

7. सेबी ने सामूहिक निवेश योजना के विनियमन की समीक्षा के लिए परामर्श पत्र जारी किया है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें:
1. अभी तक सामूहिक निवेश हेतु उत्सुक आवेदक को संबंधित कारोबार या पिछले वर्ष की नेटवर्थ या लाभपरकता को लेकर कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देना होता था। नए विनियमन के अनुसार, आवेदक के पास कम से कम पांच करोड़ रुपए की नेट वर्थ होनी चाहिए।
2. अभी तक सामूहिक निवेश योजना में निवेशकों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं थी परन्तु नवीन रेगुलेशन के अनुसार सामूहिक निवेश योजनाओ में निवेशकों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करने का प्रावधान लाया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सिक्योरिटी मार्केट के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) रेटिंग प्रोवाइडर्स
2. कॉमर्शियल बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के मानदंड
3. श्योरिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स

उपरोक्त में से कौन सा /से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है/हैं? कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें:
(a) केवल एक विनियमन
(b) केवल दो विनियमन
(c) तीनो विनियमन
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

9. सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा 'सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज (स्माइल)' योजना आरम्भ की गई है। यह योजना लाई गयी है:
(a) ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों के उत्थान हेतु
(b) अनुसूचित जनजाति के उत्थान हेतु
(c) प्रवासी श्रमिकों के रोजगार हेतु
(d) शरणार्थियों के लिए

10. ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया नीति अधिसूचित की है। इस नीति के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें:
1. ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया निर्माताओ को स्वयं के अक्षय ऊर्जा प्लांट लगाने पर रोक लगा दी गई है।
2. ग्रीन हाइड्रोजन से प्राप्त अक्षय ऊर्जा को रीन्यूएबल पर्चेज ऑब्लिगेशन में स्थान दिया जायेगा परन्तु इसके उत्पादन के लिए उपभोग की गई अक्षय ऊर्जा को रीन्यूएबल पर्चेज ऑब्लिगेशन में स्थान नहीं दिया जायेगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

11. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें:
1. मिशन के अंतर्गत, नागरिक अपना आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउंट नंबर निर्मित कर सकेंगे जोकि उनके डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स से लिंक होगा।
2. इस मिशन के माध्यम से डिजिटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विविध सर्विस ऑप्शंस दे पाएंगे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अपने सैनिकों को नकद वेतन देने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था।
2. अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान पूरे देश में दिल्ली सल्तनत का प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरित था।
3. अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए सीरी में नवीन राजधानी का निर्माण किया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

13. निम्नलिखित में से कौन से जैन मुनि मोहम्मद-बिन-तुगलक के समकालीन थे?
(a) जिनप्रभा सूरी (b) नेमिनाथ
(c) आचार्य माधवसेन (d) सोमसुंदर

14. निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:
1. जिंदा पीर : औरंगजेब
2. मुहत्सिब : नैतिक नियमों के पालन हेतु नियुक्त अधिकारी
3. जिंस-ए-कामिल : सर्वोत्तम किस्म की फसलें
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

15. मुगलकाल के दौरान महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. हिंदू समाज की महिलाओं को जमींदारी का उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार था परंतु मुस्लिम महिलाओं को नही।
2. कृषक समुदाय में महिलाओं को प्रमुख स्थान प्राप्त था क्योंकि श्रम निर्भर समाज में ये संतानों को जन्म देती थीं।
3. समाज के सभी वर्गों में दहेज की प्रथा विद्यमान थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

16. मराठा युगीन सरंजाम तथा सर-ए-नौबत की सही व्याख्या क्या है?
(a) सरंजाम गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, वही सर-ए-नौबत सैन्य विभाग का प्रमुख होता था।
(b) सरंजाम एक प्रकार का भू राजस्व था जबकि सर-ए-नौबत सेना का प्रमुख होता था।
(c) सरंजाम सेना का प्रमुख होता था जबकि सर-ए-नौबत राज्य का लेखाकार होता था
(d) सरंजाम सिलहदारो का प्रमुख होता था जबकि सर-ए-नौबत न्याय विभाग का प्रमुख होता था

17. मराठा शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. शिवाजी ने अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी तथा यह अष्टप्रधान पेशवा के प्रति उत्तरदायी था।
2. पेशवा का पद वंशानुगत था, जबकि अष्टप्रधान की नियुक्ति पेशवा द्वारा की जाती थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से **असत्य** है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनो (d) न तो 1, न ही 2

18. निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी से सर्वाधिक देशांतरीय निकटता पर स्थित है?
(a) स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी
(b) स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
(c) स्टैच्यू ऑफ पीस
(d) स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी

19. अफ्रीकी स्वाइन फीवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें:
1. यह एक जूनोटिक रोग है जो पशुओं से मनुष्य में फैलता है।
2. इसके संक्रमण से सूअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार से पीड़ित होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनो (d) न तो 1, न ही 2

20. हाल ही में चर्चा में रहा 'ग्रेट रेजिग्नेशन' शब्द सम्बंधित है:
(a) कोविड-19 के बाद भारत में बढ़ी बेरोजगारी से
(b) ऑनलाइन कंपनियों द्वारा भारी मात्रा में कर्मचारियों की कटौती से
(c) अमेरिका तथा यूरोप में कोविड-19 के बाद लोगों का अपनी नौकरी से निकलने से
(d) श्रीलंका के आर्थिक संकट से

21. हाल ही में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इस समझौते के अंतर्गत, भारत सोने के आयात पर टैरिफ रियायतें देने पर सहमत हुआ, जबकि संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में आभूषण आयात पर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया।
2. यह समझौता अमीरात को भारत के निर्यात के 90% सेगमेंट पर शुल्क-मुक्त पहुंच की अनुमति प्रदान करेगा।
3. यह अरब क्षेत्र के किसी भी देश के साथ भारत द्वारा किया गया पहला व्यापक व्यापारिक समझौता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

22. राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें :
1. इस पुरस्कार को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2018 में शुरु किया गया था।
2. तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

23. प्रायः चर्चा में रहने वाले 'जीनोट्रांसप्लांटेशन' शब्द की सही व्याख्या है:
(a) जीवित कोशिका ऊतक तथा अंगों का एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में प्रत्यारोपण
(b) दो प्रजातियों के जीनों द्वारा मिलकर एक म्युटेंट प्रजाति बनाना
(c) एक प्रजाति के अंग को उसी प्रजाति में प्रत्यारोपित करना
(d) किसी प्रजाति के आनुवांशिक जीनों को हटाना

24. 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. उत्तर भारत में यह काल व्यापारिक उन्नति का काल माना जाता है।
2. व्यापार की उन्नति के कारण इस काल में भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d)न तो 1, न ही 2

25. आरम्भिक मध्यकालीन शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इस काल के दौरान देश में विज्ञान की अवनति हुई परंतु गणित की प्रगति हुई।
2. दर्शन शास्त्र की शिक्षा में लोगों को व्यापक रुचि थी।
3. इस काल में शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक प्रगति देखने को मिलती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 2

26. भारत में पुर्तगालियों की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. गुजरात में पुर्तगालियों की शक्ति स्थापना का सबसे प्रथम कारण मुगलों का गुजरात पर हमला था।
2. गुजरात के शासक बहादुर शाह ने ऑटोमान साम्राज्य के साथ मिलकर पुर्तगालियों को रोकने के प्रयत्न किए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनो (d) न तो 1, न ही 2

27. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें:
1. दुंदुभी की संधि
2. तालिकोटा का युद्ध
3. गुजरात शासक बहादुर शाह की मृत्यु
4. चौसा का युद्ध

उपर्युक्त घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए:
(a) 1-3-4-2 (b) 1-2-3-4
(c) 4-3-2-1 (d) 2-3-1-4

28. मध्यकाल के दौरान भारत की सांस्कृतिक एकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में भक्ति और सूफी कवियों ने प्रशंसनीय तरीके से एक ऐसा मंच तैयार किया जिस पर अनेक धर्मों, वर्णो तथा जातियों के लोग परस्पर मिल सकते थे।
2. अकबर के सिद्धांतों तथा सभी धर्मों की एकता की पृष्ठभूमि में भक्ति तथा सूफी आंदोलनों का बड़ा महत्व रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनो (d) न तो 1, न ही 2

29. हाल ही में चीन द्वारा 'लैंड बॉर्डर ला' पारित किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इस कानून के अंतर्गत चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों का नाम परिवर्तित किया है।
2. इस कानून के अनुसार चीन की सेना तथा राज्य चीन द्वारा दावा किये गए क्षेत्रो की रक्षा तथा सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध होंगे।
3. यह कानून संभावित रूप से भारत, भूटान तथा हिंद- प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

30. निम्नलिखित में से कौन सी नदी/नदियां केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से गुजरती है/हैं?
1. देविका
2. सिंधु
3. चेनाब

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 2 और 3 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

31. राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम का उद्देश्य सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की भूमियों के मुद्रीकरण के द्वारा भूमि अधिग्रहण में तेजी लाना है।
2. यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर आधारित एक उपक्रम है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से **असत्य** है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनो (d) न तो 1, न ही 2

32. निम्नलिखित युग्मों पर ध्यान दें:
1. नेपाल : यूपीआई स्वीकारने वाला पहला देश (भारत के अतिरिक्त)
2. यूक्रेन : युद्ध के कारण स्विफ्ट (SWIFT) प्रणाली से बाहर
3. म्यांमार : इंडिया आउट अभियान

उपर्युक्त युग्मों में से कौन -सा/से सही सुमेलित है/हैं?
(a) केवल एक युग्म सुमेलित है
(b) केवल दो युग्म सुमेलित हैं
(c) तीनों युग्म सुमेलित हैं
(d) तीनों युग्म सुमेलित नही हैं

33. निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइपरसोनिक मिसाइलों तथा बैलिस्टिक मिसाइलों के अंतर की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है?
(a) बैलिस्टिक मिसाइल एक निर्धारित प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती हैं जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलें बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र का पालन नहीं करती हैं
(b) हाइपरसोनिक मिसाइलें एक निर्धारित प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती हैं जबकि बैलिस्टिक मिसाइलें प्रक्षेपवक्र का पालन नहीं करती हैं
(c) हाइपरसोनिक मिसाइलें एक निर्धारित प्रक्षेपवक्र का अनुसरण कर इच्छित लक्ष्य का भेदन करती हैं जबकि बैलिस्टिक मिसाइल नहीं करती।
(d) बैलिस्टिक मिसाइल एक निर्धारित प्रक्षेपवक्र का अनुसरण कर इच्छित लक्ष्य का भेदन करती हैं जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलें नहीं करती।

34. मध्यकालीन यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. जीन बापटिस्ट ट्रेवेनियर एक फ्रांसीसी यात्री था जिसने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की।
2. फ्रांसिस बर्नियर दारा शिकोह तथा औरंगजेब के मध्य होने वाले युद्ध का साक्षी रहा।
3. निकोलो मनुची एक इतालवी यात्री था जो दारा शिकोह की सेना में सम्मिलित हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2

(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

35. मुगल शासकों की विदेशी नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. जहांगीर के समय में ईरान से बहुत ही बेहतर संबंध था जो कि शाहजहां के शासनकाल में समाप्त हो गया।
2. अकबर के समय में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी परंतु मुगल दरबार में पहली बार जहांगीर के शासनकाल में उपस्थित हुई।
3. मुगलों ने सकरी तथा उस्मानी साम्राज्य के साथ बेहतर संबंध बनाए जो उस काल की प्रमुख एशियाई शक्तियां थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1 और 3

36. सल्तनतकालीन जीवन के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें:
1. इस समय भूमि पर अधिकार विशेष महत्व नहीं रखता था क्योंकि भूमि प्रचुर मात्रा में थी तथा कृषको की संख्या कम थी।
2. सिंचाई व्यवस्था का सर्वाधिक विकास तुगलक काल में हुआ।
3. वेतन के रूप में अधिकारियों को दी जाने वाली भूमि इक्ता थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

37. विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होता था जिसका निर्धारण जनता द्वारा निर्वाचन पद्धति से किया जाता था।
2. विजयनगर के प्रांतीय प्रशासको पर राजा का कड़ा नियंत्रण होता था तथा राजा प्रांत में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से **असत्य** है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

38. श्रेष्ठ योजना (स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाईस्कूल इन टारगेटेड एरियाज) संबंधित है:
(a) अनुसूचित जाति की शिक्षा से
(b) ग्रामीण शिक्षा से
(c) अनुसूचित जनजाति की शिक्षा से
(d) सभी प्रदेशों के अति पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा से

39. हाल ही में चर्चा में रहा नॉर्ड स्ट्रीम शब्द है:
(a) यह उत्तरी अटलांटिक में आने वाला एक तूफान है।
(b) यह उन यूरोपीय देशो का संघ है जो रूस पर आर्थिक प्रतिबन्ध आरोपित करना चाहते हैं
(c) बाल्टिक सागर के नीचे बनाई गई पाइपलाइन है जो रूसी से जर्मनी तक गैस पहुंचाएगी।
(d) यह अमेरिका द्वारा रूस पर लगने वाले प्रतिबंधों की सूची है

40. खिजड़िया पक्षी अभयारण्य अवस्थित है:
(a) उत्तर प्रदेश में (b) राजस्थान में
(c) गुजरात में (d) मध्यप्रदेश में

41. ई-रूपी के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें:
1. ई-रुपी एक डिजिटल मुद्रा है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल फोन को एसएमएस-स्ट्रिंग या क्यूआर कोड के रूप में वितरित किया जाएगा।
2. इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

42. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
1. वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर : ओईसीडी (OECD)
2. मिलन 2022 : इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन
3. ग्लोबल गेटवे : यूरोपीय संघ

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1 , 2 और 3

43. निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विचार करें:
1. पीएम गति-शक्ति
2. वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित करना
3. डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड (DESH-Stack e-portal)

उपर्युक्त में से किस/किन कार्यक्रमों का प्रावधान बजट 2022 में किया गया है?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

44. प्राय: चर्चा में रही हाइपर-लूप तकनीक सम्बंधित है:

(a) जलीय परिवहन से
(b) स्थलीय परिवहन से
(c) वायवीय परिवहन से
(d) स्पेस परिवहन से

45. हाल ही में जारी इनइक्वलिटी किल्स नामक एक रिपोर्ट के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें:
1. यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गयी है।
2. इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 10 सर्वाधिक धनाढ्यों की संपत्ति दोगुनी हो गयी है, जबकि 99% से अधिक जनसंख्या की आय में कमी आयी है।
3. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का शासन ढांचा धन के संकेन्द्रण को कम कर समानता लाने का प्रयास कर रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1 और 2

46. ग्रहीय दाब-समायोजित मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित करेगा:
(a) इसमें मानव विकास सूचकांक को प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (उत्पादन-आधारित) और प्रति व्यक्ति मटेरियल फुटप्रिंट के लिए समायोजित किया जायेगा।
(b) इसमें मानव विकास सूचकांक को उत्सर्जित ग्रीन हॉउस गैस के साथ समायोजित किया जायेगा।
(c) इसमें मानव विकास सूचकांक को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के साथ समायोजित किया जायेगा।
(d) इसमें मानव विकास सूचकांक की औद्योगिक क्रांति पूर्व की स्थिति के साथ तुलना की जाएगी।

47. इस्लामोफोबिया प्रस्ताव के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें:
1. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मार्च को 'इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया' यानी 'इस्लाम के प्रति डर से लड़ने का अंतरराष्ट्रीय दिवस' के रूप मनाये जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है।
2. भारत तथा चीन दोनों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

48. लिपुलेख दर्रे के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें :
1. यह भारत, नेपाल और चीन के बीच एक ट्राई-जंक्शन बनाता है।
2. नेपाल द्वारा इस दर्रे का उपयोग व्यापारिक गतिविधियों के लिए किया जाता रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

49. ऋग्वैदिक काल में महिलाओ की स्थिति के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें :
1. ऋग्वैदिक काल से बहुपति प्रथा के संकेत प्राप्त हुए हैं।
2. ऋग्वैदिक काल में विवाह के समय कन्या को उपहार दिए जाने की प्रथा थी।
3. स्त्रियों को यज्ञ की आहूति में सम्मिलित नहीं किया जाता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 1 और 3

50. भारतीय इतिहास में 'गोत्र प्रथा' के सन्दर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
(a) यह हड़प्पा सभ्यता के समय से ही भारतीय संस्कृति का अंग है
(b) इसका आरंभ ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर समाज के वर्गीकरण के साथ आरम्भ हुआ
(c) गोत्र प्रथा के अनुसार व्यक्ति का विवाह समान गोत्र में ही होगा।
(d) इसका प्रारम्भ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है।

उत्तर

1.	(a)	14.	(d)	27.	(a)	40.	(c)
2.	(b)	15.	(b)	28.	(c)	41.	(b)
3.	(b)	16.	(b)	29.	(d)	42.	(c)
4.	(c)	17.	(c)	30.	(b)	43.	(d)
5.	(a)	18.	(a)	31.	(c)	44.	(b)
6.	(c)	19.	(b)	32.	(a)	45.	(b)
7.	(c)	20.	(c)	33.	(a)	46.	(a)
8.	(a)	21.	(d)	34.	(d)	47.	(a)
9.	(a)	22.	(c)	35.	(b)	48.	(a)
10.	(d)	23.	(a)	36.	(d)	49.	(c)
11.	(c)	24.	(d)	37.	(c)	50.	(d)
12.	(c)	25.	(b)	38.	(a)		
13.	(a)	26.	(c)	39.	(c)		

मुख्य परीक्षा विशेष: भूगोल, भारतीय समाज और सामाजिक न्याय पर आधारित महत्त्वपूर्ण प्रश्न

1. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि देश में होने वाले जनांकिकी, तकनीकी और आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद, जातियों और समुदायों में विभाजन, भारतीय समाज की अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय विशेषता बनी हुई है?

उत्तर:

भारतीय समाज का जाति आधारित विभाजन चार वर्ण प्रणाली से विकसित हुआ है और भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में उभरा है। यह भारतीय समाज में अंतर्विवाह, निर्धारित सामाजिक स्थिति, पदानुक्रम, समाज के खंडीय विभाजन आदि विशेषताओ का आधार है।

देश में जाति आधारित विभाजन पर प्रभाव डालने वाले परिवर्तन

1. शहरी क्षेत्रों में मिश्रित बस्तियों का उदय।
2. सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जैसे तकनीकी परिवर्तन जन गतिशीलता की सुविधा प्रदान करते हैं। ये जातीय पूर्वाग्रहों को भी कम करते हैं।
3. आर्थिक परिवर्तन व्यवसाय के विकल्प को जातिगत प्रतिबंधों से मुक्त बनाते हैं।
4. औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से युवाओं का कौशल प्रशिक्षण जाति परिषदों का प्रभाव कम करते हैं।
5. रेस्तरां के उदय और मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाओं के कारण साथ में भोजन करने संबंधी पूर्वाग्रह टूट रहे हैं।
6. ऑनलाइन मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म का उदय वर्तमान में चयन की स्वतंत्रता और अंतर्जातीय विवाह के विस्तार में सहायक बन रहे हैं।

हालाँकि इन सभी परिवर्तनों के बावजूद भारतीय समाज का जाति आधारित विभाजन आज भी प्रभावी बना हुआ है। इसे निम्न प्रकार समझ सकते हैं:

1. जाति आधारित राजनीतिक लामबंदी और चुनाव प्रचार अभी भी बना हुआ है। जैसे: राष्ट्रीय जनता दल बिहार में यादवों की पार्टी के रूप में प्रसिद्ध है।
2. अधिकांश विवाह अभी भी अंतर्विवाह (सजातीय) पर आधारित हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स पर जाति आधारित साथी की आवश्यकता वाले विज्ञापन इस बात के प्रमाण हैं।
3. डॉ. एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार हरियाणा में जाट, गुजरात में पाटीदार आदि प्रमुख जातियों का उदय जाति व्यवस्था पर आधारित है।
4. आज भी उत्तर भारत में गाँव की बस्तियाँ जाति आधारित विभाजन का अनुसरण करती हैं।
5. अस्पृश्यता का निरंतर अस्तित्व, दलितों पर जाति आधारित अत्याचार भारतीय समाज के जाति आधारित विभाजन को दर्शाता है।
6. सकारात्मक कार्यवाही की मांग के लिए जाति आधारित लामबंदी, जैसे हरियाणा में जाटों की ओबीसी स्थिति की मांग भी इसका उदाहरण है।

इस प्रकार यद्यपि एक संस्था के रूप में जाति ने निश्चित रूप से स्वयं को संशोधित किया है, लेकिन जनता को लामबंद करने की अपनी क्षमता के कारण भारतीय समाज में विभाजन का एक प्रमुख आधार बना हुआ है। यहां तक कि गांधीजी का भी विचार था कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है और इसलिए हमें जाति व्यवस्था को खत्म करने के बजाय जाति व्यवस्था की बुराइयों को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए।

2. पूर्वी भारत के संसाधन संपन्न राज्यों जैसे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि पुरानी और नई शब्दावली के अनुसार क्रमशः 'बीमारू' और 'आकांक्षी' राज्यों में से हैं। इन राज्यों के विकास की कहानी में इस विकासात्मक द्वंद्व के क्या कारण हैं? विवरण दीजिए।

उत्तर:

भारत के ये आकांक्षी राज्य संसाधन 'अभिशाप या बहुतायत के विरोध ाभास' से पीड़ित रहे हैं। यह एक विरोधाभासी स्थिति है जिसमें एक क्षेत्र मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों का घर होने के बावजूद सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ा होता है।

विरोधाभासी स्थिति - संसाधन संपन्न, फिर भी अभी तक अल्प सामाजिक-आर्थिक विकास:-

1. अकेले झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में देश की खनिज संपदा (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण) का 40% से अधिक हिस्सा है।

	खनिज	अंश
1.	कोयला	80% से अधिक
2.	लौह अयस्क	लगभग 75%
3.	बाक्साइट	लगभग 60%

2. इन राज्यों में औसत वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 35 प्रतिशत है (इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट-2021)।
3. उच्च गरीबी दर जैसे - झारखंड में 42% (बहु-आयामी गरीबी सूचकांक- नीति आयोग)।
4. निम्न साक्षरता दर और उच्च विद्यालय छोड़ने की दर।
5. खराब स्वास्थ्य संकेतक -
   - उच्च शिशु मृत्यु दर (छत्तीसगढ़ - 41 प्रति हजार जीवित जन्म),
   - मातृ मृत्यु दर (ओडिशा - 150 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म) आदि।
6. कुपोषण और भूख का उच्च प्रसार।
7. 115 में से 39 आकांक्षी जिले इन तीन राज्यों के हैं।

विकासात्मक विरोधाभास के कारण:

1. प्रभावी और संवेदनशील प्रशासन का अभाव।
2. सुशासन का अभाव और उच्च स्तर का भ्रष्टाचार,जैसे : जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड के उपयोग में अक्षमता।
3. राजनीतिक अस्थिरता, उदाहरण के लिए झारखंड में पिछले 22 वर्षों में 11 मुख्यमंत्री बने हैं।
4. 25% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों (2011 की

जनगणना) की है, जिनकी विशेष विकासात्मक आवश्यकताए है।

5. कठिन भूभाग - पठारी और सघन वन क्षेत्र होने के कारण लॉजिस्टिक्स एवं अवसंरचना विकास चुनौती बना हुआ है।
6. नक्सलियों की मौजूदगी से सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
7. बुनियादी ढांचे की खराब उपलब्धता है। भौतिक अवसंरचना जैसे सड़कें, बिजली आदि के साथ ही सामाजिक अवसंरचना जैसे स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल आदि का अभाव है।

प्रधानमंत्री के शब्दों में, इन राज्यों को स्मार्ट (SMART) शासन की तत्काल आवश्यकता है, ताकि इन राज्यों के साथ-साथ भारत के सतत और समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

3. भारत की बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करना एक रणनीतिक नीतिगत मामला है। एक सतत शहरी विकास को प्राप्त करने के लिए उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालें जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।

उत्तर:

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की शहरी आबादी 37.7 करोड़ थी, जिसके 2030 तक बढ़कर लगभग 60 करोड़ होने का अनुमान है (आर्थिक सर्वेक्षण - 2020-21)। शहरीकरण से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है।

भारत की शहरी आबादी का महत्व:

1. शहर राष्ट्र के आर्थिक विकास के इंजन हैं।
2. कोविड -19 महामारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शहरों में बड़ी संख्या में प्रवासी आबादी रहती है, जो किसी भी आपदा के प्रति सुभेद्य हैं लेकिन विकास के लिए महत्वपूर्ण भी हैं।
3. गरीबी, भूख, कुपोषण आदि जैसे विकासात्मक मुद्दों को संबोधित करने की कुंजी है (आर्थिक विकास का इंजन होने के कारण) ।
4. शहरी क्षेत्रों का आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
5. वे उच्च शिक्षा, अनुसंधान के साथ-साथ तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

शहरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे जिन्हे संबोधित करने की आवश्यकता है:

1. झुग्गी-झोपड़ी और मलिन बस्तियों का विस्तार नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। लगभग 6.55 करोड़ लोग मलिन बस्तियों (जनगणना-2011) में रहते हैं।
2. अत्यधिक प्रवास के परिणामस्वरूप बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व है, उदाहरण के लिए दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर 11,300 व्यक्ति रहते हैं।
3. उच्च यातायात भीड़ और अक्षम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली।
4. सीवरेज की समस्या के कारण मानसून में पानी जमा हो जाता है, जो कभी-कभी शहरी बाढ़ (जैसे-चेन्नई बाढ़) में परिणत हो जाता है।
5. भारत में सालाना लगभग 62 मिलियन टन नगरपालिका ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 70% एकत्र किया जाता है और 20% से कम का उपचार किया जाता है।
6. उच्च शहरी बेरोजगारी - आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर (2021-22) में 8.7%।
7. जनता के लिए खराब आवास सुविधाएं और आसमान छू रहा किराया एक बड़ी चुनौती है।
8. उद्योगों और परिवहन व्यवस्था(जीवाश्म ईंधन आधारित) के तेजी से विकास के कारण शहरों में उच्च प्रदूषण स्तर है।

नीति आयोग के महत्वपूर्ण सुझावों के साथ भारत सरकार उपरोक्त मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया आदि जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है।

4. हमारी परंपराओं और रीति-रिवाजों ने वैश्वीकरण के उदय के साथ अपनी पकड़ ढीली कर दी है। इस संबंध में किन्हीं तीन ऐसी परंपराओं और रीति-रिवाजों की चर्चा कीजिए जो अधिक प्रभावित हुई हैं और भारतीय समाज पर इसके प्रभाव का विश्लेषण भी कीजिए।

उत्तर:

ओहमे के अनुसार, वैश्वीकरण 'सीमाहीन विश्व' की ओर ले जाता है, जहां पारंपरिक राष्ट्र-राज्य की बाधाओं से परे जीवन की भावना है तथा जिसमें तीव्र प्रगति और आधुनिकता का समावेश है। वर्तमान में आधुनिकता की इस लहर में प्राचीन सभ्यता के रीति-रिवाज भी शिथिल होते जा रहे हैं।

परंपराएं और रीति-रिवाज : कठोरता में कमी

1. सदियों पुरानी संयुक्त परिवार प्रणाली कमजोर हो गई है और तीव्रता से एकल और विस्तारित परिवार प्रणाली (एक्स्टेंडेड फैमिली) में परिवर्तित हो रही है।
2. विवाह के क्षेत्र में, कठोर सजातीय विवाह, अनुष्ठान और अरेंज मैरिज के स्थान पर क्रमशः अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह, सिविल/अदालत और प्रेम विवाह को स्वीकृति मिल रही है।
3. आर्थिक, धार्मिक तथा पितृसत्तात्मक क्षेत्र में गहरी जड़ें जमाने वाली पितृसत्तात्मक परंपराएं, वैश्वीकरण प्रेरित नारीवादी आंदोलन के तहत कमजोर होती जा रही हैं। जैसे - सुप्रीम कोर्ट के प्रगतिशील निर्णयों द्वारा (सबरीमाला वाद, शायरा बानो वाद और तीन तलाक का उन्मूलन) आदि।

भारतीय समाज पर प्रभाव:

1. महिलाएं आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में अपने स्थान का दावा कर रही हैं। उदाहरण के लिए- स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि।
2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं आदि जैसे हाशिए के वर्गों की जागरूकता और मुखरता में वृद्धि। उदाहरण के लिए-वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अपने अधिकारों के लिए आदिवासियों द्वारा किए गए आंदोलन।
3. सामाजिक कुरीतियों में कमी जैसे- बाल विवाह, दहेज, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या आदि।
4. बड़ों के लिए अलगाव और अकेलापन बढ़ने के साथ-साथ

वृद्धाश्रमों की संख्या भी बढ़ रही है।
5. परिवार के स्थान पर बाल देखभाल गृह बच्चे के प्रारंभिक समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनते जा रहे हैं।
6. संस्कार आधारित त्योहारों की जगह मदर्स डे, फादर्स डे आदि जैसे धर्मनिरपेक्ष त्योहारों ने ले ली है।

चूंकि वैश्वीकरण के पारंपरिक भारतीय समाज के लिए मिश्रित प्रभाव हुए हैं, इसलिए हमें परंपरा और आधुनिकता के बीच सामंजस्य की और साथ ही संवैधानिक नैतिकता के आलोक में सद्भाव स्थापित करने की आवश्यकता है।

5. भारत ने आबादी के वंचित वर्गों को सम्मान और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सकारात्मक कदम उठाए हैं। क्या इसने उन लोगों को गरिमा (सम्मान) प्रदान की है जो इससे वंचित थे?

उत्तर:

हाशिए के वर्गों का विकास और उन्हें समाज के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के लिए उनका सशक्तिकरण करना भारत के संविधान में निहित एक प्रतिबद्धता है। प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सामाजिक न्याय दृष्टिकोण के माध्यम से इसे प्राप्त करने का मार्ग सुझाया गया है।

अब तक अपनाई गई सकारात्मक कार्यवाहियां:

अनुसूचित जाति के लिए:

1. शैक्षणिक संस्थानो में सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 15(5)) और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण(अनुच्छेद 16(4))।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989।
3. सरकारी योजनाएं जैसे- शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, स्टैंड अप इंडिया, दलित उद्यमी के लिए उद्यम पूंजी कोष की स्थापना।

अनुसूचित जनजाति के लिए:

1. शैक्षणिक संस्थान में सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 15(5)) और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण (अनुच्छेद 16(4))
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989।
3. संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं के लिए:

1. किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए सबला योजना।
2. व्यापक जननी सुरक्षा योजना- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली मां के लिए।
3. बेटी बचाओ बेटी पढाओ बालिकाओं की सुरक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए।

दिव्यांगजन के लिए:

1. सुगम्य भारत अभियान।
2. सरकारी नौकरी में आरक्षण।

अल्पसंख्यकों के लिए:

1. अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के लिए नई रोशनी योजना।
2. उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उस्ताद योजना।

क्या वंचित वर्गों को सम्मान दिया जा रहा है?

हाँ :

1. सामान्य जनसंख्या और हाशिए के वर्गों की साक्षरता दर के बीच अंतर कम हुआ है। महिलाओं की साक्षरता दर में 2001 और 2011 की जनगणना के बीच पुरुषों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है।
2. अधिकारों की आत्म-जागरूकता में वृद्धि हुई है। बेजवाड़ा विल्सन जैसे दलित कार्यकर्ता, दलितों से हाथ से मैला ढोने की प्रथा को छोड़ने और उनके पुनर्वास के लिए लड़ने की अपील करते हैं।
3. दिव्यांगों के लिए उन्नत डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे रैंप, लो फ्लोर बस आदि के परिणामस्वरूप सुगमता में वृद्धि हुई है।
4. सैनिटरी नैपकिन, परिवार नियोजन सेवाओं और शौचालय आदि तक पहुंच में वृद्धि के परिणामस्वरूप लड़कियों और महिलाओं के लिए सम्मानजनक और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित हो रहा है।

नहीं :

1. हाशिए पर रहने वालों के खिलाफ हिंसा के विभिन्न उदाहरण अभी भी देखने को मिल रहे हैं, उदाहरण के लिए ऊना में दलितों की सार्वजनिक पिटाई, सहारनपुर में दलित लड़की के साथ क्रूर सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं।
2. मैला ढोने वालों (मैनुअल स्केवेंजिंग) का अवैध रोजगार अभी भी जारी है। यह 2016 और 2020 (सफाई कर्मचारी आंदोलन) के बीच 472 मैनुअल स्कैवेंजिंग मौतों से स्पष्ट है।
3. भौतिक संसाधनों और घरों की कमी का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उच्च अनुपात है (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011)।
4. बाल विवाह, महिलाओं के खिलाफ अपराध, घरेलू हिंसा, वैवाहिक बलात्कार आदि का लगातार प्रचलन महिलाओं की गरिमा के विरूद्ध है।

इन सभी कमियों को सुधारते हुए सकारात्मक कार्रवाइयों को अधिक तीव्रता से और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि पारंपरिक भारतीय समाज को एक आधुनिक समाज में बदलने के लिए सतत विकास लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) और 1 (शून्य गरीबी) आदि को साकार किया जा सके।

6. विश्व के प्रमुख ग्लेशियरों (हिमनदों) की पहचान करें। उनके अस्तित्व के लिए प्रमुख खतरे क्या हैं? ग्लेशियर कौन-सी पारितंत्रीय सेवाएं प्रदान करते हैं?

उत्तर:

ग्लेशियर या हिमानी सामान्य अर्थों में बर्फ की नदी है जो समय के साथ जमा हुई बर्फ से बनती है। वे उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां तापमान बहुत कम होता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 10% हिस्सा ग्लेशियरों से ढका है।

विश्व के प्रमुख ग्लेशियर-

1. लैम्बर्ट ग्लेशियर, अंटार्कटिका

2. पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, अर्जेंटीना
3. मार्गरी ग्लेशियर, अलास्का
4. फर्टवांग्लर ग्लेशियर, तंजानिया
5. पास्टर्ज ग्लेशियर, ऑस्ट्रिया
6. काराकोरम पर्वत श्रृंखला में हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर आदि।

ग्लेशियरों के लिए प्रमुख खतरे:

- उद्योग, परिवहन और अन्य मानवीय गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग तथा वनों की कटाई से वातावरण में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है जो कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियरों के पिघलने का कारण बनती हैं।
- जब ग्लेशियर की सतह पर ब्लैक कार्बन जमा हो जाता है, तो यह ग्लेशियर की सतह के एल्बीडो (सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता) को कम करके सौर विकिरण के अवशोषण को बढ़ाता है।
- समुद्र का गर्म होना इसका एक कारण है। महासागर पृथ्वी की 90% ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। यह समुद्री ग्लेशियरों के पिघलने (ध्रुवों और अलास्का के) का कारण है।
- वनों की कटाई भी संभावित कारणों में से एक है। लेकिन इसके सटीक प्रभाव को लेकर विशेषज्ञों में मतभेद है।
- अन्य कारकों में तेल और गैस ड्रिलिंग, बर्फ तोड़ने वाले जहाज और तीव्र औद्योगिकीकरण शामिल हैं।

ग्लेशियरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं:

1. खाद्य आपूर्ति-मत्स्य पालन कई क्षेत्रों में भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करता है।
2. जल आपूर्ति - कई क्षेत्रों में बड़ी आबादी न केवल कृषि जल के लिए बल्कि पीने के पानी के लिए भी हिमनद स्रोतों पर निर्भर करती है।
3. जल विद्युत - हिमनद अपवाह जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उदाहरण के लिए, स्विट्जरलैंड में, इसकी 25% विद्युत हिमनद से होने वाले अपवाह से प्राप्त होती है।
4. पानी की गुणवत्ता - ग्लेशियरों का स्वच्छ जल अन्य क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता में सुधार करता है।
5. जोखिम शमन - ग्लेशियर के पीछे हटने के कारण निलंबित तलछट भार में कमी से अपरदन प्रक्रियाओं में कमी आ सकती है
6. कार्बन चक्रण के माध्यम से जलवायु संबंधी जानकारी देता है।
7. पर्यटन - उदाहरण के लिए, कनाडा के बानफ नेशनल पार्क के ग्लेशियर हर साल 3 मिलियन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करते हैं।
8. धार्मिक मान्यता - हिमनद पर्वत चोटियों को आध्यात्मिक माना जाता है और इनका उच्च सांस्कृतिक महत्व है। उदाहरण के लिए, हजारों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष भारत में गंगोत्री ग्लेशियर की यात्रा करते हैं।
9. स्कीइंग जैसे मनोरंजन के लिए वर्षभर अवसर प्रदान करते हैं।

ग्लेशियरों के पिघलने की तीव्र दर से अत्यधिक बाढ़ और जैव विविधता के नुकसान जैसे बड़े प्रभाव हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि दुनिया ग्लेशियरों को तेजी से खो रही है। अत: सभी को इसे रोकने के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।

7. विकास के इंजन भारत में कम सघन माध्यमिक शहरों को विकसित करने में विफल रहे हैं। भारत का स्थानिक विकास इतना एकतरफा क्यों है? संतुलित क्षेत्रीय विकास प्राप्त करने के उपाय सुझाएं।

उत्तर:

2017-18 में भारत के पांच सबसे अमीर राज्यों की प्रति व्यक्ति आय नीचे के राज्यों की तुलना में 338% अधिक थी।

भारत में असमान विकास के कारण-

1. ब्रिटिश उद्योगपति ज्यादातर अपनी गतिविधियों को विशेष रूप से कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे शहरों में केंद्रित करना पसंद करते थे। इससे देश के बाकी हिस्से अपेक्षाकृत पिछड़े रह गए थे।
2. भौगोलिक कारक जैसे जलवायु, समुद्र या भूमि मार्ग से संपर्क, भूभाग, मिट्टी, संसाधन आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3. सड़क, रेल आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण, कुछ क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं जैसे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, मध्य भारत, बिहार आदि।
4. स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं के मामले में राज्यों के बीच भारी असमानताएं हैं। इसके अलावा, गरीब राज्य कम खर्च करते हैं, इससे एक दुष्चक्र पैदा होता है।
5. उत्तरी राज्य घनी आबादी वाले हैं। हालाँकि, इस क्षेत्र में महानगरीय केंद्रों की कमी है, जिसने युवाओं को पश्चिम और दक्षिण भारत की ओर रोजगार हेतु पलायन करने के लिए मजबूर किया है।
6. केंद्रीय योजनाओं को डिजाइन करने में, केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य की प्रति व्यक्ति आवश्यकताओं को ध्यान में रखने में विफल रहती है। नतीजतन, गरीब राज्यों की तुलना में अमीर राज्यों को प्राय: ऐसी योजनाओं से अधिक लाभ होता है।

संतुलित विकास के लिए आवश्यक उपाय-

1. स्थानीय औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने पर ध्यान देना आवश्यक है। कानपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, पीथमपुर और कटक जैसे कई पारंपरिक औद्योगिक शहरों को आर्थिक रूप से पुनर्जीवित करने और जीवंत बनाने की आवश्यकता है।
2. स्थानीय सरकार को सशक्त बनाना और केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच एक समन्वित कार्य योजना बनाना आवश्यक है।
3. भारत के दूर-दराज के हिस्सों में भी स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए उचित विकास अपेक्षित है।
4. भीतरी इलाकों को शहरी केंद्रों से जोड़ने के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा।
5. चूंकि भारत में एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि की स्थिरता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

समृद्ध और पिछड़े राज्यों के बीच की खाई को पाटने के लिए कई

पहलें की गई हैं। वित्त आयोग के हस्तांतरण, जीएसटी आदि ने विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। केंद्र सरकार को ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है जो उच्च विकास दर हासिल करने के लिए पिछड़े राज्यों का समर्थन करे।

8. हाल ही में भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर आई है। ग्रीन (हरित) हाइड्रोजन क्या है? हरित हाइड्रोजन के लाभ और हानि की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

ग्रीन हाइड्रोजन को ऐसे हाइड्रोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अक्षय ऊर्जा द्वारा निर्मित विद्युत का उपयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है। वर्तमान में उत्पादित हाइड्रोजन का 1% से भी कम ग्रीन हाइड्रोजन है।

हरित हाइड्रोजन नीति के महत्वपूर्ण प्रावधान:

- ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माता या तो विद्युत एक्सचेंज से अक्षय ऊर्जा खरीद सकते हैं या अपनी स्वयं की अक्षय ऊर्जा क्षमता का निर्माण कर सकते हैं।
- निर्माता अपनी अप्रयुक्त अक्षय ऊर्जा को 30 दिनों तक वितरण कंपनी के पास जमा कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस ले सकते हैं।
- निर्माताओं को प्राथमिकता के आधार पर ग्रिड से कनेक्टिविटी दी जाएगी।
- समयबद्ध तरीके से वैधानिक मंजूरी सहित सभी कार्यों के लिए एक एकल पोर्टल होगा।
- 25 वर्षों की अवधि के लिए अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क को हटाने का प्रावधान किया गया है।

हरित हाइड्रोजन के लाभ:

1. यह पूर्णत: पर्यावरण अनुकूल और धारणीय है। इसके उत्पादन या दहन के दौरान किसी भी प्रदूषणकारी गैस का उत्सर्जन नहीं होता है।
2. इसे संग्रहित करना आसान है, जो इसे बाद में अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।
3. इसे विविध रूप में प्रयोग किया जा सकता है जैसे- इसे बिजली या सिंथेटिक गैस में बदला जा सकता है।
4. ऊर्जा के अन्य स्रोतों जैसे डीजल या गैस की तुलना में अधिक कुशल है।
5. इसका उपयोग रसायन, लोहा, इस्पात, उर्वरक और शोधन, परिवहन, गर्म करने और विद्युत उत्पादन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है।
6. इसका उपयोग लंबी दूरी के परिवहन के लिए किया जा सकता है जैसे रेलवे, बड़े जहाजों, बसों या ट्रकों आदि में।

ग्रीन हाइड्रोजन के नुकसान:

1. अक्षय ऊर्जा, जो हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, का उत्पादन करना महंगा है, जिससे हरित हाइड्रोजन का उत्पादन भी अधिक महंगा हो जाता है।
2. सामान्य रूप से हाइड्रोजन और विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में अन्य ईंधनों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
3. हाइड्रोजन एक अत्यधिक अस्थिर और ज्वलनशील तत्व है। इसलिए रिसाव और विस्फोटों को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
4. पाइपलाइनों और शिपिंग कंटेनरों के माध्यम से इसका परिवहन आसान नहीं है।

ग्रीन हाइड्रोजन भारतीय ऊर्जा और रसायन क्षेत्र का भविष्य है। भारत में, समृद्ध, स्वच्छ ऊर्जा वाले भविष्य का मार्ग हरित हाइड्रोजन में निहित है।

9. भूकंप और सुनामी के बीच क्या संबंध हैं? विश्व के उन क्षेत्रों की पहचान करें जो सुनामी के खतरे के प्रति सुभेद्य हैं।

उत्तर:

सुनामी विनाशकारी तरंगों की एक श्रृंखला है, जो कभी-कभी दस मीटर से भी अधिक ऊंची होती है, जो समुद्री जल की एक बड़ी मात्रा के आकस्मिक विस्थापन से उत्पन्न होती है।

भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र के भीतर विस्फोट, भूस्खलन और सुनामी के सबसे सामान्य कारण हैं। इतिहास में लगभग सभी बड़ी सुनामी समुद्र के नीचे के भूकंपों के कारण हुई हैं।

भूकंप सुनामी कैसे उत्पन्न करते हैं:

- भूकंप के प्रभाव से समुद्रतल में आकस्मिक विकृति से जल का लंबवत विस्थापन होता है।
- टेक्टोनिक भूकंप एक विशेष प्रकार का भूकंप है जो पृथ्वी के पटल विरूपण से जुड़ा है।
- जब ये भूकंप समुद्र के नीचे आते हैं, तो विकृत क्षेत्र के ऊपर का पानी अपनी संतुलन स्थिति से विस्थापित हो जाता है।
- अधिकांश सुनामी बड़े भूकंपों से उत्पन्न होती हैं।
- दुनिया की 80% से अधिक सुनामी प्रशांत क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर सबडक्शन जोन के क्षेत्र में आती हैं।
- हालांकि, समुद्र के नीचे के कम तीव्रता वाले भूकंपों से जरूरी नहीं कि सूनामी आए। आमतौर पर, 7.5 से अधिक की रिक्टर तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी सुनामी उत्पन्न करता है।

सुनामी संभावित क्षेत्र:

1. प्रशांत महासागर के आसपास के तटीय क्षेत्र विशेष रूप से सुनामी से प्रभावित होते हैं जैसे चिली और पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी तट, जापान और न्यूजीलैंड।
2. ये एकमात्र ऐसे स्थान नहीं हैं जहां सुनामी आ सकती है, बल्कि सक्रिय प्लेट सीमाओं के क्षेत्रों में सुनामी प्राय: उत्पन्न होती है।
3. सुनामी से दुनिया के जिन अन्य हिस्सों के प्रभावित होने की अधिक संभावना है उनमें न्यूफाउंडलैंड (कनाडा के पूर्वी तट पर), पुर्तगाल, भारत और अधिकांश भूमध्यसागरीय क्षेत्र आदि है।

प्राकृतिक आपदा होने के कारण सुनामी कहीं भी और कभी भी आ सकती है लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, इसके लिए लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना, पूर्व चेतावनी प्रणाली, त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र, आदि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

मैंग्रोव वनों और प्रवाल भित्तियों का संरक्षण सुनामी के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है।

10. अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) क्या है? हम AMOC में गिरावट क्यों देख रहे हैं और इसके क्या निहितार्थ हैं?

उत्तर:

अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) महासागरीय धाराओं की एक बड़ी प्रणाली है। यह महासागर कन्वेयर बेल्ट या थर्मोहेलाइन परिसंचरण (टीएचसी) की अटलांटिक शाखा है। यह दुनिया के महासागर में ऊष्मा और पोषक तत्वों का वितरण करती है।

AMOC का कार्य:

- AMOC उष्ण कटिबंध से उत्तरी गोलार्ध की ओर गर्म सतही जल ले जाता है, जहां यह ठंडा होकर नीचे बैठता है।
- यह फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और दक्षिण अटलांटिक में तलीय धारा के रूप में लौटता है। फिर यह अंटार्कटिक सर्कंपोलर करंट के माध्यम से सभी महासागरों में प्रवाहित होता है।

AMOC में गिरावट के कारण?

1. ग्रीनहाउस गैसों के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग अटलांटिक मेरिडियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के धीमा होने का एक प्रमुख कारण है।
2. ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक महासागर गर्म हो गया है, ग्रीनलैंड में बर्फ पिघलने की दर बढ़ गई है, वर्षा की अनिश्चितता बढ़ गई है और उत्तरी समुद्रों में मीठे पानी का प्रवाह तेज हो गया है।
3. मीठे पानी के मिलने से पानी की लवणता और घनत्व कम हो जाता है जिससे पानी की शीतलन दर कम हो जाती है। अतः ऐसा जल 'कन्वेयर बेल्ट' में नीचे नहीं बैठता, जिससे एएमओसी कमजोर हो गया है।

AMOC में गिरावट के प्रभाव:

1. उत्तरी अटलांटिक में समुद्री उत्पादकता में कमी।
2. उत्तरी गोलार्ध में बहुत ठंड होगी और यूरोप में वर्षा में कमी आएगी।
3. इसका असर अल नीनो पर भी पड़ सकता है।
4. अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम होगी।
5. सहेलियन ग्रीष्मकालीन वर्षा और दक्षिण एशियाई ग्रीष्मकालीन वर्षा में कमी आएगी।
6. यह दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में भी मानसून को स्थानांतरित कर सकता है।
7. यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वोत्तर तट के साथ क्षेत्रीय समुद्री स्तर को बढ़ा सकता है।

AMOC दुनिया भर में ऊष्मा के पुनर्वितरण और मौसम के पैटर्न को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें गिरावट उस सीमा को दर्शाता है जिससे आगे संपूर्ण जलवायु प्रणाली प्रभावित होगी।

11. समाज में प्रौद्योगिकी की बढ़ती पहुँच ''संस्कृतिक एकरूपता को बढ़ावा'' देती है, भारत की भविष्य दृष्टि जहाँ तक संभव हो वहाँ तक तकनीकी रूप से उन्नत और साथ ही सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े समाज के निर्माण की होनी चाहिए। टिप्पणी कीजिए।

उत्तर:

संस्कृति और भाषाओं में विविधता भारत की एक प्रमुख विशेषता है। भाषा, कला, गतिशीलता, शिक्षा और धर्म सहित हमारी सभी संस्कृतियों के मूलभूत पहलुओं पर प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

मोनोकल्चर (सांस्कृतिक एकरूपता) को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका-

1. विश्व की प्रमुख संस्कृति का प्रभाव स्थानीय संस्कृतियों पर होता है। रोमन साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के दौरान रोमन-लैटिन संस्कृति के मामले में ऐसा ही था।
2. संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आने से लोग एक-दूसरे की तुलना में प्रौद्योगिकी से अधिक जुड़े हुए हैं। यह सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक विविधता को कम करने की प्रवृत्ति रखता है।
3. नए मीडिया माध्यमों से सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के फैलने का खतरा है। प्रौद्योगिकी बड़े पैमाने पर पश्चिमी संस्कृति को वैश्विक संस्कृति के रूप में बढ़ावा दे रही है।
4. प्रौद्योगिकी भी विभिन्न भाषाओं और बोलियों के विलुप्त होने तथा एकल भाषा प्रचार का वाहक बन रही है। एक अनुमान के अनुसार, दुनिया में लगभग 80% वेबसाइटें अंग्रेजी में हैं।
5. तकनीक का हमारे पहनावे, खान-पान आदि से संबंधित विविधता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हम पश्चिमी पोशाक, पश्चिमी फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं। इसने हमारी स्वदेशी सांस्कृतिक प्रथाओं को गहरे से प्रभावित किया है।

प्रौद्योगिकी संस्कृति में निहित होनी चाहिए-

1. हमारी संस्कृति पर प्रौद्योगिकी के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए, हमें प्रौद्योगिकी और संस्कृति के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा।
2. तकनीकी युग में सांस्कृतिक परंपराओं को उचित महत्व नहीं देना उपकरण और उपयोगकर्ता के बीच दूरी निर्मित करता है। जैसे- आदिवासी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पढ़ाना जो अंग्रेजी में है, अच्छा विकल्प नहीं होगा वे उससे सहजता से नहीं जुड़ पाएंगे।
3. तकनीक और संस्कृति साथ-साथ चलती है। स्वीकृति की संस्कृति के बिना, प्रौद्योगिकी चाहे कितनी भी उन्नत क्यों न हो, बेकार होगी। उदाहरण के लिए भले ही हमें कृषि के बारे में जानकारी है, फिर भी ऐसे समाज हैं जो शिकार और संग्रह करके जीवनयापन करते हैं।
4. नए चिकित्सा नवाचार तभी सफल होते हैं जब वह संस्कृति का सम्मान करते हैं। वैक्सीन हिचकिचाहट के हालिया मामले प्रमुख उदाहरण हैं।
5. बड़े स्तर पर सांस्कृतिक आयाम का प्रसार करने के लिए,

प्रौद्योगिकी को समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों के अनुरूप होना चाहिए अन्यथा तकनीकी विकास और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के बीच एक संघर्ष मौजूद रहेगा। एक तर्कसंगत संतुलन लोगों को तकनीकी दुनिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने की अनुमति देता है जो किसी की जातीयता, उम्र या शिक्षा के स्तर से परे है।

किसी एक संस्कृति का अंग होना और अन्य संस्कृतियों के साथ सहयोग करना, समझना व भाग लेना संभव है। भारत बहुसंस्कृतिवाद की संभावना का दुनिया का सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत में विभिन्न सांस्कृतिक पहचानो का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है जो कि अद्वितीय है। तकनीकी प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक समन्वय वर्तमान समय की मांग है इस हेतु प्रयास किये जाने चाहिए।

12. लिंग पूर्वाग्रह पितृसत्तात्मक समाज की एक अंतर्निहित विशेषता है - यह एक ऐसा रूप है जो महिलाओं को कई तरह से नीचा दिखाता है। चर्चा करें कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कैसे अधीन किया जाता है। महिला सशक्तिकरण के संबंध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

उत्तर:

भारतीय समाज परंपरागत रूप से पितृसत्तात्मक समाज रहा है और जैसे आज भी भारतीय समाज में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है, उदाहरण के लिए भारत विश्व आर्थिक मंच के जेंडर गैप इंडेक्स में 156 देशों में 140 वें स्थान पर है।

पितृसत्तात्मक समाज में निहित लैंगिक पूर्वाग्रह इस प्रकार हैं:

1. पुरुषों का अधिकार समाज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में है।
2. केवल पुरुष को संपत्ति विरासत में मिलती है।
3. लड़के के जन्म को वरीयता दी जाती है।
4. स्त्री की भूमिका को केवल गृहिणी के रूप में स्वीकार किया जाता है।
5. महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थान की सीमित पहुंच होती है।

पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की अधीनता :

सामाजिक रूप से:

1. सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर, तालाब, बाजार आदि में प्रतिबंधित पहुंच, उदाहरण के लिए महिलाओं को मंदिरों, मस्जिदों आदि में प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है।
2. शिक्षा सुविधाओं तक सीमित पहुंच, उदाहरण के लिए मनुस्मृति के अनुसार एक शिक्षित महिला दुख का स्रोत है।
3. भोजन की आदतों में भी अधीनता परिलक्षित होती है, जैसे कि महिलाएं और लड़कियां सभी पुरुषों के खाने के बाद ही भोजन करती हैं।
4. पति द्वारा पत्नी के प्रति हिंसा और दुर्व्यवहार को वैध माना जाता है।

राजनीतिक रूप से:

1. महिलाओं के राजनीतिक पद और यहां तक कि मताधिकार तक पहुंच परिवार के पुरुषों द्वारा नियंत्रित होता है।
2. यहां तक कि गृहिणी और मुख्य देखभालकर्ता के रूप में महिलाओं की भूमिका भी उनकी राजनीतिक भागीदारी को प्रतिबंधित करती है।
3. आधुनिक समय में, सरपंच जैसे महिला प्रतिनिधियों के कार्यालयों पर पतियों द्वारा 'पंचायत पति' के रूप में अधिकार रहता है।

आर्थिक रूप से:

1. मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि जैसे ग्रंथों में महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया था।
2. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बाद भी महिलाओं की संपत्ति तक पहुंच प्रतिबंधित है, उदाहरण के लिए, केवल 12.7 प्रतिशत भूमि जोत महिला परिचालन में हैं (10 वीं कृषि जनगणना 2015-16)।
3. आधुनिक समय में महिलाओं की अधीनता कांच की छत (सीमित प्रगति), नौकरियों का गुलाबी रंगीकरण (सीमित क्षेत्र में), महिलाओं का वस्तुकरण आदि के रूप में प्रकट होती है।

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी उपाय:

सामाजिक सशक्तिकरण:

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, छात्रवृत्ति, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय आदि योजनाओं के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देना।
2. स्वस्थ और सुरक्षित गर्भावस्था के लिए जननी सुरक्षा योजना, सुरक्षित मातृत्व अभियान आदि।
3. सबला, एकीकृत बाल विकास योजना आदि योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त पूरक पोषण।
4. घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीक अधिनियम, 1994 आदि जैसे सुरक्षात्मक कानून।

राजनीतिक अधिकारिता:

1. स्थानीय स्वशासन में सीटों का आरक्षण (73वां और 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम)।
2. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
3. महिलाओं के लिए अधिकार जागरूकता अभियान बढ़ाना।

आर्थिक सशक्तिकरण:

1. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और उसके बाद के संशोधन, समान पारिश्रमिक अधिनियम आदि जैसे कानून को सक्षम बनाना।
2. स्टैंड-अप इंडिया योजना, महिला उद्यमिता मंच आदि जैसे उपायों के माध्यम से महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना।
3. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 जैसे कानूनों के माध्यम से काम के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना ,मातृत्व लाभ अधिनियम आदि।
4. बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में सार्वजनिक रोजगार में महिलाओं के लिए आरक्षण।

अत: लैंगिक समानता (सतत विकास लक्ष्य 5) प्राप्त करना भारत के लिए सर्वोच्च विकास प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि यह हमें भारत के समग्र, समावेशी और सतत विकास की दिशा में 48.5% (जनगणना-2011) की क्षमता का दोहन करने में सक्षम बनाएगी।

13. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है कि भारत में 1.4 बिलियन से अधिक लोग हैं, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे अधिक

आबादी वाला देश बनाता है, वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्यू के अनुसार भारत जून 2023 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाएगा। क्या आप इस विचार का समर्थन करते हैं कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

उत्तरः

विभिन्न रिपोर्टों और सर्वेक्षणों ने भारत की बढ़ती जनसंख्या पर प्रकाश डाला है। उदाहरण के लिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2019 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.64 बिलियन हो जाएगी। इस बढ़ती जनसंख्या ने बच्चों की संख्या पर वैधानिक सीमा रखने की आवश्यकता के बारे में एक बहस पैदा कर दी है।

2019 का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, जिसे 2022 में वापस ले लिया गया था, ने प्रति युगल दो-बच्चे नीति का प्रस्ताव रखा और इसका उद्देश्य शैक्षिक लाभ, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, बेहतर रोजगार के अवसर, गृह ऋण और कर कटौती के माध्यम से इसे अपनाने को प्रोत्साहित करना था।

क्या भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है?

हाँ

1. कानून प्रवर्तन की भावना पैदा करता है इस प्रकार यह जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में प्रभावी साबित हो सकता है।
2. कई देशों में जनसंख्या नियंत्रण कानून हैं। जैसे- चीन, वियतनाम, नाइजीरिया आदि।
3. बार-बार बच्चे पैदा करना महिलाओं के स्वास्थ्य और अन्य पक्षों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे मैटरनल डेप्लेशन सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है।
4. बढ़ती जनसंख्या देश के सीमित संसाधनों पर दबाव बनाती है जो समग्र जीवन स्थिति को प्रभावित करती है।
5. विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं के बिना बड़ी आबादी भयावह स्थिति पैदा कर सकती है जैसा कि हाल ही में कोविड -19 संकट के दौरान देखा गया था।
6. भारत में, आंध्र प्रदेश, असम, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने राजनीतिक प्राधिकारियों या सरकारी नौकरी के लिए दो-बच्चों का नियम लागू किया है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सकता है।

नहीं

1. बलपूर्वक जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लिंग-चयन और असुरक्षित गर्भपात को प्रोत्साहित करेंगे।
2. बच्चों की संख्या को नियंत्रित और विनियमित करने की नीति अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर) और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा) जैसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
3. वास्तव में, अंतरराष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि बच्चों की एक निश्चित संख्या के लिए कोई भी दबाव प्रतिकूल है और जनसांख्यिकीय विकृतियों की ओर ले जाता है। चीन ने हाल ही में तीन बच्चों वाले परिवारों को अनुमति देने के लिए अपने जनसंख्या नियंत्रण उपायों में ढील दी है।
4. जनसंख्या नियंत्रण पर कानून के बजाय, हमें अपने मानव संसाधन के लाभों को प्राप्त करने के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देना चाहिए।
5. ऐसा कानून हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 15 और 16 का उल्लंघन ।
6. जनसंख्या नियंत्रण के लिए मौजूदा नीतियां अच्छा काम कर रही हैं। हाल ही में एनएफएचएस 5 की सर्वेक्षण रिपोर्ट इसका प्रमाण हैं।

नवीनतम एनएफएचएस 5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2015-16 में 2.2 से घटकर 2019-21 में 2.0 हो गई है, जो प्रति महिला 2.1 बच्चों की प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है, जो जोड़ों को अपने परिवार का आकार तय करने और परिवार नियोजन के सर्वोत्तम तरीकों को अपनी पसंद के अनुसार, बिना किसी बाध्यता के अपनाने में सक्षम बनाता है। अतः किसी भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने से पहले सभी पक्षों के विस्तृत अवलोकन की आवश्यकता है।

14. विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में विद्यमान अत्यधिक गरीबी 2011 से 2019 के बीच आधी से भी कम हो गई है। गरीबी में आई इस कमी के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा कीजिए और भारत की गरीबी उन्मूलन रणनीति में विद्यमान कमियों को भी चिन्हित कीजिए।

उत्तरः

विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्य पत्र के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी प्रतिशतता 2011 में 22.5% से गिरकर 2019 में 10.2% हो गई और ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक थी।

उपाय जिनके कारण गरीबी में कमी आईः

1. ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे मजदूरी रोजगार के लिए मनरेगा (MNREGA) और स्वरोजगार के लिए दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
2. कृषि आय बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे उपाय।
3. ग्रामीण और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आदि।
4. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से भारत के अकुशल युवाओं का कौशल विकास करने और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए।
5. मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना आदि जैसे उपायों के माध्यम से एमएसएमई को बढ़ावा देना।
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, अंत्योदय अन्न योजना जैसे उपायों

के माध्यम से सुनिश्चित पोषण उपलब्धता।

7. बाजार आधारित मजदूरी रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।
8. प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन। इसने सब्सिडी, पेंशन आदि के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की।
9. जीवन चक्र दृष्टिकोण, जैसे शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान), स्वास्थ्य (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना), स्वच्छता (स्वच्छ भारत मिशन), आवास (पीएम आवास योजना) आदि के माध्यम से जनता को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलना।

गरीबी उन्मूलन रणनीति में कमियाँ:

1. गरीबी उन्मूलन उपायों के साथ-साथ मानव पूंजी विकास के लिए सीमित वित्तीय संसाधन आवंटन, उदाहरण के लिए 6% के लक्ष्य के मुकाबले शिक्षा के लिए जीडीपी का केवल 4% आवंटित किया गया है।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा आदि कल्याणकारी योजनाओं में उच्च स्तर का भ्रष्टाचार और रिसाव होता है।
3. दक्षिण कोरिया में 90%, चीन आदि में 80% से अधिक के मुकाबले कुशल कार्यबल का निम्न स्तर केवल 5% है (आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21)।
4. पंचायती राज संस्थाओं जैसे विकेन्द्रीकरण उपायों की सीमित सफलता।
5. आजादी के 75 साल बाद भी क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में असमर्थता, जिसके परिणामस्वरूप समृद्ध पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों के विपरीत भारत के पूर्वी राज्य 'बीमारू' बन गए हैं।
6. किसानों की वास्तविक आय बढ़ाने में असमर्थता (दलवई समिति)।
7. सड़क, बिजली, सुरक्षित पेयजल आदि जैसे बुनियादी ढांचे की उपलब्धता का अभाव।

गरीबी कम करने में तेजी लाने के कुछ उपाय:

1. कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जाँच के लिए अनिवार्य सामाजिक लेखा परीक्षा को अपनाना।
2. कल्याणकारी योजनाओं में अधिकार आधारित दृष्टिकोण और जागरूकता पैदा करने वाला घटक सम्मिलित किया जाए।
3. सुझाए गए उपायों जैसे कार्यों, निधियों और पदाधिकारियों के हस्तांतरण के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की संस्था को सुदृढ़ बनाना।
4. युवाओं के लिए बाजार आधारित कौशल और कौशल से जुड़ा रोजगार उपलब्ध हो।
5. बिहार, झारखंड आदि राज्यों में परिवार नियोजन के उपायों पर जोर दिया जाए।

भारत को गरीबी को उसके सभी रूपों में समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए (सतत विकास लक्ष्य -1) क्योंकि इससे भारत के 1.4 बिलियन लोग अमृत काल के अंत तक भारत के 'विश्वगुरु' (वैश्विक शक्ति) बनने के सपने को साकार करने में योगदान दे सकेंगे। -2047।

15. जब शहरी विकास रणनीतियों में इक्विटी (समानता) अंतर्निहित होती है, तो दक्षता में वृद्धि होती है, संपत्ति का उपयोग इष्टतम हो जाता है, उत्पादकता में सुधार होता है और सामाजिक सामंजस्य मजबूत होता है। शहरी व्यवस्थाओं के संदर्भ में बढ़ती असमानताओं के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। शहरी क्षेत्रों में असमानता के स्तर को कम करने के उपाय भी सुझाएं।

उत्तर:

यूएन हैबिटेट के अनुसार, शहरी विकास रणनीतियों में समानता का अर्थ है सभी को समान अवसर प्रदान करना ताकि शहरी लाभ और शहरों की समृद्धि से सभी को लाभ हो। यह उचित और न्यायपूर्ण तरीके से स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सार्वजनिक वस्तुओं तक समान पहुंच के माध्यम से किया जा सकता है।

शहरी परिवेश में असमानताएँ निम्नलिखित प्रकार से प्रकट होती हैं:

1. रोजगार और आजीविका के अवसरों के विभेदित स्तर हैं । उदाहरण के लिए अकुशल गरीबों के लिए केवल कम वेतन वाले शारीरिक श्रम वाले रोजगार ही हैं।
2. स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं तक अलग-अलग (विभेदित) पहुंच।
3. विभिन्न आयामों में लिंग आधारित, जाति आधारित और वर्ग आधारित असमानताएं।
4. अदृश्य सीमाओ के द्वारा शहरी क्षेत्रों का 'केंद्र' और 'बाह्य' में विभाजन।

बढ़ती असमानताओं के परिणाम:

आर्थिक:

1. धन और आय असमानता में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट है। (ऑक्सफैम असमानता रिपोर्ट)
2. आईएमएफ के अनुसार, असमानता आर्थिक विकास को धीमा करती है, मांग को कमजोर करती है और वित्तीय संकटों में योगदान करती है।
3. बेरोजगारी का उच्च स्तर, उदाहरण के लिए-शहरी भारत में 8.6% की बेरोजगारी दर (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण Q3-2021-22)

सामाजिक:

1. शहरों में अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हो रही है।
2. उच्च स्तर की गरीबी, अभाव और भूख की स्थिति है।
3. शहरों में अपराध दर में वृद्धि, सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा करती है।

राजनीतिक:

1. कानून के शासन और लोकतांत्रिक लोकाचार के लिए हानिकारक।
2. असमानता प्रायः राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण में सहायता करती है। भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं से वंचित व्यक्ति को लुभाना आसान है।

पर्यावरण:

1. अकुशल संसाधन उपयोग से शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण का उच्च स्तर होता है।

2. मलिन बस्तियों का विस्तार और शहरी वनों और आर्द्रभूमियों में बढ़ते हुए अतिक्रमण भी इसके परिणाम हैं।

शहरी क्षेत्रों में असमानता के स्तर को कम करने के उपाय:

1. शहरी क्षेत्रों में प्रगतिशील कराधान सुधार, जैसे शहरी क्षेत्रों में श्रेणीबद्ध होल्डिंग टैक्स।
2. एक स्थायी जीवन स्तर की दिशा में मलिन बस्तियों और गरीबों की बस्तियों का पुनर्विकास।
3. सभी के लिए यूनिवर्सल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, अस्पताल, बिजली आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
4. युवाओं को बाजार मांग आधारित कौशल प्रदान किया जाए।
5. सरकारी प्रयासों तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाए।
6. शहरी विकास योजना के प्रत्येक चरण में लिंग समानता को एक घटक के रूप में शामिल करना।
7. अधिक सामाजिक रूप से समावेशी तरीके से सार्वजनिक स्थानों का विकास करना। उदाहरण के लिए – सभी इलाकों में हरित स्थानों की उपलब्धता।

इस प्रकार हमें अपने शहरी क्षेत्रों को 'जीवन के लिए शहर' में बदलने की जरूरत है, जो विकास में समानता की धारणा (विश्व शहरी मंच के सातवें सत्र) का समर्थन और एम्बेड करके शहर के प्रत्येक निवासी के लिए जीवन और जीवन को समृद्ध और आनंददायक बनाते हैं।

16. दलितों द्वारा सामना किये जाने वाले मुद्दों पर चर्चा करते हुए, दलित सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालें।

उत्तर:

'दलित' शब्द का तात्पर्य अति पिछड़े और वंचित वर्गों से संबंधित लोगों से है, संवैधानिक रूप से यह अनुसूचित जातियाँ कहलाती हैं। इस शब्द का प्रयोग उन भारतीयों के लिए किया जाता था जिन्हें अतीत में छुआछूत तथा जातिगत भेदभावों का सामना करना पड़ा था। दलित भारत की आबादी का लगभग 16.6% हैं (जनगणना-2011)।

दलितों की समस्याएं:

1. अस्पृश्यता अभी भी विभिन्न रूपों में व्याप्त है। उदाहरण के लिए, कई सरकारी स्कूलों में दलितों को अलग कमरों में बैठाए जाने की खबरें आती हैं।
2. दलित अपेक्षाकृत बहुत गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं (एसईसीसी-2011)। इसके कारण वे जाति-आधारित दासता और जबरन वेश्यावृत्ति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।
3. दलितों को यौन शोषण के आसान लक्ष्य के रूप में देखा जाता है, उदाहरण के लिए हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या और अन्य अपराधों जैसे सार्वजनिक रूप से दलित युवकों को पीटना आदि के मामले।
4. दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव का व्यापक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा तक पहुँचने में भेदभाव उच्च स्तर की बेरोजगारी का कारण बनता और यह गरीबी की ओर ले जाता है।
5. दलितों के पास साफ पानी, पर्याप्त भोजन, आवास या कपड़े जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं (विश्व बैंक अध्ययन)।
6. समान अधिकार और कर्तव्य होने के बावजूद दलित सम्मानजनक जीवन और बुनियादी मानवीय जीवन स्तर से वंचित हैं।
7. दलितों को सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें प्राय: धार्मिक स्थानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने से रोका जाता है।
8. दलितों में साक्षरता दर कम है, अखिल भारतीय (जनगणना 2011) स्तर 74% की तुलना में केवल 66.4%।
9. रोजगार के अवसरों को गंदी नौकरियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। दलित अधिकार कार्यकर्ता के अनुसार हर दलित सफाई कर्मचारी नहीं है बल्कि हर सफाई कर्मचारी दलित है।

सरकार द्वारा किए गए उपाय:

1. उनके अधिकारों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधान जैसे अनुच्छेद – 15,16,17,46,330 आदि किए गए हैं।
2. उनके अधिकारों की रक्षा और उनके लिए सकारात्मक कार्यवाई को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया।
3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 दलितों के खिलाफ कुछ गतिविधियों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के रूप में वर्णित करता है। उदाहरण के लिए, किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को जूते पहनाना, किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की संपत्ति हड़पना आदि।
4. शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों की प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ, लैपटॉप, साइकिल, आवासीय विद्यालय आदि का वितरण।
5. 'हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' (एमएस अधिनियम, 2013) हाथ से मैला उठाने वालों और उनके परिवारों के पुनर्वास का प्रावधान करता है।
6. दलितों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना।
7. नीट, जेईई, सिविल सेवा आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग।
8. आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) की स्थापना।
9. संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि और ऋण वृद्धि गारंटी योजना।

निश्चित रूप से उपरोक्त उपायों से दलितों की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अक्सर यह कहा जाता है कि दलितों के दुखों के सागर के बीच समृद्धि के कुछ ही द्वीप हैं। इसलिए उपरोक्त उपायों को 'सबका साथ, सबका विकास', सर्वोदय और अंत्योदय लाने के लिए ई-गवर्नेंस जैसे उपायों के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

17. इस साल गर्मियों की शुरुआत के साथ ही भारत के बड़े

हिस्से से भीषण हीट वेव की सूचनाएं मिल रही हैं। हीट वेव के कारणों और प्रभावों पर चर्चा करें।

उत्तर:

हीट वेव असामान्य रूप से गर्म मौसम की अवधि होती हैं जो मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। भारत में हीट वेव आमतौर पर मार्च से जून तक होती हैं, और कुछ दुर्लभ मामलों में जुलाई तक। देश के उत्तरी भागों में प्रत्येक वर्ष औसतन पांच-छह हीट वेव की घटनाएं होती हैं।

हीटवेव के कारण:

1. ग्लोबल वार्मिंग- यह हीटवेव को अधिक गर्म, लंबा और अधिक सामान्य बनाता है। ग्लोबल वार्मिंग जारी रहने के कारण मानव स्वास्थ्य पर हीट वेव्स का प्रभाव बढ़ने की उम्मीद है।
2. स्थानीय मौसम की स्थिति।
   - मार्च में राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों पर प्रतिचक्रवाती स्थिति और पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति से जल्दी प्रारंभ होने वाली और अत्यधिक गहन हीट वेव होती हैं।
   - हिंद महासागर में सतह के बढ़ते तापमान के साथ-साथ अल-नीनो प्रभाव भी भारत में हीटवेव के लिए जिम्मेदार हैं।
3. कंक्रीटीकरण (निर्मित क्षेत्रों) में वृद्धि- जमीन और हरित पट्टियों के अनियोजित कंक्रीटीकरण ने हीट आइलैंड प्रभाव को जन्म दिया है। कंक्रीटाइजेशन भूजल पुनर्भरण को भी रोकता है जिससे हरित आवरण कम होता है।
4. जीवनशैली में तेजी से बदलाव - सुबह लाइट ऑन करने से लेकर कार स्टार्ट करने और ऑफिस जाने तक या शाम को कूड़ा फेंकने तक - ये सभी गतिविधियाँ ग्रीनहाउस उत्सर्जन का कारण बनती हैं। आईपीसीसी के अनुसार, जीवनशैली में बदलाव से 2050 तक उत्सर्जन में 40-70% की कमी आ सकती है।
5. वनों की कटाई - विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि विश्व के कई क्षेत्रों में वनों की कटाई से वार्षिक अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है। इससे लू की तीव्रता में इजाफा हुआ है।
6. भूमि उपयोग- बढ़ती अचल संपत्ति और आवास इकाइयों की मांग के कारण भूमि उपयोग में परिवर्तन हो रहा है और प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों जैसे कि वन, जल निकाय, बंजर भूमि, आदि का सिकुड़न हो रहा है।

हीटवेव का निहितार्थ:

1. हीटवेव के दौरान कम श्रमिक उत्पादकता, विशेष रूप से कृषि और निर्माण क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (2019) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 1995 में गर्मी के तनाव के कारण लगभग 4.3% काम के घंटे गँवाए और 2030 में काम के घंटे 5.8% कम होने की उम्मीद है।
2. अत्यधिक गर्मी ,गर्मी से संबंधित बीमारी और मृत्यु का कारण बन सकती है, विशेष रूप से सुभेद्य वर्गों जैसे बुजुर्ग, गरीब, बाहरी श्रमिकों आदि में। हीटवेव बाढ़ के बाद दूसरी सबसे घातक आपदा है, जिसके परिणामस्वरूप 1967 से 2020 तक 41,333 मौतें हुईं।
3. गर्म और धूप वाले दिन हानिकारक प्रदूषक, जमीनी स्तर के ओजोन के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
4. कृषि क्षेत्र का अधिक गर्म तापमान से प्रभावित होना तय है। इसका परिणाम किसानों के लिए कम फसल, उपभोक्ताओं के लिए उच्च मूल्य और आजीविका पर नकारात्मक रूप में पड़ेगा।
5. हीट वेव सूखे और जंगल की आग को बढ़ा सकती हैं। सूखे से दुर्लभ संसाधनों पर हिंसा हो सकती है।
6. अत्यधिक गर्मी के कारण शीतलन के लिए ऊर्जा की बढ़ती मांग एक व्यापक आर्थिक स्थिति के रूप में आती है। इससे कार्बन आधारित ऊर्जा स्रोतों से उत्सर्जन में भी वृद्धि हो सकती है।
7. हीटवेव उथले जलीय पारिस्थितिक तंत्र को भी सुखा सकती हैं और ग्लेशियर के पिघलने में तेजी ला सकती हैं।

सहयोगात्मक प्रयास के बिना हम जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से नहीं निपट सकते। अत: हमें शहरी हरियाली, जीवनशैली में बदलाव, नियोजित शहरीकरण आदि जैसे हीटवेव के नकारात्मक प्रभावों से निपटने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

18. कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने आयातित चीनी थोक दवाओं पर भारत के दवा उद्योगों की निर्भरता को उजागर कर दिया है। भारत में अविकसित थोक औषध उद्योग के क्या कारण हैं? थोक औषधियों के उत्पादन में 'आत्मनिर्भरता' के उपायों का भी उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

आज भारत में फार्मा उद्योग का अनुमानित मूल्य 42 बिलियन डॉलर है। फार्मास्युटिकल निर्यात में 20% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ भारत मात्रा के आधार पर दवाओं का तीसरा सबसे बड़ा प्रदाता है। हालांकि, भारत में बनने वाली अधिकांश दवाएं कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं हैं। भारत वर्तमान में चीन पर 58 एपीआई के लिए बहुत अधिक निर्भर है, जबकि इन एपीआई पर निर्भरता दर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न है।

थोक दवा उद्योग के अविकसित होने के कारण-

- 1995 तक भारत किण्वन तकनीक में बहुत मजबूत था। लेकिन ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जो 1995 में शुरू किया गया था, के बाद, भारतीय कंपनियों को आयात के लिए चीन का सहारा लेना पड़ा क्योंकि वहां एपीआई सस्ते थे। यह 15-20 साल तक चलता रहा और अब चीन से आयात पर निर्भरता बढ़ गई है। वर्तमान में देशी उत्पादन चीन की एपीआई कीमतों की बराबरी नहीं कर सकते।
- एपीआई निर्माण के लिए आवश्यक सबसे आम कच्चा माल खनिज और पेट्रोकेमिकल हैं। जबकि चीन के पास प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन हैं, भारत अधिकांश खनिजों के लिए आयात पर निर्भर है। वितरण घाटे और अपर्याप्त आपूर्ति के कारण भारत में बिजली और पानी जैसी उपयोगिता आवश्यकताएं अधिक महंगी हैं। वित्त पोषण में समस्या एक और मुद्दा है।
- किण्वन-आधारित सामग्री जैसे विटामिन और एंटीबायोटिक्स, जो चीन से आयात किए जाते हैं, के लिए बिल्कुल शून्य बिजली कटौती होनी चाहिए। एपीआई उत्पादन में ऊर्जा आपूर्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है।
- पिछले दो दशकों में तैयार फॉर्मूलेशन पर ध्यान केंद्रित करने

के परिणामस्वरूप एपीआई के इन-हाउस भारतीय निर्माण में लापरवाही हुई है। इसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से चीन पर निर्भरता बढ़ गई।

- चीन से आयात में वृद्धि चीन की बड़ी क्षमताओं (जो सरकार द्वारा निर्मित और निजी उद्योग द्वारा प्रबंधित) और चीनी उत्पादों के लिए पंजीकरण को मंजूरी देने में भारत के उदार दृष्टिकोण की ओर इशारा करती है।

थोक औषधियों में आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक उपाय-

1. भारत सरकार को चीनी आयातों की जांच करनी चाहिए और कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। रणनीतिक योजना के लिए, भारत सरकार को एक हाइब्रिड बॉटम-अप-टॉप-डाउन रणनीति का उपयोग करना चाहिए। विभिन्न सरकारी एजेंसियों को उद्योग संगठनों और डेटा माइनिंग की सहायता से अपनी रणनीतिक योजना बनानी चाहिए।
2. मौजूदा प्रौद्योगिकियों की पहचान करना आवश्यक है जिनका उपयोग लागत प्रभावी और पर्यावरणीय रूप से उन्नत तरीके से एपीआई का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। ऐसी ही एक संभावित उपयोगी विधि कालीकट विश्वविद्यालय द्वारा छोड़े गए फलों से पेनिसिलिन के संश्लेषण के लिए बनाई गई थी।
3. लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) एपीआई के प्रमुख उत्पादक हैं, विशेष रूप से वे जो रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित होते हैं। एपीआई के वास्तविक उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी योजनाओं को डिजाइन करने की आवश्यकता है।
4. एपीआई पार्कों में निवेश को लेकर निजी कंपनियों के लिए कारोबारी असुरक्षा का माहौल है। यह असुरक्षा दूर हो जाएगी यदि सरकार द्वारा सामान्य उपयोगिता वाले एपीआई पार्क स्थापित किए जाएं और फिर उद्यमों को वहां अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाए।
5. बिजली, पानी, भाप और वित्त जैसी उपयोगिता लागतों के संदर्भ में समर्थन आवश्यक है। जमीन की कीमत भी एक मुद्दा है। पर्यावरण अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

दवाओं जैसी महत्वपूर्ण वस्तु के लिए किसी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भर रहना देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है। भारत ने अल्पावधि में अन्य स्रोतों की तलाश करने और मध्यम से लंबी अवधि में स्थानीय क्षमताओं को विकसित करने की सही रणनीति अपनाई है। हाल ही में शुरू की गई योजनाएं जैसे फार्मास्युटिकल उद्योग को मजबूत करने की योजना, देश में महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री / ड्रग इंटरमीडिएट और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना सही दिशा में कदम हैं।

19. प्रवाल भित्तियाँ अत्यंत उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र हैं और हमें विभिन्न सेवाएँ प्रदान करती हैं। प्रवाल भित्तियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, विश्व के उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करें जहाँ प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवाल भित्तियों के सामने आने वाले खतरों की भी चर्चा कीजिए।

उत्तरः

प्रवाल भित्तियाँ समुद्री सूक्ष्म जीवों, जिन्हें कोरल पॉलीप्स कहा जाता है, के कंकाल अवशेषों के संचय के कारण बनने वाली भू-आकृतियाँ हैं –

प्रवाल भित्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएंः

1. समुद्र तटों को तूफान और कटाव से बचाती हैं।
2. स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार प्रदान करती हैं।
3. भोजन और नई दवाओं का एक स्रोत हैं।
4. प्रवाल भित्तियाँ भूमि अभिवृद्धि का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।
5. मनोरंजन और पारिस्थितिक पर्यटन के अवसर प्रदान करती हैं।

प्रवाल भित्तियों का महत्वः

1. प्रवाल भित्तियाँ विश्व स्तर पर अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना में उच्चतम जैव विविधता को आश्रय देती हैं।
2. प्रवाल भित्तियाँ वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की प्रमुख संकेतक हैं।
3. वे अन्य कम संवेदनशील प्रणालियों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी संकेत के रूप में कार्य करती हैं।
4. प्रवाल भित्तियों में उच्च प्राथमिक उत्पादकता होती है।

विश्व में प्रवाल भित्तियों का वितरणः

1. प्रवाल भित्तियाँ मुख्यतः विश्व के उष्णकटिबंधीय भागों में पाई जाती हैं, ज्यादातर ये भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में विकसित होती है।
2. 100 से अधिक देशों की सीमाओं में प्रवाल भित्तियां हैं, और दुनिया की आधे से अधिक प्रवाल भित्तियाँ छह देशों में पाई जाती हैं : ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, फिजी और मालदीव।
3. इंडोनेशियाः सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र वाला देश है। यह वैश्विक रीफ क्षेत्र का 17.95% हिस्सा है। प्रमुख प्रवाल भित्ति में ताकाबोनरेट (दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चट्टान) और राजा अम्पैट शामिल हैं।
4. ऑस्ट्रेलियाः दूसरा सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र वाला देश है। यह वैश्विक रीफ क्षेत्र का 17.22% हिस्सा है। प्रमुख चट्टानों में ग्रेट बैरियर रीफ (दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति) और निंगालू (दुनिया की सबसे लंबी चट्टान) शामिल हैं।
5. फिलीपींसः तीसरा सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र वाला देश है। यह वैश्विक रीफ क्षेत्र का लगभग 8.81% हिस्सा है। प्रमुख भित्तियों में मिंडोरो जलडमरूमध्य में स्थित एपो रीफ और सुलु सागर में तुब्बाहाटा रीफ (दुनिया की सबसे प्राचीन और प्रजाति विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध रीफ है, और इसे विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है) शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवाल भित्तियों को खतरा :

1. महासागर के गर्म होने से थर्मल तनाव होता है जो प्रवाल विरंजन और संक्रामक रोगों के प्रसार में योगदान देता है।
2. समुद्र के स्तर में वृद्धि से तलछट के भूमि-आधारित स्रोतों के पास स्थित प्रवाल भित्ति के अवसादन में वृद्धि हो सकती है। अवसादन अपवाह प्रवाल विरंजन का कारण बन सकता है।
3. तूफान के पैटर्न में बदलाव से मजबूत और अधिक लगातार तूफान आते हैं जो प्रवाल भित्तियों के विनाश का कारण बन सकते हैं।
4. परिवर्तित समुद्री धाराओं से संपर्क और तापमान व्यवस्था में परिवर्तन होता है जो कोरल के लिए भोजन की कमी में योगदान

देता है और प्रवाल लार्वा के फैलाव को बाधित करता है।

5. महासागरीय अम्लीकरण (बढ़ी हुई CO_2 की मात्रा) पीएच स्तर में कमी का कारण बनता है जो प्रवाल वृद्धि और संरचनात्मक अखंडता को कम करता है।

प्रवाल भित्तियाँ समुद्र की जैव विविधता को रेखांकित करती हैं और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती हैं, इसलिए उनके महत्व को देखते हुए, प्रवाल भित्तियों और संबंधित पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण, प्रबंधन और बहाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

20. औद्योगिक खनिज भंडार की दृष्टि से विश्व में शीर्ष पाँच देशों में से एक होने के बावजूद, भारत का आयात अपने घरेलू उत्पादन का सात गुना है। भारत में खनिज अन्वेषण के विस्तार की वृहद संभावनाएँ हैं। भारत में खनिज अन्वेषण के मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं? 'एक्सप्लोर इन इंडिया' की शुरुआत के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डालें।

उत्तरः

सदियों से, भारत लौह अयस्क, तांबा, जस्ता, सीसा, सोना, चांदी, हीरे और अन्य कीमती रत्नों का महत्वपूर्ण उत्पादक रहा है और सजावटी एवं निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों का उत्पादन किया है जो कि हमारी ऐतिहासिक वास्तुकला में दिखाई देते हैं। वित्त वर्ष 2011 तक भारत में अनुमानित रूप से 1,229 खदानें थीं, जिनमें से 545 रिपोर्ट की गई खदानें धात्विक खनिजों के लिए थीं और 684 रिपोर्ट की गई खदानें अधात्विक खनिजों के लिए थीं।

भारत में खनिज अन्वेषण-

1. भारत का संभावित भूविज्ञान मोटे तौर पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के समान है, विशेष रूप से लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला, हीरे और भारी खनिज रेत के संबंध में।
2. वर्तमान में खोजा गया क्षेत्र 5.71 लाख वर्ग किमी स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता का लगभग 10% है।
3. वर्तमान में खोजे गए क्षेत्र के 2% से भी कम का खनन किया जा रहा है। इस प्रकार, भारत के लिए अपने खनिज क्षेत्र को विकसित करने की एक बड़ी संभावना है।
4. भारतीय उप-मृदा तटवर्ती और अपतटीय कच्चे तेल और गैस, कोयला, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, आदि से समृद्ध हैं।

भारत में खनिज अन्वेषण की राह में रोड़े

1. विश्व स्तर पर, बड़े खनन आधार या संभावित संसाधनों वाली अर्थव्यवस्थाओं ने अन्वेषण के लिए अधिक खर्च (सार्वजनिक और निजी) किया है; जबकि भारतीय अन्वेषण बजट अभी भी बहुत कम है। भारत में अन्वेषण खर्च सालाना 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम रहा है।
2. सतह पर या उसके आस-पास के अधिकांश खनिजों की खोज पिछले 50 वर्षों में की गई है, और छिपे हुए खनिज संसाधनों के लिए गहरी खुदाई करने की आवश्यकता है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके चल रहे खनिज पूर्वेक्षण का प्रदर्शन करना शामिल है।
3. अन्वेषण, विशेष रूप से गहरे खनिजों के लिए, एक उच्च जोखिम वाला उद्यम है।
4. पिछले 70 वर्षों में खनन पट्टा धारकों द्वारा थोक वस्तुओं के लिए बहुत सीमित खनिज अन्वेषण किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप दुर्भाग्य से भूवैज्ञानिक संसाधनों को खनन योग्य भंडार में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अंतर था।
5. 2010 के बाद भारत का खनिज अन्वेषण लगभग पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि किसी भी राज्य ने नए एमएमडीआर अधिनियम 2015 की शुरुआत तक किसी भी कंपनी को अन्वेषण लाइसेंस जारी नहीं किया था।
6. भारत का खनन क्षेत्र स्थिरता के मुद्दे से भरा है। विभिन्न अवैध खनन कार्य पर्यावरण और श्रमिकों की सुरक्षा दोनों को प्रभावित करते हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. जीवंत और भविष्योन्मुखी खनिज क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 तैयार की गई है।
2. सरकार ने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को आकर्षित करने में मदद करने के लिए कोयला खनन और संबद्ध बुनियादी ढांचे में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी है।
3. खनन क्षेत्र को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न विधायी परिवर्तन पेश किए गए हैं। पूर्व-खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम 2020।
4. पर्यावरण संरक्षण के लिए देश में खनिजों के संरक्षण, व्यवस्थित और वैज्ञानिक खनन और खनिजों के विकास के लिए नियम स्थापित करने के लिए, खान मंत्रालय ने नवंबर 2021 में खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम प्रकाशित किए।
5. 2015 में, खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 को बदल दिया गया था, और खनन उद्योग में खुलेपन को बढ़ाने के लिए खनन पट्टों के आवंटन की नीलामी पद्धति को जोड़ा गया था।
6. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) को खनन क्षेत्र में अन्वेषण का कार्य सौंपा गया है।
7. सरकार ने खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 में भी संशोधन किया है और स्टार रेटिंग की अवधारणा तथा इसे प्राप्त करने की अवधि को मध्यम और छोटे खान मालिकों की समस्याओं को देखते हुए संशोधित किया गया है।

लौह अयस्क, बॉक्साइट और कोयला क्षेत्रों में नए खनन कार्यों के साथ-साथ भविष्य में उपसतह खोजों के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। सही नीतिगत फोकस और अनुकूल वातावरण के साथ भारत सबसे बड़े खनिज उत्पादक देशों में से एक बनने के लिए उपयुक्त है।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

बंदरगाह	देश
1. चाबहार पोर्ट	ईरान
2. ग्वादर पोर्ट	अफगानिस्तान
3. पोर्ट सुल्तान	बहरीन

ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर-A

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन I: ब्लू हाइड्रोजन के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है।
कथन II: ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस से किया जाता है, जिसे स्टीम रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है।
उपरोक्त बयानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
A. दोनों कथन - I और कथन - II सही हैं और कथन - II कथन - I की सही व्याख्या है
B. दोनों कथन - I और कथन - II सही हैं और कथन - II, कथन - I की सही व्याख्या नहीं है
C. कथन - I सही है लेकिन कथन - II गलत है
D. कथन - I गलत है लेकिन कथन - II सही है

उत्तर- B

3. 'एसिनेटोबैक्टर बॉमनी' के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
A. यह एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है।
B. यह आमतौर पर मूत्र पथ के संक्रमण से जुड़ा होता है।
C. यह अधिकांश एंटीबायोटिक दवाओं के लिए स्वाभाविक रूप से प्रतिरोधी है।
D. यह मुख्य रूप से हवाई बूंदों के माध्यम से फैलता है।

उत्तर- C

4. 'बायोसेंसर' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?
1. बायोसेंसर विश्लेषणात्मक उपकरण हैं जो विशिष्ट जैविक विश्लेषणों का पता लगाने और मापने के लिए एक भौतिक रासायनिक डिटेक्टर के साथ जैविक घटकों को जोड़ते हैं।
2. विभिन्न रोगों और स्वास्थ्य स्थितियों का पता लगाने और निगरानी करने के लिए बायोसेंसर का मुख्य रूप से चिकित्सा निदान में उपयोग किया जाता है।
3. बायोसेंसर विश्लेषण की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगा सकते हैं, जिसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम और छोटे अणु शामिल हैं।
4. बायोसेंसर प्रयोगशाला सेटिंग्स तक सीमित हैं और ऑन-साइट या पॉइंट-ऑफ-केयर परीक्षण के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. केवल तीन
D. सभी

उत्तर- C

5. प्राथमिक कृषि साख समितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?
1. पहली प्राथमिक कृषि साख समिति का गठन 1904 में किया गया था।
2. प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ ग्राम स्तर की सहकारी ऋण समितियाँ हैं जो राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों (SCB) की अध्यक्षता वाली त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती हैं।
3. प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ विभिन्न कृषि और कृषि गतिविधियों के लिए किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- C

6. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की धारा 3(1) के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है।
2. यह सरकार को नीतिगत मामलों पर सलाह देती है और विद्युत प्रणालियों के विकास के लिए योजनाएं बनाती है
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- C

7. प्रोटेरोजोइक ईऑन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. प्रोटेरोजोइक ईऑन प्रीकैम्ब्रियन समय के दो डिवीजनों में सबसे छोटा है, पुराना आर्कियन ईऑन है।
2. प्रोटेरोजोइक ईऑन को 2.5 बिलियन से 541 मिलियन वर्ष पूर्व की अवधि माना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर- C

8. विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में हुई थी।
2. यह गरीब देशों को खाद्य सहायता प्रदान करने वाला अग्रणी मानवीय संगठन है।
3. WFP के पास धन का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक दान द्वारा वित्त पोषित है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं??
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- C

9. केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. भारत हाल ही में सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क (CLN) का सदस्य बना है, जो कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस (CEPI) का हिस्सा है।
2. सीएलएन सबसे बड़ा वैश्विक समूह है जो वैक्सीन परीक्षण के लिए मानकीकृत तरीके और सामग्री उपलब्ध कराता है।
3. इसका मुख्य उद्देश्य महामारी रोग के प्रकोपों के लिए टीकों का परीक्षण करना है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- C

10. भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. भारत और अमेरिका रक्षा सहयोग के लिए मंत्रिस्तरीय 2+2 संवाद में शामिल हैं।
2. भारत QUAD का भी सदस्य है, जिसके अन्य सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान हैं।
3. भारत को 2016 में अमेरिका द्वारा एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया गया था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- C

11. सबांग बंदरगाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. आचे प्रांत में स्थित सबांग बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगभग 700 किमी दूर है।
2. सबांग बंदरगाह के विकास से हिंद महासागर में चीन की तुलना में भारत की सैन्य स्थिति मजबूत हो सकती है।
3. यह बंदरगाह भारत को मलक्का जलडमरूमध्य, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच समुद्र के एक संकीर्ण खंड और दुनिया के समुद्री व्यापारिक मार्गों के साथ छह चोकपॉइंट्स में से एक तक आसान पहुंच प्रदान करेगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है/हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- C

12. ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट जारी किया जाता है।
2. यह 2023-2027 की अवधि के लिए डब्ल्यूएमओ नामित वैश्विक केंद्रों द्वारा उत्पादित वैश्विक वार्षिक से दशकीय भविष्यवाणियों का संश्लेषण प्रदान करता है।
3. 2023 और 2027 के बीच प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक औसत वैश्विक निकट-सतह तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस और 1.8 डिग्री सेल्सियस के बीच 1850-1900 औसत से अधिक होने का अनुमान है।
ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- C

13. Betelgeuse के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. हाल ही में जापान और स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं ने कहा कि स्टार बेटेलगेस अपने अंतिम कार्बन-बर्निंग चरण में है।
2. भारतीय खगोल विज्ञान में चमकीले लाल तारे Betelgeuse को 'थिरुवाथिराई' या 'अद्रा' के रूप में जाना जाता है।
3. Betelgeuse नक्षत्र ओरियन में स्थित है और आसानी से देखा जा सकता है।
ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- C

14. एंजेल टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. जब कोई असूचीबद्ध कंपनी उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर शेयर जारी करती है, तो एंजल टैक्स लागू होता है।
2. एंजल निवेशक आमतौर पर शुरुआती चरण में स्टार्ट-अप को समर्थन देते हैं, जब स्टार्ट-अप के विफल होने का जोखिम अपेक्षाकृत अधिक होता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर-C

व्यक्तित्व

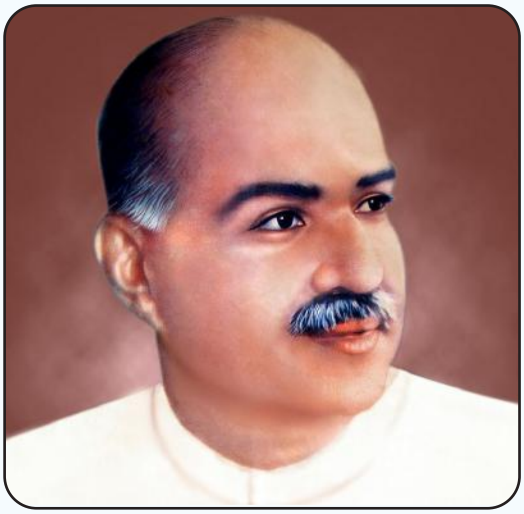

श्यामा प्रसाद मुखर्जी

श्यामा प्रसाद मुखर्जी महान नेतृत्व और राजनीतिक उदीयमान सूर्य के उदाहरण हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री तथा भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। श्यामा प्रसाद एक योग्य बैरिस्टर थे और शिक्षा के प्रति गहरी रूचि रखते थे।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में:

श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई, 1901 को हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्होंने 1906 में भवानीपुर के मित्र संस्थान में अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरम्भ की। उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रेसीडेंसी कॉलेज में भर्ती हुए। वे 1916 में इंटर-आर्ट्स परीक्षा में सत्रहवें स्थान पर रहे और 1921 में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल करते हुए अंग्रेजी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। डॉ. मुखर्जी ने 22 वर्ष की आयु में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उसी वर्ष इनका विवाह सुधादेवी से हुआ। इनसे दो पुत्र और दो पुत्रियां हुई। वे 24 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य बने। इनकी रूचि गणित की ओर विशेष थी। इसके अध्ययन के लिए वे विदेश गए तथा वहां पर लंदन मैथेमेटिकल सोसायटी ने इनको सम्मानित सदस्य बनाया। वहां से लौटने के बाद वकालत करने लगे। 1924 में उनके पिता का देहांत हो गया, उसी वर्ष उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में नामांकन किया। 33 साल की उम्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने।

कुलपति के रूप में मुखर्जी के कार्यकाल के समय, रवींद्रनाथ टैगोर ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को पहली बार बंगाली में संबोधित किया और भारतीय भाषा को सर्वोच्च परीक्षा के लिए एक विषय के रूप में शुरू किया गया। डॉ.मुखर्जी ने कर्मक्षेत्र के रूप में 1939 से राजनीति में भाग लिया और आजीवन इसी में लगे रहे। उन्होंने गांधीजी व कांग्रेस की नीति का विरोध किया, जिससे हिन्दुओं को हानि उठानी पड़ी थी। मुखर्जी ने 1946 में मुस्लिम बाहुल्य पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों को न शामिल करने हेतु बंगाल के विभाजन की मांग की।

15 अप्रैल, 1947 को तारकेश्वर में हिन्दू महासभा द्वारा आयोजित एक बैठक ने उन्हें बंगाल के विभाजन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने हेतु अधिकृत किया। मई 1947 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को एक पत्र लिखकर कहा था कि बंगाल का विभाजन होना चाहिए, भले ही भारत न हो। उन्होंने 1947 में सुभाष चंद्र बोस के भाई शरत बोस और बंगाली मुस्लिम राजनेता हुसैन शहीद सुहरावर्दी द्वारा बनाई गई एक संयुक्त लेकिन स्वतंत्र बंगाल के लिए एक असफल मांग का भी विरोध किया। एक बार इन्होंने कहा था कि 'वह दिन दूर नहीं जब गांधीजी की अहिंसावादी नीति के अंधानुसरण के फलस्वरूप समूचा बंगाल पाकिस्तान का अधिकार क्षेत्र बन जाएगा।' इन्होंने नेहरूजी और गांधीजी की तुष्टिकरण की नीति का सदैव खुलकर विरोध किया। यही कारण था कि इनको संकुचित सांप्रदायिक विचार का द्योतक समझा जाने लगा। 1950 में भारत की दशा दयनीय थी जिससे डॉ. मुखर्जी के मन को गहरा आघात लगा। उनसे यह देखा न गया और भारत सरकार की अहिंसावादी नीति के फलस्वरूप मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर संसद में विरोधी पक्ष की भूमिका का निर्वाह करने लगे। एक ही देश में दो झंडे और दो निशान भी इनको स्वीकार नहीं थे। अतः कश्मीर का भारत में विलय के लिए डॉ. मुखर्जी ने प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। इसके लिए उन्होंने जम्मू की प्रजा परिषद पार्टी के साथ मिलकर आंदोलन छेड़ दिया। जम्मू और कश्मीर के मुद्दों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू से मतभेद होने के कारण उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दिया और वर्ष 1951 में जन संघ की स्थापना की जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। बिना परमिट के जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवेश करने के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के 40 दिन बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गयी।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

IAS/IPS as a career AFTER 12th

—3 Years Programme —

UDAAN
A journey to success
REGISTRATION STARTS

IAS OLYMPIAD-2023
(Scholarship cum Entrance Test)

16th July 2023 I 12:30pm

- ***Eligibility : Age Limits :***
  15-19 year age group & 12th passed / appearing
- **Age Limit :**
  Candidates must have attained the age of 15 years and must not have attained the age of 19 years as on 1st of July 2023 i.e. candidate must be born after 1st July 2004 and on or before 1st July 2008.
- **Educational Qualification :**
  12th Passed/Appearing from a recognized board.

More information call us
9506256789, 7570009014

ध्येयIAS®

most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

4500+ SELECTIONS IN IAS & PCS

₹ 55

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & Ill Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744